यूनिट 1. हिंदी भाषा के विविध रूप

हिंदी संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सभी आयामों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हिंदी साहित्य एक विश्वसनीय स्रोत है। राष्ट्र की आत्मा एवं नवीन चेतना की सांस्कृतिक भाषा हिंदी है। हर देश का राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा उसकी पहचान को दर्शाति हैं वैसे ही हिंदी भारत देश की पहचान को दर्शाती है। भारत बहु भाषी, बहु सांस्कृतिक और बहु धार्मिक देश है। इसका विविध भाषा-भाषी सौंदर्य अनुपम है। ये सभी भाषाएं भारतीय जीवन का अंग-उपअंग है। भारत की समग्र सांस्कृतिक चेतना के विस्तार का सशक्त माध्यम हिंदी ही बनी। अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा ही माना जाता है, राष्ट्र के उन्नयन का मार्ग भाषा ही प्रशस्त करती है। आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करनेवाले राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृ भाषाके संदर्भ में यह संदेश दिया कि

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल।।"

कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के अभाव में अपनी मौलिकता परिभाषित नहीं कर सकता। हिंदी संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है. यह एक विकसित एवं वैज्ञानिक भाषा है।

भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, असामिया, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, बंगला, गुजराती तथा मराठी भाषाओं में से केवल हिंदी को ही राजभाषा के रूप में चुना गया। आठवीं अनुसूची में 2003 में बोडो, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को जोड़ा गया। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी सबसे बड़े भूभाग की तथा अधिसंख्यक जनता की भाषा है हिंदी संस्कृत से निःमृत है इसके तत्सम शब्द सभी भारतीय भाषाओं के अनुरूप है। हिंदी और उर्दू के कार्य तथा क्रिया वाचक शब्द समान है। वाक्य रचना भी समान है। बड़ी संख्या में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के दैनिक व्यवहार के शब्द हिंदी में इस प्रकार पुल-मिल गए कि यह आभास

ही नहीं होता किअमुक शब्द हिंदीतर भाषा का है। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द आत्मसात करने की असीम क्षमता है साथ ही इसमें धातु, उपसर्ग, प्रत्यय के संयोजन से असंख्य शब्द निर्माण का सामर्थ्य है।

हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसमें अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं की भांति न तो किसी अक्षर के भिन्न उच्चारण होते हैं और न ही कोई अक्षर मौन होता है। इसमें तो मानव मुख से उच्चारित होने वाली हर ध्वनि के लिए अक्षर निश्चित है। सच बात तो यह है कि देवनागरी लिपि के समतुल्य कोई वैज्ञानिक लिपि अभी तक विश्व का कोई समाज विकसित नहीं कर पाया। इन्हीं उपर्युक्त कारणवश हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी एक भाषा है और इसे समझने के लिए भाषा तथा भाषा के रूप को समझना आवश्यक हो जाता है। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रयोजनमूलक एवं विश्वभाषा को निम्न लिखित रूप से समझा जा सकता है।

भाषा

भाषा व्यक्तियों के समूह या समुदाय के पारस्परिक संप्रेषण का एक सुव्यवस्थित माध्यम होती है। समाज व समुदाय का समस्त चिंतन, प्रयोग एवं निष्कर्ष उस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। समाज के अभाव में मनुष्य अपना अस्तित्व नहीं बना सकता क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। इस अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आना अनिवार्य है। विचार-विनिमय के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह है भाषा भाषा भावाभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है । भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के दो रूप सामने आते हैं मौखिक और लिखित।

भाषा की परिभाषाएँ

कई विद्वानों ने अनेक रूपों में भाषा को परिभाषित किया है जो इस प्रकार है

1. कामता प्रसाद गुरुः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पस्टतया समझ सकता है।

2. बाबूराम सक्सेना: जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं।

3. डॉ. श्याम सुंदर दास: मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान-प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।

4. डॉ. उदय नारायण तिवारी: भाषा मनुष्य के प्रतीकात्मक कार्यों का प्राथमिक एवं बहु विस्तृ तरूप है।

5. डॉ. भोलानाथ तिवारी: भाषा उच्चारण अभियान से उच्चारित याद्दच्छिक

   ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस मेंविचारों का आदान प्रदान करते हैं।

   इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा के भाव और विचारों को अभिव्यक्ति करने का सशक्त माध्यम है।

भाषा की संरचना

भाषा से विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया सशक्त होती है। अतः भाषा और उसकी संरचना पर विचार करने के लिए कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा एक व्यवस्था है इसमें सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं। उसके संरचना में ध्वनियाँ सार्थकता प्रदान करती हैं। आज भाषा के कई रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. भाषा क्या है? भाषा की परिभाषाएँ लिखिए।

उत्तर :

भाषा

भाषा व्यक्तियों के समूह या समुदाय के पारस्परिक संप्रेषण का एक सुव्यवस्थित माध्यम होती है। समाज व समुदाय का समस्त चिंतन, प्रयोग एवं निष्कर्ष उस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। समाज के अभाव में मनुष्य अपना अस्तित्व नहीं बना सकता क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। इस अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आना अनिवार्य है। विचार-विनिमय के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह है भाषा भाषा भावाभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है । भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा के दो रूप सामने आते हैं मौखिक और लिखित।

भाषा की परिभाषाएँ

कई विद्वानों ने अनेक रूपों में भाषा को परिभाषित किया है जो इस प्रकार है

1. कामता प्रसाद गुरु: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पस्टतया समझ सकता है।
2. बाबूराम सक्सेना: जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं।
3. डॉ. श्याम सुंदर दास: मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान-प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।
4. डॉ. उदय नारायण तिवारी: भाषा मनुष्य के प्रतीकात्मक कार्यों का प्राथमिक एवं बहु विस्तृ तरूप है।

5. डॉ. भोलानाथ तिवारी: भाषा उच्चारण अभियान से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्‍वारा समाज विशेष के लोग आपस मेंविचारों का आदान प्रदान करते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा के भाव और विचारों को अभिव्यक्ति करने का सशक्त माध्यम है।

प्रश्न 2. भाषा की संरचना से क्या तात्पर्य है?

उत्तर :

भाषा की संरचना

भाषा से विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया सशक्त होती है। अतः भाषा और उसकी संरचना पर विचार करने के लिए कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा एक व्यवस्था है इसमें सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं। उसके संरचना में ध्वनियाँ सार्थकता प्रदान करती हैं। आज भाषा के कई रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं।

1. राजभाषा

राजभाषा उस भाषा की कहते हैं जिसमें किसी देश का सरकारी कामकाज होता है। सबसे पहले 1949 में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैम्बेज (National language) के समांतर स्टेट लैम्बेज (State language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया की राष्ट्रभाषा (National (language) और राज (official language) में अंतर रहे। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। राजभाषा शब्द का तात्पर्य राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा से है। अनेकता में एकता लिए हुए हमारा देश एक बहु जातीय, बहु सांस्कृतिकव बहु धार्मिकव बहु भाषीयदेश है। इस देश के बहु संख्यक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी को संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्रदान की। राजभाषा का प्रयोग राजकीय प्रशासकीय तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा है।

इसके इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान देशवासियों में जो राष्ट्रीय एकता की तीव्र भावना थी वह धीरे-धीरे कम होने लगी और क्षुद्र स्वार्थ एवं तुच्छ राजनीति की संकीर्ण भावना सिर उठाने लगी। राजभाषा अधिनियम ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की निरंतरता को संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसी के अनुसरण में भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए अनेक प्रयास किए। 1971 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक हिंदी मानक शब्दों का निर्माण किया। राजभाषा विभाग ने विधि शब्दावली एवं लगभग सभी अधिनियम और नियम संहिताओं का प्राधिकृत हिंदी पाठ तैयार किया।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली तैयारकरने का काम केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा। संविधान का पालन करते हुए 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई जिसका काम हिंदी को बढ़ावा देना है। राज्य कर्मचारियों को हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें भत्ते पुरस्कार वेतनवृति देकर प्रोत्साहित किया गया। और केंद्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ उपक्रमों निगमों एवं बैंकों में हिंदीभाषीकर्मियों को प्रबोध, प्रवीण के माध्यम से हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। अधिकांशटंककों एवं आशुलिपियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी के विकास के लिए कार्य •किए गए। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों में राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम एवं राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा के • अधिकारियों एवं अनुवादकों की नियुक्ति की गई। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा मंत्रालयों के लिए हिंदी सलाहकार समिति गठित की गई। इसकी समीक्षा के लिए एक विशेष समिति संसदीय राजभाषा समिति कार्य कर रही है। हिंदी प्रदेशों के साथ-साथ अन्य प्रांतों में हिंदी की अभिवृद्धि के लिए हिंदी अकादमी वर्षों से कार्यरत है।

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में स्थित हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद आदि विभागों ने हिंदी शिक्षण एवं उसके प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

कंप्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए, ईसीआईएल हैदराबाद में कंप्यूटर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के में संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइस पिलानी, टाटा ब्रदर्स मुंबई टेलीप्रिंटर्स बनाए जिनके कोड भी निर्धारित किए गए। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय होने चाहिए। समारोह के निमंत्रण द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में होना चाहिए। कार्यालयों को यह भी

आदेश दिया गया कि केंद्रीय कार्यालयों में काम करने वाली फाइलें, विजिटिंग कार्ड, रबर की मुहरे, समय सूचक ओर्ड, नामपट्ट पत्रशीर्ष आदि भी अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का अनुदेश भी राजभाषा आयोग ने केंद्रीय कार्यालयों के राजभाषा विभागों को दिया। इस प्रकार सारे कामकाज हिंदी में होने लगे । हिंदी राजभाषा मात्र हिंदी प्रदेश की न होकर पूरे भारत की भाषा बन गई है। समय के साथ-साथ समाज का विकास होता है और विकास के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आवश्यकता भी विकसित होती है। हमने पहले भी चर्चा की है कि भाषाअभिव्यक्तिका माध्यम है। समाज में रहकर ही विकसित होती है और अधुनातन बनती जाती है। इस आधुनिकीकरण के कारण अब राजभाषा हिंदी के पास विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली की संख्या काफी हो गई है। दिनों-दिन इसका प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी विश्व स्तर पर आगे विश्व भाषा का स्थान ग्रहण कर रही है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 3. राजभाषा क्या है?

उत्तर

राजभाषा :

राजभाषा उस भाषा की कहते हैं जिसमें किसी देश का सरकारी कामकाज होता है। सबसे पहले 1949 में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैम्बेज (National language) के समांतर स्टेट लैम्बेज (State language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया की राष्ट्रभाषा (National (language) और राज (official language) में अंतर रहे। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। राजभाषा शब्द का तात्पर्य राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा से है। अनेकता में एकता लिए हुए हमारा देश एक बहु जातीय, बहु सांस्कृतिकव बहु धार्मिकव बहु भाषीयदेश है। इस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी को संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्रदान की। राजभाषा का

प्रयोग राजकीय प्रशासकीय तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा है।

इसके इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान देशवासियों में जो राष्ट्रीय एकता की तीव्र भावना थी वह धीरे-धीरे कम होने लगी और क्षुद्र स्वार्थ एवं तुच्छ राजनीति की संकीर्ण भावना सिर उठाने लगी। राजभाषा अधिनियम ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की निरंतरता को संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसी के अनुसरण में भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए अनेक प्रयास किए। 1971 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक हिंदी मानक शब्दों का निर्माण किया। राजभाषा विभाग ने विधि शब्दावली एवं लगभग सभी अधिनियम और नियम संहिताओं का प्राधिकृत हिंदी पाठ तैयार किया।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली तैयारकरने का काम केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा। संविधान का पालन करते हुए 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई जिसका काम हिंदी को बढ़ावा देना है। राज्य कर्मचारियों को हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें भत्ते पुरस्कार वेतनवृति देकर प्रोत्साहित किया गया। और केंद्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ उपक्रमों निगमों एवं बैंकों में हिंदीभाषीकर्मियों को प्रबोध, प्रवीण के माध्यम से हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। अधिकांशटंककों एवं आशुलिपियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी के विकास के लिए कार्य •किए गए। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों में राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम एवं राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा के • अधिकारियों एवं अनुवादकों की नियुक्ति की गई। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन

समितियों तथा मंत्रालयों के लिए हिंदी सलाहकार समिति गठित की गई। इसकी समीक्षा के लिए एक विशेष समिति संसदीय राजभाषा समिति कार्य कर रही है। हिंदी प्रदेशों के साथ-साथ अन्य प्रांतों में हिंदी की अभिवृद्धि के लिए हिंदी अकादमी वर्षों से कार्यरत है।

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में स्थित हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद आदि विभागों ने हिंदी शिक्षण एवं उसके प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

कंप्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए, ईसीआईएल हैदराबाद में कंप्यूटर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के में संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइस पिलानी, टाटा ब्रदर्स मुंबई टेलीप्रिंटर्स बनाए जिनके कोड भी निर्धारित किए गए। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय होने चाहिए। समारोह के निमंत्रण द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में होना चाहिए। कार्यालयों को यह भी आदेश दिया गया कि केंद्रीय कार्यालयों में काम करने वाली फाइलें, विजिटिंग कार्ड, रबर की मुहरे, समय सूचक ओर्ड, नामपट्ट पत्रशीर्ष आदि भी अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का अनुदेश भी राजभाषा आयोग ने केंद्रीय कार्यालयों के राजभाषा विभागों को दिया। इस प्रकार सारे कामकाज हिंदी में होने लगे । हिंदी राजभाषा मात्र हिंदी प्रदेश की न होकर पूरे भारत की भाषा बन गई है। समय के साथ-साथ समाज का विकास होता है और विकास के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आवश्यकता भी विकसित होती है। हमने पहले भी चर्चा की है कि भाषाअभिव्यक्तिका माध्यम है। समाज में रहकर ही विकसित होती है और अधुनातन बनती जाती है। इस आधुनिकीकरण के कारण अब राजभाषा हिंदी के पास विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली की संख्या काफी हो गई है। दिनों-दिन इसका प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी विश्व स्तर पर आगे विश्व भाषा का स्थान ग्रहण कर रही है।

2. राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की भाषा अर्थात वह भाषा जिसे राष्ट्र की अधिकतर जनता समझ सके। जो संपूर्ण राष्ट्र की प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यों में प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जा सके। ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यह राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार-विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। यह जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूची जनता के बीच सोच, संस्कृति, विश्वास, आस्था, धर्म समाज, समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, गली-मोहल्लों, हाट-बाजार, मेले, उत्सव में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में यह सभी विशेषताएं विद्यमान है। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में अन्य भाषाओं के साथ-साथ इसे भी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा को भारतीय संविधान में संघ भाषा (language of the union) नाम से संबोधित किया गया। हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक समझी जाती है। साक्षर से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सरलता से बोल और समझ सकता है। वैसे तो संविधान में स्वीकृत सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही कहलाने के अधिकारी हैं। किंतु हिंदी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी को यह दर्जा क्यों मिला इसका कारण यह है कि अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। इसी कारण हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी की अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है यदि हम भारत की सांस्कृतिक एकता और प्राचीन मान्यताओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदीही वह कार्य कर सकती है।" स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेदेश के बहुभाषीस्वरूप को देखते हुए संपूर्ण देश को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता को समझते हुए हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनाया तथा 1918 में दक्षिण में हिंदी भाषियों के लिए हिंदी शिक्षण केंद्र स्थापित किए जहां लाखों की संख्या में दक्षिण भारतीयों ने हिंदीसीखी।

इस प्रकार वही भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। हिंदी का शब्द भंडार देश के विविध बोलियों और भाषाओं आदि से समृद्ध है। हिंदी सभी अर्थों में राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने की अधिकारिणी है क्योंकि यही सभ्यता और संस्कृतियों के केंद्र की भाषा है। साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध व विभिन्न भाषाओं से मंडित है। देश की संस्कृति एवं उसके आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है।

राष्ट्रभाषा का महत्व सबसे ऊपर है और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है 1947 तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बन गई। तब तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अभिप्राय एक ही था। बाद में इस पर विधिवत विचार विमर्श हुआ तो मान लिया गया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पहले से ही प्रतिष्ठित है और इसे संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 4. राष्ट्रभाषा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

उत्तर

राष्ट्रभाषा :

राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की भाषा अर्थात वह भाषा जिसे राष्ट्र की अधिकतर जनता समझ सके। जो संपूर्ण राष्ट्र की प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यों में प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जा सके। ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यह राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार-विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। यह जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूची जनता के बीच सोच, संस्कृति, विश्वास, आस्था, धर्म समाज, समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, गली-मोहल्लों, हाट-बाजार, मेले, उत्सव में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में यह सभी विशेषताएं विद्यमान है। भारतीय

संविधान की अष्टम सूची में अन्य भाषाओं के साथ-साथ इसे भी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा को भारतीय संविधान में संघ भाषा (language of the union) नाम से संबोधित किया गया। हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक समझी जाती है। साक्षर से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सरलता से बोल और समझ सकता है। वैसे तो संविधान में स्वीकृत सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही कहलाने के अधिकारी हैं। किंतु हिंदी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी को यह दर्जा क्यों मिला इसका कारण यह है कि अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। इसी कारण हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी की अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है यदि हम भारत की सांस्कृतिक एकता और प्राचीन मान्यताओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदीही वह कार्य कर सकती है।" स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेदेश के बहुभाषी स्वरूप को देखते हुए संपूर्ण देश को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता को समझते हुए हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनाया तथा 1918 में दक्षिण में हिंदी भाषियों के लिए हिंदी शिक्षण केंद्र स्थापित किए जहां लाखों की संख्या में दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखी।

इस प्रकार वही भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। हिंदी का शब्द भंडार देश के विविध बोलियों और भाषाओं आदि से समृद्ध है। हिंदी सभी अर्थों में राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने की अधिकारिणी है क्योंकि यही सभ्यता और संस्कृतियों के केंद्र की भाषा है। साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध व विभिन्न भाषाओं से मंडित है। देश की संस्कृति एवं उसके आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है

राष्ट्रभाषा का महत्व सबसे ऊपर है और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है 1947 तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बन गई। तब तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अभिप्राय एक ही था। बाद में इस पर विधिवत विचार विमर्श हुआ तो मान लिया गया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पहले से ही प्रतिष्ठित है और इसे संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

3. संपर्क भाषा

संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो भिन्न भाषा भाषी अथवा एक भाषा के दो भिन्न भाषाओं के मध्य अथवा अनेक बोलियां बोलने वालों के मध्य संपर्क का माध्यम होती है। जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। उस भाषा को संपर्क भाषा (Lingua Franca) कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग होती है जिनकी मातृभाषाएँ अलग है इसे कई भाषाओं में लिंगुआका कहते हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं।

संपर्क भाषा को अंग्रेजी में लिंकलैंग्वेज (Link language) कहते हैं। इसप्रकार संपर्क भाषा वह भाषा है जो अलग-अलग भाषाओं को बोलने वालों को जोड़ती है। यह भाषा भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनती है। संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से है, किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जन भाषा है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष के संपर्क भाषा ही जन भाषा है। यह वह भाषा है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश को ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का काम करती है।

भारत की संपर्क भाषा का गौरव हिंदी को प्राप्त है। भारत जनतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास में गतिशीलता लाने के लिए हिंदी का चयन किया गया है। एक नए युग की अपेक्षाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधान के अनुरूप हमें एक ऐसी भाषा की नितांत आवश्यकता है जो सभी भारतीय भाषाओं में भाई-चारा एवं सामंजस्य स्थापित करें। इस दृष्टि से संपर्क भाषा हिंदी नए युग की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तरोत्तर विकास हो रही है। आज यह निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। इस विचार से देश-विदेश के विद्वान, मनीषी, राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि किसी देश के सर्वांगीण प्रगति को बढ़ाने और एकता को सुदृढ़ करने में अपनी भाषा का महत्व पूर्ण योगदान होता है। संपर्क एवं राजभाषा हिंदी साहित्य दृष्टि से पहले से ही समृद्ध भाषा है।

भारत के मनीषियों एवं साधकों ने पहले ही हिंदी के महत्व को जानते हु एइसे सारे राष्ट्र के समन्वय एवं एकता से जोड़ दिया है। इसी एकात्मता के कारण यह संपर्क साधने में सफल हु ईहै। संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान हो चुकी है। यह भाषा का व्यवहारिक रूप होता है जो लचीलापन लिए हु एहैं। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है।

हिमालय से कन्याकुमारी तक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषाई परिवारों में संबंध स्थापित कर रही है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अधिक व्यापक से प्रयोजन सिद्ध भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। चार धामों की संपर्क भाषा हिंदी ही है।

दूरदर्शनके माध्यम से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में अधिक सशक्त हो गई है। टेलीप्रिंटो, कंप्यूटर, चलचित्र अन्य प्रचार माध्यमों के कारण समाचार पत्रों कोशो आदि के माध्यम से हृदय की भावनाओं और मन के विचारों को अभिव्यक्त करने काबड़ा प्रबल साधन बन गई है। अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न भाषा जिस किसी भाषा के माध्यम से आपस में संपर्क स्थापित करती हैं वह संपर्क भाषा है। यह संपर्क निम्नलिखित रूपों में हो सकता है

i. **राज्य स्तरीय संपर्क भाषा:** एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राज्य स्तरीय संपर्क भाषा कहते हैं। यह संपर्क बातचीत तथा पत्र व्यवहार से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रस्तरीय संपर्क भाषा:** राष्ट्र स्तर पर संपर्क स्थापित करने के कारण इसे राष्ट्र स्तरीय संपर्क भाषा कहते हैं। इस भाषा के माध्यम से प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित करती है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में यह संपर्क हिंदी में किया जाता है तथा अहिंदी भाषी प्रदेशों में संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है।

iii. **विश्वस्तरीय संपर्क भाषा:**विश्व के अनेक देशों में जिस भाषा के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है उसे विश्वस्तरीय संपर्क भाषा कहा जाता है। संपूर्ण संसार में कुछ ही भाषाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अंग्रेजी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषा है इसके साथ साथ

चीनी रूसी फ्रांसीसी आदि प्रमुख भाषाएं इन सब से हिंदी का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 5. संपर्क भाषा क्या है? उसके विभिन्न रूपों को समझाइए।

उत्तर

संपर्क भाषा

संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो भिन्न भाषा भाषी अथवा एक भाषा के दो भिन्न भाषाओं के मध्य अथवा अनेक बोलियां बोलने वालों के मध्य संपर्क का माध्यम होती है। जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। उस भाषा को संपर्क भाषा (Lingua Franca) कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग होती है जिनकी मातृभाषाएँ अलग है इसे कई भाषाओं में लिंगुआका कहते हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं।

संपर्क भाषा को अंग्रेजी में लिंकलैंग्वेज (Link language) कहते हैं। इसप्रकार संपर्क भाषा वह भाषा है जो अलग-अलग भाषाओं को बोलने वालों को जोड़ती है। यह भाषा भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनती है। संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से है, किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जन भाषा है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष के संपर्क भाषा ही जन भाषा है। यह वह भाषा है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश को ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय का काम करती है।

भारत की संपर्क भाषा का गौरव हिंदी को प्राप्त है। भारत जनतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास में गतिशीलता लाने के लिए हिंदी का चयन किया गया है। एक नए युग की अपेक्षाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधान के अनुरूप हमें एक ऐसी भाषा की नितांत आवश्यकता है जो सभी भारतीय भाषाओं में भाई-चारा एवं सामंजस्य स्थापित करें। इस दृष्टि से संपर्क भाषा हिंदी नए युग की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तरोत्तर विकास हो रही है। आज यह

निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। इस विचार से देश-विदेश के विद्वान, मनीषी, राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि किसी देश के सर्वांगीण प्रगति को बढ़ाने और एकता को सुदृढ़ करने में अपनी भाषा का महत्व पूर्ण योगदान होता है। संपर्क एवं राजभाषा हिंदी साहित्य दृष्टि से पहले से ही समृद्ध भाषा है।

भारत के मनीषियों एवं साधकों ने पहले ही हिंदी के महत्व को जानते हुए इसे सारे राष्ट्र के समन्वय एवं एकता से जोड़ दिया है। इसी एकात्मता के कारण यह संपर्क साधने में सफल हुई है। संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान हो चुकी है। यह भाषा का व्यवहारिक रूप होता है जो लचीलापन लिए हुए हैं। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है।

हिमालय से कन्याकुमारी तक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषाई परिवारों में संबंध स्थापित कर रही है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में अधिक व्यापक से प्रयोजन सिद्ध भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। चार धामों की संपर्क भाषा हिंदी ही है।

दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में अधिक सशक्त हो गई है। टेलीप्रिंटो, कंप्यूटर, चलचित्र अन्य प्रचार माध्यमों के कारण समाचार पत्रों कोशो आदि के माध्यम से हृदय की भावनाओं और मन के विचारों को अभिव्यक्त करने काबड़ा प्रबल साधन बन गई है। अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न भाषा जिस किसी भाषा के माध्यम से आपस में संपर्क स्थापित करती हैं वह संपर्क भाषा है। यह संपर्क निम्नलिखित रूपों में हो सकता है

i. **राज्य स्तरीय संपर्क भाषा:** एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राज्य स्तरीय संपर्क भाषा कहते हैं। यह संपर्क बातचीत तथा पत्र व्यवहार से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रस्तरीय संपर्क भाषा:** राष्ट्र स्तर पर संपर्क स्थापित करने के कारण इसे राष्ट्र स्तरीय संपर्क भाषा कहते हैं। इस भाषा के माध्यम से प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित करती है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में यह संपर्क हिंदी में किया जाता है तथा अहिंदी भाषी प्रदेशों में संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है।

iii. **विश्वस्तरीय संपर्क भाषा:**विश्व के अनेक देशों में जिस भाषा के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है उसे विश्वस्तरीय संपर्क भाषा कहा जाता है। संपूर्ण संसार में कुछ ही भाषाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अंग्रेजी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भाषा है इसके साथ साथ चीनी रूसी फ्रांसीसी आदि प्रमुख भाषाएं इन सब से हिंदी का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

4. प्रयोजनमूलक हिंदी

प्रयोजनमूलक भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाए। यह भाषा प्रशासन व्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में विकसित होकर क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज (functional language) कहते हैं। विशिष्ट प्रयोजनों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी ना किसी प्रयोजन के लिए होता है। बिना प्रयोजन की कोई भाषा नहींहोती। इसमें प्रयुक्त प्रयोजन शब्द का कोशीय अर्थ उद्देश्य है। प्रयोजनमूलक शब्द हिंदी के उस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है जो हिंदी में विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य या पूर्ति के लिए प्रयोग स्तर पर वर्तमान है। प्रयोजनमूलक शब्द प्रयोजन शब्द में मूलक प्रत्यय लगने से बना है। प्रयोजन से तात्पर्य उद्देश्य है तो मूलक से तात्पर्य आधारित है । अतः प्रयोजनमूलक से अभिप्राय किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित भाषा।

व्यावहारिक हिंदी से तात्पर्य ऐसी हिंदी से है जिस पर व्याकरण एवं सामाजिक संदर्भों की अपेक्षा व्यवहारिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। इसका अभिप्राय दैनिक जीवन में अर्थ साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी से है। इस भाषा में व्याकरणिक संरचना पर ध्यान देने के बजाय उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक बल दिया गया है। इसमें संपर्क तथा संप्रेषण की आवश्यकता होती है और इसकी अभिव्यक्ति ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में यथा प्रशासन, विधि, विज्ञान, पत्रकारिता आदि विभिन्न प्रयोजनों के रूप में होती है। इस अभिव्यक्तियों में व्याकरण से संबंधित बातों तथा सामाजिक महत्ता की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में मोटूरी सत्यनारायण जो प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक माने जाते हैं, इनका कहना है कि "जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने बाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। जीवन की बदलती परिस्थितियाँ, आवश्यकताएँ और विशिष्ट क्षेत्रों में खास प्रयोजन की आपूर्ति के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। इसमें पारिभाषिक शब्दों के साथ-साथ बने बनाए वाक्यांशों का प्रयोग होता है। यह एक

पारिवारिक शब्द है जो भाषा के विशेष प्रयोग की ओर इशारा करती है इसलिए कहा गया है कि "पारिभाषिक शब्द ही वे पहिए हैं जिन पर प्रयोजनमूलक भाषा रूपी गाढ़ी चलती है।" अर्थात भाषा का वह विशिष्ट रूप है जो विशिष्ट भाषिक संरचना से निर्मित होता है। सरकारी, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिक, विधि, वाणिज्य, व्यापार, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है। प्रयोजनमूलक भाषा का अनिवार्य अंग है पारिभाषिक शब्द। ये वे विशिष्ट शब्द है जिनका ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में विशेष और सुनिश्चित अर्थ होता है। इसका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और यह शब्द एकार्थ होते हैं। 20वीं सदी में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी ओर प्रशासन, विधि, वाणिज्य, व्यवसाय, दूरसंचार, पत्रकारिता आदि विषयों के लिए भीप्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होने लगा। वर्तमान समय में प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप दिन-प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। इसकी व्यापकता के कारण विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं जैसे वाणिज्य व्यापार संबंधी कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, जनसंचार माध्यम के लिए हिंदी आदि।

❖ **प्रयोजनमूलक हिंदी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं**

1. प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेष और पृथकशब्दावली होती है
2. इस में वाक्य रचना विशिष्ट होती है।
3. शब्दों की एकार्थता और निश्चयात्मकता प्रमुख होती है।
4. वैधानिकता, कार्यालयीन, औपचारिकता और भाषिक मानकता इसकेविशिष्ट गुण है।
5. प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित भाषा है।
6. इसके प्रचलन क्षेत्र, प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान आदि है।
7. यह साध्य नहीं साधन है।
8. इस में संवेदना नहीं विचार प्रमुख है।

9. यह संप्रेषण का माध्यम है और इसका संबंध जीविकोपार्जन से है। आज हिंदी का मानकीकरण हो चुका है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भी हो चुका है। इसी कारण हिंदी ही एकमात्र कार्यालयों और प्रयोजनमूलक भाषा की क्षमता से पूर्ण है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 6. प्रयोजनमूलक हिंदी पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

प्रयोजनमूलक हिंदी

प्रयोजनमूलक भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाए। यह भाषा प्रशासन व्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में विकसित होकर क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज (functional language) कहते हैं। विशिष्ट प्रयोजनों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी ना किसी प्रयोजन के लिए होता है। बिना प्रयोजन की कोई भाषा नहींहोती। इसमें प्रयुक्त प्रयोजन शब्द का कोशीय अर्थ उद्देश्य है। प्रयोजनमूलक शब्द हिंदी के उस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है जो हिंदी में विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य या पूर्ति के लिए प्रयोग स्तर पर वर्तमान है। प्रयोजनमूलक शब्द प्रयोजन शब्द में मूलक प्रत्यय लगने से बना है। प्रयोजन से तात्पर्य उद्देश्य है तो मूलक से तात्पर्य आधारित है । अतः प्रयोजनमूलक से अभिप्राय किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित भाषा।

व्यावहारिक हिंदी से तात्पर्य ऐसी हिंदी से है जिस पर व्याकरण एवं सामाजिक संदर्भों की अपेक्षा व्यवहारिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। इसका अभिप्राय दैनिक जीवन में अर्थ साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी से है। इस भाषा में व्याकरणिक संरचना पर ध्यान देने के बजाय उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक बल दिया गया है। इसमें संपर्क तथा संप्रेषण की आवश्यकता होती है और

इसकी अभिव्यक्ति ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में यथा प्रशासन, विधि, विज्ञान, पत्रकारिता आदि विभिन्न प्रयोजनों के रूप में होती है। इस अभिव्यक्तियों में व्याकरण से संबंधित बातों तथा सामाजिक महत्ता की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में मोटूरी सत्यनारायण जो प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक माने जाते हैं, इनका कहना है कि "जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने बाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। जीवन की बदलती परिस्थितियाँ, आवश्यकताएँ और विशिष्ट क्षेत्रों में खास प्रयोजन की आपूर्ति के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। इसमें पारिभाषिक शब्दों के साथ-साथ बने बनाए वाक्यांशों का प्रयोग होता है। यह एक पारिवारिक शब्द है जो भाषा के विशेष प्रयोग की ओर इशारा करती है इसलिए कहा गया है कि "पारिभाषिक शब्द ही वे पहिए हैं जिन पर प्रयोजनमूलक भाषा रूपी गाढ़ी चलती है।" अर्थात भाषा का वह विशिष्ट रूप है जो विशिष्ट भाषिक संरचना से निर्मित होता है। सरकारी, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिक, विधि, वाणिज्य, व्यापार, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है। प्रयोजनमूलक भाषा का अनिवार्य अंग है पारिभाषिक शब्द। ये वे विशिष्ट शब्द है जिनका ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में विशेष और सुनिश्चित अर्थ होता है। इसका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और यह शब्द एकार्थ होते हैं। 20वीं सदी में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरी ओर प्रशासन, विधि, वाणिज्य, व्यवसाय, दूरसंचार, पत्रकारिता आदि विषयों के लिए भीप्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होने लगा। वर्तमान समय में प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप दिन-प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। इसकी व्यापकता के कारण विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं जैसे वाणिज्य व्यापार संबंधी कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, जनसंचार माध्यम के लिए हिंदी आदि।

❖ **प्रयोजनमूलक हिंदी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं**

1. प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेष और पृथक शब्दावली होती है
2. इस में वाक्य रचना विशिष्ट होती है।
3. शब्दों की एकार्थता और निश्चयात्मकता प्रमुख होती है।

4. वैधानिकता, कार्यालयीन, औपचारिकता और भाषिक मानकता इसकेविशिष्ट गुण है।

5. प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित भाषा है।

6. इसके प्रचलन क्षेत्र, प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान आदि है।

7. यह साध्य नहीं साधन है।

8. इस में संवेदना नहीं विचार प्रमुख है।

9. यह संप्रेषण का माध्यम है और इसका संबंध जीविकोपार्जन से है। आज हिंदी का मानकीकरण हो चुका है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भी हो चुका है। इसी कारण हिंदी ही एकमात्र कार्यालयों और प्रयोजनमूलक भाषा की क्षमता से पूर्ण है।

5. विश्व में हिंदी का महत्व

हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है। ब बोलने वालों की दृष्टि से विश्व की समृद्ध एवं सक्षम भाषा के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। देश की सीमाओं से बाहर भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है । अमेरिका में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चीनी भाषा भाषियों का प्रथम स्थान है तथा हिंदी भाषा भाषियों का दूसरा स्थान आज हिंदी भौगोलिक सीमाओं को पार करवसुदैव कुटुंबकम का संदेश वैश्विक परिदृश्य प्रदान कर रही है। यही कारण है कि आजविश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का, भारतीय कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके सहज स्वाभाविक प्रवृत्तिने इसे पूरे विश्व में फैला दिया है। आज विश्व के 140 से अधिक देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होना हिंदी के महत्व को दर्शाता है।

राजभाषा

राजभाषा उस भाषा की कहते हैं जिसमें किसी देश का सरकारी कामकाज होता है। सबसे पहले 1949 में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैम्बेज (National language) के समांतर स्टेट लैम्बेज (State language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया की राष्ट्रभाषा (National (language) और राज (official language) में अंतर रहे। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। राजभाषा शब्द का तात्पर्य राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा से है। अनेकता में एकता लिए हुए हमारा देश एक बहु जातीय, बहु सांस्कृतिकव बहु धार्मिकव बहु भाषीयदेश है। इस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी को संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्रदान की। राजभाषा का प्रयोग राजकीय प्रशासकीय तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा है।

इसके इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान देशवासियों में जो राष्ट्रीय एकता की तीव्र भावना थी वह धीरे-धीरे कम होने लगी और क्षुद्र स्वार्थ एवं तुच्छ राजनीति की संकीर्ण भावना सिर उठाने लगी। राजभाषा अधिनियम ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की निरंतरता को संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसी के अनुसरण में भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए अनेक प्रयास किए। 1971 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक हिंदी मानक शब्दों का निर्माण किया। राजभाषा विभाग ने विधि शब्दावली एवं लगभग सभी अधिनियम और नियम संहिताओं का प्राधिकृत हिंदी पाठ तैयार किया।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली तैयारकरने का काम केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा। संविधान का पालन करते हुए 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई जिसका काम हिंदी को बढ़ावा देना है। राज्य कर्मचारियों को हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें भत्ते पुरस्कार वेतनवृति देकर प्रोत्साहित किया गया। और केंद्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ उपक्रमों निगमों एवं बैंकों में हिंदीभाषीकर्मियों को प्रबोध, प्रवीण के माध्यम से हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। अधिकांशटंककों एवं आशुलिपियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी के विकास के लिए कार्य किए गए। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों में राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम एवं राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा के अधिकारियों एवं अनुवादकों की नियुक्ति की गई। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा मंत्रालयों के लिए हिंदी सलाहकार समिति गठित की गई। इसकी समीक्षा के लिए एक विशेष समिति संसदीय राजभाषा समिति कार्य कर रही है। हिंदी प्रदेशों के साथ-साथ अन्य प्रांतों में हिंदी की अभिवृद्धि के लिए हिंदी अकादमी वर्षों से कार्यरत है।

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में स्थित हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद आदि विभागों ने हिंदी शिक्षण एवं उसके प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

कंप्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए, ईसीआईएल हैदराबाद में कंप्यूटर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के में संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइस पिलानी, टाटा ब्रदर्स मुंबई टेलीप्रिंटर्स बनाए जिनके कोड भी निर्धारित किए गए। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय होने चाहिए। समारोह के निमंत्रण द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में होना चाहिए। कार्यालयों को यह भी आदेश दिया गया कि केंद्रीय कार्यालयों में काम करने वाली फाइलें, विजिटिंग कार्ड, रबर की मुहरे, समय सूचक ओर्ड, नामपट्ट पत्रशीर्ष आदि भी अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का अनुदेश भी राजभाषा आयोग ने केंद्रीय कार्यालयों के राजभाषा विभागों को दिया। इस प्रकार सारे कामकाज हिंदी में होने लगे । हिंदी राजभाषा मात्र हिंदी प्रदेश की न होकर पूरे भारत की भाषा बन गई है। समय के साथ-साथ समाज का विकास होता है और विकास के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आवश्यकता भी विकसित होती है। हमने पहले भी चर्चा की है कि भाषाअभिव्यक्तिका माध्यम है। समाज में रहकर ही विकसित होती है और अधुनातन बनती जाती है। इस आधुनिकीकरण के कारण अब राजभाषा हिंदी के पास विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली की संख्या काफी हो गई है। दिनों-दिन इसका प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी विश्व स्तर पर आगे विश्व भाषा का स्थान ग्रहण कर रही है।

राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की भाषा अर्थात वह भाषा जिसे राष्ट्र की अधिकतर जनता समझ सके। जो संपूर्ण राष्ट्र की प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यों में प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जा सके। ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से वही भाषा

राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यह राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार-विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। यह जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूची जनता के बीच सोच, संस्कृति, विश्वास, आस्था, धर्म समाज, समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, गली-मोहल्लों, हाट-बाजार, मेले, उत्सव में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में यह सभी विशेषताएं विद्यमान है। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में अन्य भाषाओं के साथ-साथ इसे भी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा को भारतीय संविधान में संघ भाषा (language of the union) नाम से संबोधित किया गया। हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक समझी जाती है। साक्षर से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सरलता से बोल और समझ सकता है। वैसे तो संविधान में स्वीकृत सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही कहलाने के अधिकारी हैं। किंतु हिंदी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी को यह दर्जा क्यों मिला इसका कारण यह है कि अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। इसी कारण हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी की अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है यदि हम भारत की सांस्कृतिक एकता और प्राचीन मान्यताओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदीही वह कार्य कर सकती है।" स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेदेश के बहुभाषी स्वरूप को देखते हुए संपूर्ण देश को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता को समझते हुए हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनाया तथा 1918 में दक्षिण में हिंदी भाषियों के लिए हिंदी शिक्षण केंद्र स्थापित किए जहां लाखों की संख्या में दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखी।

इस प्रकार वही भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। हिंदी का शब्द भंडार देश के विविध बोलियों और भाषाओं आदि से समृद्ध है। हिंदी सभी अर्थों में राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने की अधिकारिणी है क्योंकि यही सभ्यता और संस्कृतियों के केंद्र की भाषा है। साहित्यिक दृष्टि से

अत्यंत समृद्ध व विभिन्न भाषाओं से मंडित है। देश की संस्कृति एवं उसके आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है

राष्ट्रभाषा का महत्व सबसे ऊपर है और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है 1947 तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई । राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बन गई। तब तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अभिप्राय एक ही था। बाद में इस पर विधिवत विचार विमर्श हुआ तो मान लिया गया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पहले से ही प्रतिष्ठित है और इसे संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 7. विश्व में हिंदी के स्थान को निर्धारित कीजिए।

उत्तर :

विश्व में हिंदी का महत्व

हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है। ब बोलने वालों की दृष्टि से विश्व की समृद्ध एवं सक्षम भाषा के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। देश की सीमाओं से बाहर भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है । अमेरिका में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चीनी भाषा भाषियों का प्रथम स्थान है तथा हिंदी भाषा भाषियों का दूसरा स्थान आज हिंदी भौगोलिक सीमाओं को पार करवसुदैव कुटुंबकम का संदेश वैश्विक परिदृश्य प्रदान कर रही है। यही कारण है कि आजविश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का, भारतीय कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति ने इसे पूरे विश्व में फैला दिया है। आज विश्व के 140 से अधिक देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होना हिंदी के महत्व को दर्शाता है।

प्रश्न 8. राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

राजभाषा

राजभाषा उस भाषा की कहते हैं जिसमें किसी देश का सरकारी कामकाज होता है। सबसे पहले 1949 में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैम्बेज (National language) के समांतर स्टेट लैम्बेज (State language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया की राष्ट्रभाषा (National (language) और राज (official language) में अंतर रहे। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। राजभाषा शब्द का तात्पर्य राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा से है। अनेकता में एकता लिए हुए हमारा देश एक बहु जातीय, बहु सांस्कृतिकव बहु धार्मिकव बहु भाषीयदेश है। इस देश के बहु संख्यक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली हिंदी को संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की मान्यता प्रदान की। राजभाषा का प्रयोग राजकीय प्रशासकीय तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा है।

इसके इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान देशवासियों में जो राष्ट्रीय एकता की तीव्र भावना थी वह धीरे-धीरे कम होने लगी और क्षुद्र स्वार्थ एवं तुच्छ राजनीति की संकीर्ण भावना सिर उठाने लगी। राजभाषा अधिनियम ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग की निरंतरता को संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसी के अनुसरण में भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए अनेक प्रयास किए। 1971 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक हिंदी मानक शब्दों का निर्माण किया। राजभाषा विभाग ने

विधि शब्दावली एवं लगभग सभी अधिनियम और नियम संहिताओं का प्राधिकृत हिंदी पाठ तैयार किया।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली तैयारकरने का काम केंद्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा। संविधान का पालन करते हुए 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई जिसका काम हिंदी को बढ़ावा देना है। राज्य कर्मचारियों को हिंदी सीखना अनिवार्य कर दिया गया। उन्हें भत्ते पुरस्कार वेतनवृति देकर प्रोत्साहित किया गया। और केंद्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ उपक्रमों निगमों एवं बैंकों में हिंदीभाषीकर्मियों को प्रबोध, प्रवीण के माध्यम से हिंदी में प्रशिक्षित किया गया। अधिकांशटंककों एवं आशुलिपियों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी के विकास के लिए कार्य •किए गए। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों में राजभाषा अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम एवं राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा के • अधिकारियों एवं अनुवादकों की नियुक्ति की गई। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों तथा मंत्रालयों के लिए हिंदी सलाहकार समिति गठित की गई। इसकी समीक्षा के लिए एक विशेष समिति संसदीय राजभाषा समिति कार्य कर रही है। हिंदी प्रदेशों के साथ-साथ अन्य प्रांतों में हिंदी की अभिवृद्धि के लिए हिंदी अकादमी वर्षों से कार्यरत है।

स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में स्थित हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद आदि विभागों ने हिंदी शिक्षण एवं उसके प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

कंप्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए, ईसीआईएल हैदराबाद में कंप्यूटर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के में संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइस पिलानी, टाटा ब्रदर्स मुंबई टेलीप्रिंटर्स बनाए जिनके कोड भी निर्धारित किए गए। यह

निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय होने चाहिए। समारोह के निमंत्रण द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में होना चाहिए। कार्यालयों को यह भी आदेश दिया गया कि केंद्रीय कार्यालयों में काम करने वाली फाइलें, विजिटिंग कार्ड, रबर की मुहरे, समय सूचक ओर्ड, नामपट्ट पत्रशीर्ष आदि भी अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का अनुदेश भी राजभाषा आयोग ने केंद्रीय कार्यालयों के राजभाषा विभागों को दिया। इस प्रकार सारे कामकाज हिंदी में होने लगे । हिंदी राजभाषा मात्र हिंदी प्रदेश की न होकर पूरे भारत की भाषा बन गई है। समय के साथ-साथ समाज का विकास होता है और विकास के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आवश्यकता भी विकसित होती है। हमने पहले भी चर्चा की है कि भाषाअभिव्यक्तिका माध्यम है। समाज में रहकर ही विकसित होती है और अधुनातन बनती जाती है। इस आधुनिकीकरण के कारण अब राजभाषा हिंदी के पास विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली की संख्या काफी हो गई है। दिनों-दिन इसका प्रयोग बढ़ रहा है। हिंदी विश्व स्तर पर आगे विश्व भाषा का स्थान ग्रहण कर रही है।

राष्ट्रभाषा :

राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की भाषा अर्थात वह भाषा जिसे राष्ट्र की अधिकतर जनता समझ सके। जो संपूर्ण राष्ट्र की प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यों में प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जा सके। ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र में प्रचलित अनेक भाषाओं में से वही भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो सकती है जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। यह राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार-विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। यह जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूची जनता के बीच सोच, संस्कृति, विश्वास, आस्था, धर्म समाज, समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, गली-मोहल्लों, हाट-बाजार, मेले, उत्सव में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में यह सभी विशेषताएं विद्यमान है। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में अन्य भाषाओं के साथ-साथ इसे भी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा को भारतीय संविधान में संघ भाषा (language of

the union) नाम से संबोधित किया गया। हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक समझी जाती है। साक्षर से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सरलता से बोल और समझ सकता है। वैसे तो संविधान में स्वीकृत सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही कहलाने के अधिकारी हैं। किंतु हिंदी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी को यह दर्जा क्यों मिला इसका कारण यह है कि अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। इसी कारण हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी की अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करते हुए महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है यदि हम भारत की सांस्कृतिक एकता और प्राचीन मान्यताओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदीही वह कार्य कर सकती है।" स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेदेश के बहुभाषी स्वरूप को देखते हुए संपूर्ण देश को एक सूत्र में जोड़ने की आवश्यकता को समझते हुए हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनाया तथा 1918 में दक्षिण में हिंदी भाषियों के लिए हिंदी शिक्षण केंद्र स्थापित किए जहां लाखों की संख्या में दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखी।

इस प्रकार वही भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। हिंदी का शब्द भंडार देश के विविध बोलियों और भाषाओं आदि से समृद्ध है। हिंदी सभी अर्थों में राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने की अधिकारिणी है क्योंकि यही सभ्यता और संस्कृतियों के केंद्र की भाषा है। साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध व विभिन्न भाषाओं से मंडित है। देश की संस्कृति एवं उसके आदर्शों तथा देशवासियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है

राष्ट्रभाषा का महत्व सबसे ऊपर है और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है 1947 तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बन गई। तब तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अभिप्राय एक ही था। बाद में इस पर विधिवत विचार विमर्श हुआ तो मान लिया गया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पहले से ही प्रतिष्ठित है और इसे संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा भी दिया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भाषा क्या है? भाषा की परिभाषाएँ लिखिए।
2. भाषा की संरचना से क्या तात्पर्य है?
3. प्रयोजनमूलक हिंदी पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओंपर प्रकाश डालिए।
4. राष्ट्रभाषा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5. राजभाषा क्या है?
6. राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए।
7. संपर्क भाषा क्या है? उसके विभिन्न रूपों को समझाइए।
8. विश्व में हिंदी के स्थान को निर्धारित कीजिए।
9. भाषा की परिभाषाएँ लिखिए।
10. प्रयोजनमूलक हिंदी की निम्नलिखित विशेषताएं लिखिए।

यूनिट 2. हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का परिचय

विधा का अर्थ है, किस्म, वर्ग या श्रेणी अर्थात् विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग करना। साहित्य में विधा शब्द का प्रयोग, एक वर्गकारक के रूप में किया जाता है। विधाएँ अस्पष्ट श्रेणियाँ हैं, इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती, इनकी पहचान समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्मित की जाती है। विधाएँ कई तरह के हैं; उदाहरण के लिए

1. कविता
2. कहानी
3. उपन्यास
4. नाटक
5. एकांकी
6. निबंध
7. आत्मकथा
8. संस्मरण
9. रेखाचित्र
10. व्यंग्य
11. अन्य विधाएँ। पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है

1. कविता

प्रस्तावना

मानव सामाजिक प्राणी है। इसीलिए इस चराचर सृष्टिमें मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे वाणी का वरदान प्राप्त हुआहै। इस वाणी के माध्यम से वह न केवल अपने विचारों, भावों और अनुभवों को दूसरे तक संप्रेषित करता है, बल्कि उन्हें लिपिबद्ध कर शाश्वत भी बना सकता है। मानव सभ्यता के विकास में वाणी या भाषा तथा लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है।

काव्य, कविता या पद्य, साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाव के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।

कविता का अर्थ

कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना' या कवि की कृति जो उदो में अभिव्यक्त होती है। काव्य वह वाक्यरचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोभावोसे पूर्ण हो अर्थात् वह जिसमें चुने हुएशब्दों के द्वारा कल्पना और भावों का प्रभावडाला जाता है।

कविता की परिभाषा

मनुष्य संवेदनशील एवं चेतना संपन्न प्राणी है। इसमें मन प्रकृति में प्रतिपल होने वाले सौम्य, मनोरम एवं विकास परिवर्तनों से भी भाव ग्रहण करता है। आसपास होने वाले सुख-दुःख, आशा-निराशा, प्रेम-घृणा, दया-क्रोध से युक्त रहता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा से ज्ञान एवं आनंद के उस भंडार का सृजन, संशय एवं संवर्द्धन होता रहा है। जिसे साहित्य कहते हैं। उसी साहित्य का एक अंग कविता है।

कविता को अनेक भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयासकिया है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशाकहलाती है, हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द

विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं।" आचार्य विश्वनाथ वाक्यम् रसात्मकम् काव्यम्' अर्थात् रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है।महाकवि जयशंकर ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है "आत्मा कीसंकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है- जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान मेंनहीं है। यह एक श्रेयमयी पूर्ण रचना है।"

सुमित्रानंदन पंत जी ने काव्य को परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है।" कवि धूमिल के अनुसार 'कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है तथा कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है' कहकर कविता को नए ढंग से व्याख्यायित किया है।

हिंदी कविता का उद्भव और विकास

हिंदी कविता की यात्रा के उद्भव काल से ही प्रारंभ हुई मानी जाती है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कविता के उद्भव कासन् 789ई माना है। यह वह समय था जब हिंदी अपभ्रंश का केंचुल छोड़कर अपना रूप ले रही थी।

हिंदी के उद्भव से उसके वर्तमान तक के विकास में कवियों की काव्य-चेतना ने कई करवटें ली हैं। ये करवटें अधिकतर काव्यवस्तु और काव्यभाषा में ली गई है। काव्य की समझ, दृष्टि और उसका सत्य लगभग एक सा है। इन काव्यवस्तुओं में भारतेंदु के समय तक भावों की प्रधानता है। छायावाद में कल्पना प्रधान हो गई है। इसके बाद के कवियों की काव्यचेतना बहुतउलझी हुईहै। वर्तमान में भी वही स्थिति है। अज्ञेय इसे उलझी हुईसंवेदना कहते हैं।

हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में चारण साहित्य के उपरांत विद्वानों ने कुछ फुटकर कवियों की चर्चा की है। वे अपने क्षेत्रों में बढ़े ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने पहेलियाँ और मुकरिया लिखीं, जो उस समय की जन-मनोवृत्ति के अनुकूल थी। विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध पदावली, पुरानी हिंदी के अवहट्ट रूप में लिखी। कहा जाता है कि इधर वह पद रचते थे और उधर दूसरे दिन वह पद पूरी मिथिला में गाए जाने लगते थे। ये दोनों ही दरबारी कवि थे।

चौदहवीं सदी के बाद हिंदी काव्यधारा में कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँएकदम अलग हो जाती हैं। कबीर ने पराजय से जड़ हो चुकी देश की मानसिकता को झकझोर

देने के लिए अपने काव्य में अनेक प्रयोग किए जायसी ने इसके लिए सूफी प्रेम को आख्यानक काव्यों में पिरोया। तुलसी ने राम का चरित-काव्य लिखा और सूरदास ने कृष्ण की बाल और युवा छवि तथा गोपी-विरह को अपने काव्य का आधार बनाया।

सत्रहवीं सदी के अंत तक भक्ति काव्य की सरिता अविच्छिन्न बहती रही। इस सदी का अंत होते-होते कदाचित अचानक कवियों की दृष्टि में एक उल्लेखनीय मोड़ आया। भक्ति की काव्यधारा क्षीण हो गई। अब कवियों की दृष्टि में रीति प्रमुख हो गई । कुछ समय बाद जो कविताएं लिखी गई वे रीति परंपरा से अलग थीं। इनके बाद सन् 1857 में साहित्य के क्षेत्र में भारतेंद के आने से हिंदी की काव्यचेतना में बुनियादी मोड़ आया। बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि हिंदी साहित्य के हर विधागत क्षेत्र में चेतनागत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पश्चिमी चेतना की बयार ने साहित्य के प्रति उसकी दृष्टि को नया आयाम और विस्तार दिया।

भारतेंद के बाद कविता में जातीय चेतना के स्वर ने स्थान पाया। इसी युग में खड़ीबोली का प्रयोग किया गया। हिंदी कविता की इस चेतना यात्रा में सरहपाद (सरोजभद्र) ने खड़ीबोली हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक के हिंदी कवियों कीकाव्य चेतना युगानुरूप परिमार्जित और परिवर्तित होती रही है। इसके बाद हिंदी काव्य जगत में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। कविता की इस प्रगतिवादी धारा के उपरांत कवियों में एक बेचैनी थी, कविता के क्षेत्र में कुछ नया देने की। ये कविता में विश्वचिंता से कदम मिलाना चाहते थे।

कालांतर में कई सम-विषम परिस्थितियों व घटनाओं से प्रभावित होते हुए आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर प्राप्त किये। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य, दोनों ने हिंदी कविता को समृद्ध किया। संगीत रूपक, गीत-नाट्य वगैरह क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। कविता के बाहय एवं अंतरंग रूपों में युगानुरूप जो नए-नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं, वे हिंदी कविता की जीवनी शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक हैं।

कविता के तत्व

कविता के चार सौंदर्य तत्व हैं- 1. भाव सौंदर्य, 2. विचार सौंदर्य, 3. नाद सौंदर्य, 4. प्रस्तुत योजना का सौंदर्य। इन्हें निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है तुक, छंद, शब्द योजना और अलंकार।

कविता के भेद

कविता के मुख्यतः छः भेद माने गए हैं- 1. महाकाव्य, 2. खंडकाव्य, 3. आख्यान गीतिका, 4. मुक्तक काव्य, 5. पाठ्य मुक्तक, 6. गेय मुक्तक।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. कविता विधा पर अपने विचार लिखिए।

उत्तर :

हिंदी कविता का उद्भव और विकास

हिंदी कविता विधा की यात्रा के उद्भव काल से ही प्रारंभ हुई मानी जाती है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कविता के उद्भव कासन् 789ई माना है। यह वह समय था जब हिंदी अपभ्रंश का केंचुल छोड़कर अपना रूप ले रही थी।

हिंदी के उद्भव से उसके वर्तमान तक के विकास में कवियों की काव्य-चेतना ने कई करवटें ली हैं। ये करवटें अधिकतर काव्यवस्तु और काव्यभाषा में ली गई है। काव्य की समझ, दृष्टि और उसका सत्य लगभग एक सा है। इन काव्यवस्तुओं में भारतेंदु के समय तक भावों की प्रधानता है। छायावाद में कल्पना प्रधान हो गई है। इसके बाद के कवियों की काव्यचेतना बहुतउलझी हुईहै। वर्तमान में भी वही स्थिति है। अज्ञेय इसे उलझी हुईसंवेदना कहते हैं।

हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में चारण साहित्य के उपरांत विद्वानों ने कुछ फुटकर कवियों की चर्चा की है। वे अपने क्षेत्रों में बढ़े ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने पहेलियाँ और मुकरिया लिखीं, जो उस समय की जन-मनोवृत्ति के अनुकूल थी। विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध पदावली, पुरानी हिंदी के अवहट्ट रूप में लिखी। कहा जाता है कि इधर वह पद रचते थे और उधर दूसरे दिन वह पद पूरी मिथिला में गाए जाने लगते थे। ये दोनों ही दरबारी कवि थे।

चौदहवीं सदी के बाद हिंदी काव्यधारा में कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एकदम अलग हो जाती हैं। कबीर ने पराजय से जड़ हो चुकी देश की मानसिकता को झकझोर देने के लिए अपने काव्य में अनेक प्रयोग किए जायसी ने इसके लिए सूफी प्रेम को आख्यानक काव्यों में पिरोया। तुलसी ने राम का चरित-काव्य लिखा और सूरदास ने कृष्ण की बाल और युवा छवि तथा गोपी-विरह को अपने काव्य का आधार बनाया।

सत्रहवीं सदी के अंत तक भक्ति काव्य की सरिता अविच्छिन्न बहती रही। इस सदी का अंत होते-होते कदाचित अचानक कवियों की दृष्टि में एक उल्लेखनीय मोड़ आया। भक्ति की काव्यधारा क्षीण हो गई। अब कवियों की दृष्टि में रीति प्रमुख हो गई । कुछ समय बाद जो कविताएं लिखी गई वे रीति परंपरा से अलग थीं। इनके बाद सन् 1857 में साहित्य के क्षेत्र में भारतेंद के आने से हिंदी की काव्यचेतना में बुनियादी मोड़ आया। बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि हिंदी साहित्य के हर विधागत क्षेत्र में चेतनागत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पश्चिमी चेतना की बयार ने साहित्य के प्रति उसकी दृष्टि को नया आयाम और विस्तार दिया।

भारतेंद के बाद कविता में जातीय चेतना के स्वर ने स्थान पाया। इसी युग में खड़ीबोली का प्रयोग किया गया। हिंदी कविता की इस चेतना यात्रा में सरहपाद (सरोजभद्र) ने खड़ीबोली हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक के हिंदी कवियों कीकाव्य चेतना युगानुरूप परिमार्जित और परिवर्तित होती रही है। इसके बाद हिंदी काव्य जगत में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। कविता की इस प्रगतिवादी धारा के उपरांत कवियों में एक बेचैनी थी, कविता के क्षेत्र में कुछ नया देने की। ये कविता में विश्वचिंता से कदम मिलाना चाहते थे।

कालांतर में कई सम-विषम परिस्थितियों व घटनाओं से प्रभावित होते हुए आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर प्राप्त किये। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य, दोनों ने हिंदी कविता को समृद्ध किया। संगीत रूपक, गीत-नाट्य वगैरह क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। कविता के बाह्य एवं अंतरंग रूपों में युगानुरूप जो नए-नए प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं, वे हिंदी कविता की जीवनी शक्ति एवं स्फूर्ति के परिचायक हैं।

2. कहानी

प्रस्तावना

मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ। कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। कथा की परंपरा भले ही अत्यंत प्राचीन हो परंतु हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में कहानी जिस अर्थ में आयी है उसका इतिहास उन्नीसवीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा केरूप में स्वीकृत हो चुकी है।

कहानी का अर्थ एवं परिभाषा

कहानी का शाब्दिक अर्थ कथा होती है, परंतु आकार में जो छोटी कथा होती है उसे ही हिंदी साहित्य में कहानी कहा जाता है।

परिभाषा

हिंदी कहानी को सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद जी ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार से की है; "कहानी वह ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्र को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता।"

अमेरिका के कवि-आलोचक कथाकार एडगर एलिन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है: “कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो

बाबू श्याम सुंदरदास कहानी में नाटकीय तत्वों को प्रमुखता प्रदान करते हुए कहते हैं- "कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। मानव जीवन और मानव चित्रण के किसी एक पहलू पर या उसमें घटित किसी एक घटना पर प्रकाश डालने के लिए कहानी लिखी जाती है। कहानी में अधिक विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। कहानी लेखक का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य

जीवन को चित्रित करना नहीं होता, बरन उसके चरित्र के एक अंग या पक्ष मात्र को दिखाना है।"

हिंदी कहानी का उद्भव और विकास

संस्कृत का कथा-साहित्य अखिल विश्व के कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है, परंतु आधुनिक हिंदी कहानी का विकास संस्कृत-कथा-साहित्य की परंपरा मेंन होकर पाश्चात्य साहित्य विशेषतया अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ। उपन्यासों की भाँति कहानियों की रचना का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से हुआ। यद्यपि आलोचकों ने ब्रजभाषा में लिखी गयी भक्त कवियों की कथा- 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' तथा 'दो सौ चौरासी वैष्णवों की वार्ता' को आधुनिक हिंदी का प्रारंभ माना; परंतु कहानी के तत्वों को दृष्टि में रखते हुए यह मान्यता उपयुक्त नहीं है। इसके बाद कुछ आलोचकों में हिंदी के प्रारंभिक गद्यकारों-सदासुखलाल के 'सुखसागर, लल्लूलाल के 'प्रेमसागर', सदलमिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' तथा इंशाअल्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी' को हिंदी की प्रारंभिक कथा कृतियों में माना जाता है, परंतु आधुनिक कहानियों के तत्वों, विषयों और विचारधाराओं को देखते हुए यह मत भी उपयुक्त नहीं दिखायी पड़ता। अतः आधुनिक युग में विकसित होगा।

कहानी कला का जन्म भी भारतेंदु से ही मानना उपयुक्त भारतेंदु द्वारा लिखित "एक अद्भुतअपूर्व स्वप्न" को इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है। इस युग के दूसरे कहानीकार गौरीदत्त शर्मा है। इनकी कहानी 'टका कमानी' और 'देवरानी जेठानी की कहानी उपदेश प्रधान कहानियाँ है।

कहानी-कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान 'सरस्वती' पत्रिका का है। इसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की 'इंदुमती' है। इसी क्रम में भगवानदास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की ग्यारह वर्ष का स्वप्न, गिरजादत बाजपेयी की पंडित और पंडितानी' तथा बंगमहिला की 'दुलाईवाली विशेष उल्लेखनीय है। प्रेमचंद की भी कई कहानियाँ सरस्वती में छपी

प्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिष्ठित किया। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी 'ग्राम' इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। आकाशदीप, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि प्रसाद जी की

उत्कृष्ट कहानियों है। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई। उपन्यासों की भांति हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथोंहुआ। इन्होंने लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी कला कोसंरुद्धा बनाया प्रेमचंद की उल्लेखनीय कहानियों में इनकी प्रथम पंचपरमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात करून आदि है। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर नाम से आठ संग्रह में प्रकाशित हुईहैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी कला के उत्कर्ष में चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' का योगदान चिरस्मरणीय है। इन्होंने अपनी तीन कहानियों 'उसने कहा था', 'सुखमय जीवन' और 'बुद्ध का कांटा' से ही जितनी कीर्ति अर्जित कर ली, उतनी दर्जनों कहानियाँ लिखकर भी अन्य कहानीकार न कर सके। 'गुलेरी' जी के बाद कहानी-क्षेत्र में विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक का नाम उल्लेखनीय है। इनकी वह प्रतिमा' और 'ताई' कहानियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस युग के अन्य प्रतिष्ठित कहानीकारों में पं. बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन पांडेय बेचन शर्मा ''उम्र', आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि है।

बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप अपने आप में नयापन लिए कहानी लिखी जाने लगी। इसमें प्रमुख हैं जैनेंद्र जी इनकी तमाशा, पत्नी, भाभी, परदेशी आदि कहानियों में बदले हुए युग की दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। जैनेंद्र जी के समक्ष ही ज्वाला दत्त शर्मा की 'भाग्यचक्र', 'अनाथ बालिका आदि उल्लेखनीय है। जनार्दन प्रसाद चंडीप्रसाद हृदयेश, गोविंद बल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि इसी खेमे के कहानीकार है।

इसके बाद हिंदी में मनोविश्लेषण परक कहानियों की परंपरा चली। इस दृष्टि से इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि की कहानियों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन प्रमुख है। अज्ञेय की कहानियाँ भी फ्रायड के मनोविश्लेषण बाद से प्रभावित है। सन् 1960 के बाद की कहानियों का लेवर बदला हुआ है। इन कहानियों को ''माठोत्तरी कहानी कहा जाता है। इस दौर में कई कहानी आंदोलन चले जिनमें अकहानी सहज कहानी सचेतन कहानी समांतर कहानी और सक्रिय कहानी आदोलन प्रमुख है। बाद मेंजनवादी कहानी आंदोलन में इनका समाहार हो जाता है. ।

नब्बे के दशक की कहानी और 21 वीं सदी के पहले दशक की कहानी का अभी तक समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है। उपरोक्त विश्लेषण से यह तो तय है कि कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है।

कहानी के तत्व

चरित्र चित्रण,मुख्यतः कहानी के छः तत्व माने गए हैं। 1. कथावस्तु, 2, 3. संवाद, 4. देशकाल या वातावरण, 5. भाषा-शैली, 6. उद्देश्य

कहानी के भेद

कहानी के चार प्रमुख भेद माने गए हैं- 1. घटना प्रधान कहानी, 2. चरित्र प्रधान कहानी, 3. वातावरण प्रधान कहानी, 4. भावप्रधान कहानी।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. हिंदी कहानी केविकास पर अपने विचार लिखिए ।

उत्तर :

हिंदी कहानी का उद्भव और विकास

संस्कृत का कथा-साहित्य अखिल विश्व के कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है, परंतु आधुनिक हिंदी कहानी का विकास संस्कृत-कथा-साहित्य की परंपरा मेंन होकर पाश्चात्य साहित्य विशेषतया अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ। उपन्यासों की भाँति कहानियों की रचना का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से हुआ। यद्यपि आलोचकों ने ब्रजभाषा में लिखी गयी भक्त कवियों की कथा- 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' तथा 'दो सौ चौरासी वैष्णवों की वार्ता' को आधुनिक हिंदी का प्रारंभ माना; परंतु कहानी के तत्वों को दृष्टि में रखते हुए यह मान्यता उपयुक्त नहीं है। इसके बाद कुछ आलोचकों में हिंदी के प्रारंभिक गद्यकारों-सदासुखलाल के 'सुखसागर, लल्लूलाल के 'प्रेमसागर', सदलमिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' तथा इंशाअल्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी' को हिंदी की प्रारंभिक कथा कृतियों में माना जाता है, परंतु आधुनिक कहानियों के तत्वों, विषयों और विचारधाराओं को देखते हुए यह मत भी उपयुक्त नहीं दिखायी पड़ता। अतः आधुनिक युग में विकसित होगा।

कहानी कला का जन्म भी भारतेंदु से ही मानना उपयुक्त भारतेंदु द्वारा लिखित "एक अद्भुतअपूर्व स्वप्न" को इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है। इस युग के दूसरे कहानीकार गौरीदत्त शर्मा है। इनकी कहानी 'टका कमानी' और 'देवरानी जेठानी की कहानी उपदेश प्रधान कहानियाँ है।

कहानी-कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान 'सरस्वती' पत्रिका का है। इसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की 'इंदुमती' है। इसी क्रम में भगवानदास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की ग्यारह वर्ष का स्वप्न, गिरजादत बाजपेयी की पंडित और पंडितानी' तथा बंगमहिला की 'दुलाईवाली विशेष उल्लेखनीय है। प्रेमचंद की भी कई कहानियाँ सरस्वती में छपीप्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिष्ठित किया। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी 'ग्राम' इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। आकाशदीप, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि प्रसाद जी की उत्कृष्ट कहानियों है। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई। उपन्यासों की भांति हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथोंहुआ। इन्होंने लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी कला कोसंरुद्धा बनाया प्रेमचंद की उल्लेखनीय कहानियों में इनकी प्रथम पंचपरमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात करून आदि है। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ मानसरोवर नाम से आठ संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी कला के उत्कर्ष में चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' का योगदान चिरस्मरणीय है। इन्होंने अपनी तीन कहानियों 'उसने कहा था', 'सुखमय जीवन' और 'बुद्ध का कांटा' से ही जितनी कीर्ति अर्जित कर ली, उतनी दर्जनों कहानियाँ लिखकर भी अन्य कहानीकार न कर सके। 'गुलेरी' जी के बाद कहानी-क्षेत्र में विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक का नाम उल्लेखनीय है। इनकी वह प्रतिमा' और 'ताई' कहानियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस युग के अन्य प्रतिष्ठित कहानीकारों में पं. बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शनपांडेय बेचन शर्मा "उग्र', आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि है।

बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप अपने आप में नयापन लिए कहानी लिखी जाने लगी। इसमें प्रमुख हैं जैनेंद्र जी इनकी तमाशा, पत्नी, भाभी, परदेशी आदि कहानियों में बदले हुए युग की दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म

मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। जैनेंद्र जी के समक्ष ही ज्वाला दत्त शर्मा की 'भाग्यचक्र', 'अनाथ बालिका आदि उल्लेखनीय है। जनार्दन प्रसाद चंडीप्रसाद हृदयेश, गोविंद बल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि इसी खेमे के कहानीकार है।

इसके बाद हिंदी में मनोविश्लेषण परक कहानियों की परंपरा चली। इस दृष्टि से इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि की कहानियों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन प्रमुख है। अज्ञेय की कहानियाँ भी फ्रायड के मनोविश्लेषण बाद से प्रभावित है। सन् 1960 के बाद की कहानियों का लेवर बदला हुआ है। इन कहानियों को

"माठोत्तरी कहानी कहा जाता है। इस दौर में कई कहानी आंदोलन चले जिनमें अकहानी सहज कहानी सचेतन कहानी समांतर कहानी और सक्रिय कहानी आदोलन प्रमुख है। बाद मेंजनवादी कहानी आंदोलन में इनका समाहार हो जाता है. । नब्बे के दशक की कहानी और 21 वीं सदी के पहले दशक की कहानी का अभी तक समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह तो तय है कि कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में

स्वीकृत हो चुकी है।

3. उपन्यास

प्रस्तावना

उपन्यास इस नए युग का सबसे अधिक संभावनाओं से युक्त रूप है, जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिंताओं के साथ संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव-जीवन की विविध विषमताओं और समस्याओं को चित्रित करने का जितना अवसर उपन्यास में है उतना अन्यत्र नहीं।

इसलिए उपन्यास आज की जनप्रिय विधा ही नहीं है, अपितु साहित्य की अन्य सभी विधाओं में जीवन के सर्वाधिक समीप है। यही कारण है कि अल्पकाल में ही वस्तु-विन्यास और शैली दोनों ही दृष्टियों से इतनी प्रगति की है कि वह आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त विधा बन गई है।

उपन्यास का अर्थ एवं परिभाषा

उपन्यास का अर्थ है- उप-निकट और न्यास रखा हुआ अर्थात् उपन्यास वह रचना है, जिसमें जीवन के अनेक पक्षी का चित्रण निकट या समीप से किया गया हो।

परिभाषा

उपन्यास की परिभाषा देते हुए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, "मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।" इस परिभाषा में हम देखते हैं कि मानव जीवन और मानव-चरित्र को ही उपन्यास का केंद्र और मूलाधार माना गया है। बाबू श्याम सुंदरदास ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उनके अनुसार "उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। "

हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास

हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हिंदी उपन्यास के इतिहास में भारतेंद जी के दर्जनों बंगला उपन्यास का हिंदी में अनुवाद हुआ। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने हिंदी में मौलिक उपन्यासों के अभाव को ध्यान में रखते हुए समकालीन लेखकों को मौलिक लेखन की प्रेरणा दी।

इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रेरणाओं एवं सुझावों द्वारा हिंदी में एक नयी विधा का मार्ग प्रशस्त किया था।

श्रद्धाराम फुलौरी को प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। इनका पहला और मौलिक उपन्यास 'भाग्यवती' है। कुछ विद्वान् लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम उपन्यास मानते हैं।

पं. बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा सी सुजान एक 'अजान' का काफी महत्व है। भारतेंद हरिश्चंद्र की उपन्यास के क्षेत्र में एक मात्र रचना 'पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा' है। देवकी नंदन खत्री हिंदी साहित्य में तिलिस्मी ऐय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। भाव प्रधान, उपन्यासकारों में जगमोहन सिंह का आदर से नाम लिया जाता है, जिसकी एकमात्र रचना है श्यामस्वप्न' राधाकृष्ण दास का भी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका एकमात्र उपन्यास "निःसहाय हिंदू है।

अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ीबोली का जनक कहा जाता है। इनके दो उपन्यास देठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल' भी काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रारंभिक युग के जिन प्रमुख उपन्यासकारों का उल्लेख ऊपर किया गया है,उनके अतिरिक्त और भी उपन्यासकार है, जिन्होंने आलोच्यकाल के हिंदी उपन्यासों की विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रेमचंद जी का उपन्यास के क्षेत्र में पदार्पण को युगांतकारी घटना मानी जाती है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को कल्पना जगत से उठाकर यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित किया। अतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युगप्रवर्तक हैं। उनके उपन्यास में विशाल जन-जीवन और विशेषतः भारत के किसान और मध्यवर्गीय जीवन की अनेक समस्याएँ कलात्मक रूप से चित्रित हुई है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है- निर्मला, सेवासदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान आदि।

प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन आदि प्रमुख हैं।

प्रेमचंद के उपरांत हिंदी कथा साहित्य ने करवट बदली। उसमें नए-नए कला सिद्धांत का समावेश हु आ, जो निश्चित रूप से प्रेमचंद युगीन सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा से भिन्न थे। जैनेंद्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यासों में व्यक्ति चित्रण को अपनाया गया। इस प्रकार प्रेमचंद के उपरांत हमारी औपन्यासिक मान्यता में पर्याप्त अंतर आया।

स्वतंत्रता के पश्चात उपन्यासकारों की दृष्टि लोक संस्कृति की ओर अधिक उन्मुख हु ईहै। लेखकों में जीवन के यथार्थ में गहरे उतरकर जनवादी साहित्य-सृ जन की आवश्यकता महसूस की है। जो सबसे अधिक उत्पीडित, उपेक्षित और शोषित वर्ग को अपनी सहानुभूति दे सके, वह लेखक सच्चा जनवादी है। इनमें प्रमुख है फणीश्वरनाथ रेणु गिय राघव, नागार्जुन, यशपाल, नरेश मेहता, कमलेश्वर आदि हैं।

उपन्यास के तत्व

(उपन्यास के कल मिलाकर तत्व माने जाते हैं, जो इस प्रकार है: 1. कथावस्तु 2. चरित्र चित्रण 3. कथोपकथन 4. देशकाल तथा वातावरण, 5. रोली, 6. उद्देश्य

उपन्यास के भेद

उपन्यास के प्रमुख' भेद सात माने जाते हैं, जो इस प्रकार है: 1. सामाजिक, 2. ऐतिहासिक, 3. राजनैतिक, 4, पौराणिक, 5. आंचलिक, 6. जासूसी, 7. क्रांतिकारी

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. उपन्यास की परिभाषा देते हु एउनके तत्वों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

उपन्यास का परिभाषाएवंउपन्यास के तत्व

उपन्यास का अर्थ है- उप-निकट और न्यास रखा हु आ अर्थात् उपन्यास वह रचना है, जिसमें जीवन के अनेक पक्षी का चित्रण निकट या समीप से किया गया हो।

परिभाषा

उपन्यास की परिभाषा देते हु ए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, "मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ।मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।" इस परिभाषा में हम देखते हैं कि मानव जीवन और मानव-चरित्र को ही उपन्यास का केंद्र और मूलाधार माना गया है। बाबू श्याम सुंदरदास ने उपन्यास की परिभाषा देते हु ए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उनके अनुसार "उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। "

उपन्यास के तत्व

(उपन्यास के कल मिलाकर तत्व माने जाते हैं, जो इस प्रकार है-

1. कथावस्तु
2. चरित्र चित्रण
3. कथोपकथन
4. देशकाल तथा वातावरण
5. रोली
6. उद्देश्य

प्रश्न 2. उपन्यास विधा पर अपने विचार लिखिए।

उत्तर :

हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास

हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हिंदी उपन्यास के इतिहास में भारतेंद जी के दर्जनों बंगला उपन्यास का हिंदी में अनुवाद हु आ। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने हिंदी में मौलिक उपन्यासों के अभाव को ध्यान में रखते हु ए समकालीन लेखकों को मौलिक लेखन की प्रेरणा दी। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रेरणाओं एवं सुझावों द्वारा हिंदी में एक नयी विधा का मार्ग प्रशस्त किया था।

श्रद्धाराम फुलौरी को प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। इनका पहला और मौलिक उपन्यास 'भाग्यवती' है। कुछ विद्वान् लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम उपन्यास मानते हैं।

पं. बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास 'नूतन ब्रह्मचारी' तथा सी सुजान एक 'अजान' का काफी महत्व है। भारतेंद हरिश्चंद्र की उपन्यास के क्षेत्र में एक मात्र रचना 'पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा' है। देवकी नंदन खत्री हिंदी साहित्य में तिलिस्मी ऐय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। भाव प्रधान, उपन्यासकारों में जगमोहन सिंह का आदर से नाम लिया जाता है, जिसकी एकमात्र रचना है श्यामस्वप्न' राधाकृष्ण दास का भी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका एकमात्र उपन्यास ''निःसहाय हिंदू है।

अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ीबोली का जनक कहा जाता है।

इनके दो उपन्यास देठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल' भी काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रारंभिक युग के जिन प्रमुख उपन्यासकारों का उल्लेख ऊपर किया गया है,उनके अतिरिक्त और भी उपन्यासकार है, जिन्होंने आलोच्यकाल के हिंदी उपन्यासों की विभिन्न प्रवृत्तियोंके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रेमचंद जी का उपन्यास के क्षेत्र में पदार्पण को युगांतकारी घटना मानी जाती है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को कल्पना जगत से उठाकर यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित किया। अतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युगप्रवर्तक हैं। उनके उपन्यास में विशाल जन-जीवन और विशेषतः भारत के किसान और मध्यवर्गीय जीवन की अनेक समस्याएँ कलात्मक रूप से चित्रित हुई है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है- निर्मला, सेवासदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान आदि।

प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन आदि प्रमुख हैं।

प्रेमचंद के उपरांत हिंदी कथा साहित्य ने करवट बदली। उसमें नए-नए कला सिद्धांत का समावेश हुआ, जो निश्चित रूप से प्रेमचंद युगीन सामाजिक यथार्थवाद

की परंपरा से भिन्न थे। जैनेंद्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यासों में व्यक्ति चित्रण को अपनाया गया। इस प्रकार प्रेमचंद के उपरांत हमारी औपन्यासिक मान्यता में पर्याप्त अंतर आया।

स्वतंत्रता के पश्चात उपन्यासकारों की दृष्टि लोक संस्कृति की ओर अधिक उन्मुख हु ईहै। लेखकों में जीवन के यथार्थ में गहरे उतरकर जनवादी साहित्य-सृ जन की आवश्यकता महसूस की है। जो सबसे अधिक उत्पीडित, उपेक्षित और शोषित वर्ग को अपनी सहानुभूति दे सके, वह लेखक सच्चा जनवादी है। इनमें प्रमुख है फणीश्वरनाथ रेणु गिय राघव, नागार्जुन, यशपाल, नरेश मेहता, कमलेश्वर आदि हैं।

4. नाटक

प्रस्तावना

नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है। जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे नाटक या दृश्य-श्रव्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूक प्रेरणा माना गया है। इसलिए साहित्य की विभिन्न विधाओं में नाटक का विशेष महत्व है।

नाटक का अर्थ एवं परिभाषा

नाटक शब्द की उत्पत्ति 'नट' धातु से माना गया है जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। इसका संबंध नृत्य एवं अभिनय से जोड़ा जाता है। नाटक में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण होता है, रूपक का अर्थ रूप या आकृति का अनुकरण है। वास्तव में आज नाटक जिस अर्थ में प्रचलित है उसमें दृश्य, अवस्थाएँ तथा रूप की अनुकृति होती है। नाटक रंगमंच पर अभिनीत होने के कारण यह दृश्य भी है तथा श्रव्य भी।

परिभाषा

बाबू गुलाबराय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते प्राण रूप में किया जाता है।"

एक और परिभाषा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है- अभिनय की दृष्टि सेसवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है।"

नाटक का उद्भव और विकास

भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति चारों वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। कतिपय विद्वान इसकी उत्पत्ति युनान के अनुकरण पर मानते हैं, परंतु यह निराधार है। भारतीय नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता है। हिंदी में

नाटक परंपरा का आरंभ हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए। इनके पूर्व नाटक नाम की जो रचनाएँ मिलती हैं, उसमें आधुनिक नाटक की विशेषताएँ नहीं मिलती। ये पद्य में लिख गए नाटकीय काव्य है, हमारे यहाँ रामलीला, स्वांग तथा नौटंकी नाटकों का भी अभाव नहीं रहा है। परंतु भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की। अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला के नाटक के अनुवाद के साथ इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखा है। भारतेंदु से अब तक नाटक साहित्य का जो विकास हुआ है, उसे निम्नलिखित युगों में बाँट सकते हैं- 1. भारतेंदु युग, 2. द्विवेदी युग, 3. प्रसाद युग, 4. प्रसादोत्तर युग

1. भारतेंदु युग

भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषयक ज्ञान और अनुभव था। इनके नाटकों के कथानक इतिहास, पुराण तथा सम सामायिक है जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा उन्होंने व्यक्त करना चाहा था, उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्रतीत हुआ।इन्होंने हास्य तथा व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। भारतेंदु की प्रेरणा से उनके युग के अन्य अनेक लेखक भी नाटक रचना की ओर प्रवृत्त हुए। जिनमें प्रमुख है- श्रीनिवासदास, राधाकृष्ण दास, बद्रीनारायण प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आदि।

2. द्विवेदी युग

द्विवेदी युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गयी। द्विवेदी जी सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना न हो सकी, फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई, उनके पात्र साविक वाले महापुरुष थे। इस काल के प्रमुख नाटककार है- जगनाथ चतुर्वेदी, मिश्र बंधु बद्री भट्ट, माधव शुक्ल, आनंद प्रसाद खत्री, मैथिलीशरण गुप्त आदि।

3. प्रसाद युग

जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रादन की है। उपन्यास में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक में वही स्थान प्रसाद जी का है। इनके ग्रंथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। प्रसाद ने एक दर्जन से अधिक नाटकों की

रचना की । प्रसाद ने अपने नाटकों का विषय भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया है। प्रसाद युग में कई उत्कृष्ट नाटककारों का आविर्भाव हु आ जिनमें प्रमुख है- माखनलाल चतुर्वेदी, गोविंद बल्लभ पंत, आ, मुंशी प्रेमचंद आदि।

4. प्रसादोत्तर हिंदी नाटक

प्रसाद के उपरांत इस परंपरा ने विशेष बल पकड़ा और उसकी अनेक धाराएँ हो गयी इनधारओं का निम्नलिखित संक्षिप्त विवेचन है.

ऐतिहासिक नाटक

ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जगदीशचंद्र माथुर आदि प्रमुख हैं।

समस्यामूलक नाटक इक्सन और बर्नाड शो से प्रभावित होकर हिंदी में भी अनेकसमस्यामूलकनाटकों की रचना हुई है। जिसमें प्रमुख हैं. उपेंद्रनाथ अश्क लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठसोविंददास आदि ।

नाटक के तत्व

नाटक के मोटे तौर पर पाँच सत्य माने गए हैं- 1. वस्तु 2. पात्र एवंचरित्र, 3. संवाद, 4. देशकाल वातावरण, 5. भाषा-शैली।

नाटक के भेद

नाटक के दो भेद हैं- 1. रूपक 2. अरूपक

1. **रूपक:** रूपक के दस भेद हैं- रूपक, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंकवीथी और प्रहसन।

2. **उपरूपकः** उपरूपक के अठारह भेद हैं- नाटिका, त्रोटक, गोष्टी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, इल्लीशा और भणिका।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. नाटक का अर्थ एवं परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर :

नाटक का अर्थ एवं परिभाषा

नाटक शब्द की उत्पत्ति 'नट' धातु से माना गया है जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। इसका संबंध नृत्य एवं अभिनय से जोड़ा जाता है। नाटक में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण होता है, रूपक का अर्थ रूप या आकृति का अनुकरण है। वास्तव में आज नाटक जिस अर्थ में प्रचलित है उसमें दृश्य, अवस्थाएँ तथा रूप की अनुकृति होती है। नाटक रंगमंच पर अभिनीत होने के कारण यह दृश्य भी है तथा श्रव्य भी।

परिभाषा

बाबू गुलाबराय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते-फिरते प्राण रूप में किया जाता है।"

एक और परिभाषा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है- अभिनय की दृष्टि सेसवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है।"

प्रश्न 2. नाटक का उद्भव और विकासपर अपने विचार लिखिए।

उत्तर :

नाटक का उद्भव और विकास

भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति चारों वेदों के उपरांत स्वीकार करते हैं। कतिपय विद्वान इसकी उत्पत्ति युनान के अनुकरण पर मानते हैं, परंतु यह निराधार है। भारतीय नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता है। हिंदी में नाटक परंपरा का आरंभ हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए। इनके पूर्व नाटक नाम की जो रचनाएँ मिलती हैं, उसमें आधुनिक नाटक की विशेषताएँ नहीं मिलती। ये पद्य में लिख गए नाटकीय काव्य है, हमारे यहाँ रामलीला, स्वांग तथा नौटंकी नाटकों का भी

अभाव नहीं रहा है। परंतु भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटक की रचना आरंभ की। अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला के नाटक के अनुवाद के साथ इन्होंने मौलिक नाटक भी लिखा है। भारतेंदु से अब तक नाटक साहित्य का जो विकास हुआ है, उसे निम्नलिखित युगों में बाँट सकते हैं- 1. भारतेंदु युग, 2. द्विवेदी युग, 3. प्रसाद युग, 4. प्रसादोत्तर युग

1. **भारतेंदु युग :** भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषयक ज्ञान और अनुभव था। इनके नाटकों के कथानक इतिहास, पुराण तथा सम सामायिक है जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा उन्होंने व्यक्त करना चाहा था, उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्रतीत हुआ।इन्होंने हास्य तथा व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। भारतेंदु की प्रेरणा से उनके युग के अन्य अनेक लेखक भी नाटक रचना की ओर प्रवृत्त हुए। जिनमें प्रमुख है- श्रीनिवासदास, राधाकृष्ण दास, बद्रीनारायण प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी आदि।

2. **द्विवेदी युग:** द्विवेदी युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गयी। द्विवेदी जी सुधारवादी प्रवृत्तिके व्यक्ति थे। अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना न हो सकी, फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई उनके पात्र साविक वाले महापुरुष थे। इस काल के प्रमुख नाटककार है- जगनाथ चतुर्वेदी, मिश्र बंधु बद्री भट्ट, माधव शुक्ल, आनंद प्रसाद खत्री, मैथिलीशरण गुप्त आदि।

3. **प्रसाद युग:** जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रादन की है। उपन्यास में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक में वही स्थान प्रसाद जी का है। इनके ग्रंथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। प्रसाद ने एक दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की । प्रसाद ने अपने नाटकों का विषय भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया है। प्रसाद युग में कई उत्कृष्ट नाटककारों का आविर्भाव हुआ जिनमें प्रमुख है- माखनलाल चतुर्वेदी, गोविंदबल्लभ पंत, आ, मुंशी प्रेमचंद आदि।

4. **प्रसादोत्तर हिंदी नाटक:** प्रसाद के उपरांत इस परंपरा ने विशेष बल पकड़ा और उसकी अनेक धाराएँ हो गयी इनधारओं का निम्नलिखित संक्षिप्त विवेचन है।

5. एकांकी

प्रस्तावना

आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत एक शताब्दी में हुआ है, उनमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आरंभ में एकांकी को नाटक के एक प्रकार के रूपमें देखा जाता था, लेकिन इसका आधुनिक युग में इतना विकास हुआ कि इसे स्वतंत्र विधा माना जाने लगा।

आधुनिक एकाकी वैज्ञानिक युग की देन है। विज्ञान के फलस्वरूप मानव के समय और शक्ति की बचत हुई है। जीव की त्रस्तता और व्यस्तता के कारण आधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं है कि वह बड़े-बड़े नाटको, उपन्यासों, महाकाव्यों आदि का संपूर्णतः रसास्वादन कर सके और इसलिए गीत, कहानी, एकाकी आदि साहित्य के लघुरूपों को अपनाया जा रहा है। एकांकी की लोकप्रियता के अन्य भी कई कारण हैं यथा देश में सिनेमा के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हिंदी रंगमंच के उद्धार द्वारा जीवन और साहित्य में सुरुचि का समावेश करना। इन सब कारणों के परिणामस्वरूप एकांकी नाटक आज एक प्रमुख साहित्यिक विधा बन गयी है।

एकांकी का अर्थ एवं परिभाषा

एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के 'वन एक्ट प्ले' शब्द के लिए हिंदी में 'एकांकी नाटक और एकांकी' दोनों ही शब्दों का समान रूप सेव्यवहार होता है।

परिभाषा

"एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि सृष्टि की जाती है। इससे कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है।"

एकांकी का उद्भव और विकास

ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी एकांकी के विकास क्रम को निम्नलिखित प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है. 1. भारतेंदु-द्विवेदी युग, 2. प्रसाद युग, 3. प्रसादोत्तर युग, 4. स्वातंत्र्योत्तर युग

भारतेंदु- द्विवेदी युग

जिस प्रकार भारतेंद हिंदी में नाटकों के लिखने वालों में प्रथम नाटककार माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी में सबसे पहला एकाकी भी उन्होंने ही लिखा। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद अवश्य हैं। फिर भी भारतेंद प्रणीत 'प्रेमयोगिनी' से हिंदी एकांकी का आरंभ माना जा सकता है। आलोच्य युग में विषयगत दृष्टिकोण को सामनेरखकर एकांकी लिखे गए।

इस प्रकार भारतेंद युग नवचेतना और जागृ तिका युग था। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल के एकांकीकारों ने जन-जागृ तिके विचारों को मुखरित करने वाले एकांकी लिखे। कुल मिलाकर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि उस काल के एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली कई नाट्य शैलियाँ थीः (क) संस्कृत की नाट्य परंपरा, (ख) अंग्रेजी, बंगला, फारसी रंगमंच और (ग) लोक नाटक । आलोच्य युग के सभी एकाकीकारों ने इन्हें आत्मसात् किया। इस प्रकार इस युग मेंपरंपरा के प्रभाव की प्रधानता रही। आलोच्य काल के प्रमुख एकांकीकार है- भारतेंदु राधाकृष्ण गोस्वामी, लाला श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट, कमलचरण म देवकीनंदन त्रिपाठी आदि।

प्रसाद युग

हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से द्वितीय युग प्रसाद के युग से जाना जाता है। इस संदर्भ में आधुनिक एकांकी साहित्य की प्रथम मौलिक कृति के रूप में प्रसाद के एक घूंट' का उल्लेख किया जा सकता है। यहीं से हम एकांकी के शिल्प में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं। वास्तव में आधुनिक ढंग से हिंदी एकांकियों का विकास प्रसाद युग में ही हुआ क्योंकि इस युग में कुछ महत्वपूर्ण नवीन प्रयोग एकाकी क्षेत्र में हुएभारतेंदु युग में जो एकाकी संस्कृत परिपाटी पर विरचित हुआथा, इस युग में आकर वह नवीन रूपों में विकसित होने लगा।

इस युग के अधिकांश एकांकी रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखे गए जिससे उनकी अभिनय हो सके और प्रेक्षक अपना ज्ञानवर्धन कर सके। इस युग में जिन सामाजिक एकांकियों की रचना हुई उन पर युगीन सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इस युग के अनेक एकांकीकारों ने सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्षीय समस्याओं का चित्रण किया है तथा उसके प्रचलित विभिन्न जीर्ण शीर्ण रूढ़ियों को अपनी आलोचना का केंद्र बनाया जीवानंद शर्मा, हरिकृष्ण शर्मा, जी.पी. श्रीवास्तव, बदरीनाथ भट्ट दी मद आदि प्रमुख हैं।

प्रसादोत्तर युग

प्रसादोत्तर युग हिंदी एकाकी के विकास की तीसरी अवस्था है जिसम मन 1938 से 1947 ई. तक रहा। यह समय भारत के लिए आपत्तियों का समय था। युद्ध की विभीषिकाएं बंगाल का अकाल, आजादी की हुंकार, विदेशी शासकों के लोमहर्षक अत्याचार, चोर बाजारी आदि इन्हीं वर्षों के भीतर की ही जाते हैं। इस हमारे चिंतन और हमारी कला को प्रभावित किया। एकांकी भी इससे अछूता नहीं रह काकीनाय स्वाभाविक और सहज जीवन को प्रतिबिंधित करने वाले एकांकी की रचना प्रारंभ हुई युगएकांकी की अनेक प्रवृत्तियों कोप्रश्रय मिला है तथापि सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति पर लगभग सभी युगीन एकाकीकारों ने अपनी लेखनी चलाई। प्रस्तुत युग के प्रमुख एकांकीकार है. डॉ. रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, जगदीशचंद्र माथुर, शंभुदयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि।

स्वातंत्र्योत्तर युग

हिंदी एकांकी के विकास की चौथी अवस्था स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ होती है, जिसे स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में हिंदी एकांकियों पर रेडियो का प्रभाव बड़ी गहराई से पढ़ा है। रेडियो नाटकों के रूप में नाटकों का नवीन रूप हमारे समक्ष आया। रेडियो माध्यम होने के कारण श्रोतागण इसमें रुचि लेने लगे। इसलिए रेडियो एकांकियों की माग इस युग में अधिक रही।

स्वातंत्र्योत्तर युगीन हमारी एकांकी का स्वरूप विविधता लिए हुए हैं। इनमें एक ओर परंपरागत शैली में राष्ट्रीय भावना प्रधान एकांकी लिख गए तो दूसरी ओर ध्वनि नाट्य तथा गीतिकाव्य का भी विकास हुआ। इस युग के एकांकीकारों ने

सामाजिक, राजनीतिक, मानवतावादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकरएकांकियों की रचना की इन एकांकीकारों का दृष्टिकोण प्रगतिशील तत्वों से प्रभावित रहा। जिससे इनकी रचनाओं में पूंजीवाद विरोधी वर्ग संघर्ष, सड़ी-गली रूढ़ियों के प्रति अनास्था, मानव अंतर्मन की सूक्ष्म भावनाओं का विश्लेषण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, कृषक एवं मजदूर की दयनीय स्थिति तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष आदि विचार व्यक्त हुए। इसी के साथ एकाकीकारों ने विभिन्न वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं का चित्रण हास्य व्यग्य प्रधान शैली में किया है । इस युग के प्रमुख एकाकीकार है. विनोद रस्तोगी, देवीलाल सागर, जयनाथ नलिन प्रेमनारायन टंडन, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव, राजाराम शास्त्री आदि।

हिंदी एकांकी का विकास क्रमशः भारतेंदु युग, प्रसाद युग प्रसादोत्तर युग तथा स्वातंत्र्योत्तर पग में संपन्न हुआ।भारतद वग में जो एकाकी लिखे गए वे प्रायः नाटक का ही लघु रूप में इस युग में एकाकी की स्वतंत्र रूप नहीं मिलता। किंतु प्रसाद यु से प्रारंभ होकर स्वातंत्र्योत्तर काल तक इसकी स्वतंत्र स्वरूप निश्चित हुआ जो निश्चितरूप से प्रगति युग कहा जा सकता है। ऐसे विकास क्रम को देखते हुएकहा जा सकता है कि निशय ही हिंदी एकांकी का भविष्य उज्ज्वल होगा।

एकांकी के तत्व

एकांकी के भी प्रमुखतः छः भेद माने गए हैं- 1. कथावस्तु. 2. पात्र और चरित्र चित्रण, 3. भाषा शैली, 4. देशकाल वातावरण, 5. रंगमंचीयता, 6 उद्देश्य

एकांकी के भेद

एकांकी के लगभग पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं- 1. सामाजिक एकाकी, 2. पौराणिक एकांकी, 3. ऐतिहासिक एकाकी, 4. राजनीतिक एकांकी, 5. चरित्र प्रधान एकांकी।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. एकांकी के विषय में अपने विचार लिखिए।

उत्तर :

आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत एक शताब्दी में हुआ है, उनमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आरंभ में एकांकी को नाटक के एक प्रकार के रूपमें देखा जाता था, लेकिन इसका आधुनिक युग में इतना विकास हुआ कि इसे स्वतंत्र विधा माना जाने लगा।

आधुनिक एकाकी वैज्ञानिक युग की देन है। विज्ञान के फलस्वरूप मानव के समय और शक्ति की बचत हुई है। जीव की त्रस्तता और व्यस्तता के कारण आधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं है कि वह बड़े-बड़े नाटको, उपन्यासों, महाकाव्यों आदि का संपूर्णतः रसास्वादन कर सके और इसलिए गीत, कहानी, एकाकी आदि साहित्य के लघुरूपों को अपनाया जा रहा है। एकांकी की लोकप्रियता के अन्य भी कई कारण हैं यथा देश में सिनेमा के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हिंदी रंगमंच के उद्धार द्वारा जीवन और साहित्य में सुरुचि का समावेश करना। इन सब कारणों के परिणामस्वरूप एकांकी नाटक आज एक प्रमुख साहित्यिक विधा बन गयी है।

6. निबंध

प्रस्तावना

निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। लेकिन इस शब्द का उपयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है । निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। लेकिन साहित्यिक आलोचना में प्रचलित शब्द निबंध ही है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी। किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उलटे हैं। उनमें व्यक्तितत्वैत का गुण सर्वप्रधान है।

निबंध का अर्थ और परिभाषा

निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है कि है निः +बंद जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बधी हुईरचना अर्थात् वह रचना जो विचारपूर्वक रूप में लिखी गई हो।

परिभाषा

बाबू गुलाबराय के अनुसार "निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया है।"

आचार्य शुक्ल के अनुसार "यदि पद्य कवियों की है, तो निबंध गद्य की।" के - पं. श्यामसुंदर दास "निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तारपूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया है।"

निबंध का उद्भव और विकास

हिंदी उपन्यास तथा कहानी के समान निबंध भी पश्चिम की देन है। हिंदी में निबंध का विकास प्राय: अंग्रेजी के निबंधों के आधार पर हुआहै। अन्य गद्य विधाओं के समान निबंध भी भारतेंदु युग की देन है। तब से अब तक इस विधा में अनेकानेक परिवर्तन हुएहैं। हिंदी निबंध के विकास का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है.

भारतेंदु युग

भारतेंद जी हिंदी के सर्व प्रथम निबंध कार हैं और उनका यग हिंदी का प्रारं भिकयुग है। सकाल के निबंधों में विषय और शैली की विविधता है। भाषाव्या वहारिक है। उसपर स्थानी बोलियों का प्रभाव है। भारतेंदु जी के अतिरिक्तइसकाल के निबंधकारोंमें बालकृष्णभट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त बदरीनारायण चौधरी, अधिकादन दास, राधाचरण गोस्वामी का प्रमुख स्थान है। इन सबने राजनीति, -समाज सुधार, देशप्रेम आदि को अपने निबंधों का विषय बनाया। प्रायः इस युग के निबंधकार मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति थे। अतः उनमें स्वच्छंदता और उन्मुक्तता पायी जाती है।

द्विवेदी युग

द्विवेदी युग भाषा के परिष्कार और संस्कार का युग है। द्विवेदी जी के सामनेदो लक्ष्य थे. भाषा की शिथिलता को समाप्त करना और लोगों की रुचि को गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना। इसका परिणाम यह हुआ कि इस युग के निबंध में प्रौढ़ता और गंभीरता आई, भाषा परिष्कृत हुई और निबंध के विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदीयुग के निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्मसिंह शर्मा, माधव मिश्र, मोहनलाल मेहता, बनारसीदास चतुर्वेदी और मिश्र बंधुओं के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

शुक्ल युग

निबंध क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पदार्पण से निबंध साहित्य को नया जीवन मिला। वास्तव में निबंधों के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के प्रभाव से इस युग में गंभीर और विचार प्रधान निबंधों की रचना हुई। इनमें प्रौढ़ भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। इस युग के अन्य प्रतिभाशाली लेखकों में डॉ. श्यामसुंदरदास, पीतांबर दत्त, संपूर्णानंद, गुलाबराय आदि का महत्वपूर्ण स्थान है।

शुक्लोत्तर युग

शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी, जैनेंद्र कुमार, डॉ. नगेंद्र, महादेवी वर्मा, डॉ. राम विलास शर्मा, अमृतराय, आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी आदि का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनमें विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है । श्री जैनेंद्र कुमार जी के दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर निबंधों की रचना की है । डॉ. नगेंद्र जी ने मुख्यतः साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। वे निबंध विचार और विवेचन विचार और अनुभूति विचार और विश्लेषण आदि संग्रहों में संग्रहित है। महादेवी वर्मा ने अंतित के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ और श्रृंखला की कड़ियाँ आदि संग्रहों में हिंदी संस्मरणात्मक निबंधों के भाव की पूर्ति की है।

इनके अतिरिक्त श्री शिवदान सिंह चौहान, डॉ. देवदास, कन्हैयालाल मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों के निबंध विभिन्न साहित्य की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इस प्रकार निबंधसाहित्य में कुछ ही समय में पर्याप्त उन्नति की है। भारतेंदु युग से लेकर हिंदी निबंध साहित्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

निबंध के तत्व

निबंध के प्रमुख तत्व चार हैं. 1. संक्षिप्तता, 2. गद्य की अनिवार्यता, 3, व्यक्तित्व की प्रधानता, 4. सजीवता और भाषा शैली

निबंध के भेद

निबंध के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं- 1. वर्णनात्मक निबंध, 2.. विचारात्मक निबंध, 3. भावनात्मक निबंध।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. निबंध का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए।

उत्तर :

निबंध का अर्थ और परिभाषा

निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है कि है निः +बंद जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बधी हुईरचना अर्थात् वह रचना जो विचारपूर्वक रूप में लिखी गई हो।

परिभाषा

बाबू गुलाबराय के अनुसार "निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया है।"

आचार्य शुक्ल के अनुसार "यदि पद्य कवियों की है, तो निबंध गद्य की।" के - पं. श्यामसुंदर दास "निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तारपूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया है।"

प्रश्न 2. निबंध का उद्भव और विकासपर अपने विचार लिखिए।

उत्तर :

निबंध का उद्भव और विकासहिंदी उपन्यास तथा कहानी के समान निबंध भी पश्चिम की देन है। हिंदी में निबंध का विकास प्राय: अंग्रेजी के निबंधों के आधार पर हुआहै। अन्य गद्य विधाओं के समान निबंध भी भारतेंदु युग की देन है। तब से अब तक इस विधा में अनेकानेक परिवर्तन हुएहैं। हिंदी निबंध के विकास का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है.

भारतेंदु युग

भारतेंदजी हिंदी के सर्व प्रथम निबंध कार हैं और उनका यग हिंदी का प्रारंभिक युग है। इस का लके निबंधों में विषय और शैली की विविधता है। भाषा व्यावहारिक है। उसपर स्थानीय बोलियों का प्रभाव है। भारतेंदुजी के

अतिरिक्त इसका लके निबंध कारों में बालकृष्णभट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त बदरीनारायण चौधरी, अधिकादन दास, राधाचरण गोस्वामी का प्रमुख स्थान है। इन सबने राजनीति, -समाज सुधार, देशप्रेम आदि को अपने निबंधों का विषय बनाया। प्रायः इस युग के निबंधकार मनमौजी स्वभाव के व्यक्ति थे। अतः उनमें स्वच्छंदता और उन्मुक्तता पायी जाती है।

द्विवेदी युग

द्विवेदी युग भाषा के परिष्कार और संस्कार का युग है। द्विवेदी जी के सामनेदो लक्ष्य थे. भाषा की शिथिलता को समाप्त करना और लोगों की रुचि को गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना। इसका परिणाम यह हुआ कि इस युग के निबंध में प्रौढ़ता और गंभीरता आई, भाषा परिष्कृत हुई और निबंध के विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदीयुग के निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्मसिंह शर्मा, माधव मिश्र, मोहनलाल मेहता, बनारसीदास चतुर्वेदी और मिश्र बंधुओं के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

शुक्ल युग

निबंध क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पदार्पण से निबंध साहित्य को नया जीवन मिला। वास्तव में निबंधों के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के प्रभाव से इस युग में गंभीर और विचार प्रधान निबंधों की रचना हुई। इनमें प्रौढ़ भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। इस युग के अन्य प्रतिभाशाली लेखकों में डॉ. श्यामसुंदरदास, पीतांबर दत्त, संपूर्णानंद, गुलाबराय आदि का महत्वपूर्ण स्थान है।

शुक्लोत्तर युग

शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी, जैनेंद्र कुमार, डॉ. नगेंद्र, महादेवी वर्मा, डॉ. राम विलास शर्मा, अमृतराय, आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी आदि का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, निबंध संग्रह प्रकाशित हुएहैं। इनमें विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है।

श्री जैनेंद्र कुमार जी के दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर निबंधों की रचना की है । डॉ. नगेंद्र जी ने मुख्यतः साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। वे निबंध विचार और विवेचन विचार और अनुभूति विचार और विश्लेषण आदि संग्रहों में संग्रहित है। महादेवी वर्मा ने अंतित के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ और श्रृंखला की कड़ियाँ आदि संग्रहों में हिंदी संस्मरणात्मक निबंधों के भाव की पूर्ति की है।

इनके अतिरिक्त श्री शिवदान सिंह चौहान, डॉ. देवदास, कन्हैयालाल मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों के निबंध विभिन्न साहित्य की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इस प्रकार निबंधसाहित्य में कुछ ही समय में पर्याप्त उन्नति की है। भारतेंदु युग से लेकर हिंदी निबंध साहित्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

7. आत्मकथा

प्रस्तावना

आधुनिक काल का हिंदी गद्य साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। जीवन संघर्ष, आदमी की जीजिविषा, समृद्ध अनुभव, मानवीय समस्याएँ आदि के कारण हिंदी गद्य साहित्य विपुल गद्य विधाओं को जन्म दे रहा है। वास्तव में साहित्य जीवन को जितना समेटने की कोशिश कर रहा है उतनी गद्य विधाएँ विकसित हो रही हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि की तरह आत्मकथा ने भी आज अपना स्वतंत्र स्थान बनाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना, आत्म परीक्षण करना तथा उसके साथ-साथ अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना होता है।

आत्मकथा का अर्थ और परिभाषा

आत्म यह शब्द आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ स्वयं का आत्मचरित, आत्मकथा, आत्मकथन से लिया जाता है। अंग्रेजी के Autobiography को ही हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। आधुनिक हिंदी शब्दकोश में आत्मकथा शब्द खॉलिंगी संज्ञा में लिया गया है, तथा उस का अर्थ स्वयं द्वारा लिखागया जीवन चरित्र, जीवनी, आपबीती, आत्मकहानी आदि विकल्प स्वरूप लिया गया है।

परिभाषा

आत्मकथा की अवधारणा पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, जो इसप्रकार हैं- हरिवंशराय बच्चन के अनुसार, "आत्मकथा, लेखन की वह विधा है, जिस में लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है।

डॉ. नगेंद्र ने आत्मकथा को इस प्रकार परिभाषित किया है. "आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन् अपने गत जीवन के खट्टे-मीठे, उजाले अंधेरे, प्रसन्न विषण्ण, साधारण-असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए

स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य सूत्रों का अन्वेष करता है।

डॉ कुसुम अंसल ने कहा है- “आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया या संसार चक्र में फँसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है।" डॉक्टर साधना अग्रवाल के अनुसार "आत्मकथा लिखने की शर्त है।

ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना और अपनी सफलता-असफलताओं कानिर्ममता पूर्वक पोस्टमार्टम करना।"

आत्मकथा का उद्भव और विकास

आत्मकथा स्वानुभूति का सबसे सरल माध्यम है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं और दुर्बलताओं तथा अपने समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है।

हिंदी में आत्मकथाओं की एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी की प्रथम आत्मकथाबनारसी दास जैन कृत 'अर्धकथा' है। आत्मकथा की मूलभूत विशेषताओं निरपेक्षताऔर तटस्थता को इसमें सरलता से देखा जा सकता है। इसमें लेखक ने अपने गुणों और अवगुणों का यथार्थ चित्रण किया है। पद्य में लिखी इस आत्मकथा के अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में हिंदी में कोई दूसरी आत्मकथा नहीं मिलती।

अन्य कई गद्य विधाओं के साथ आत्मकथा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में विकसित हुई।भारतेंदु ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से इस विद्या का पल्लवन किया । उनकी स्वयं की आत्मकथा 'एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती' का आरंभिक अंश प्रथम खेल शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु के अतिरिक्त इस काल के आत्मकथा कारों में सुधाकर द्विवेदी कृत राम कहानी और अंबिका दास द्वारा कृत निजी वृतांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा सन 1875 में प्रकाश में आई। उसके बाद सत्यानंद अग्निहोत्री भाई परमानंद स्वामी श्रद्धानंद आदि प्रारंभिक आत्मकथा कार माने जाते हैं। हिंदी के आत्मकथात्मक साहित्य के विकास में हंस के आत्मकथा का विशिष्ट योगदान है।

इस अंक में जयशंकर प्रसाद, वैद्य, हरिदास, विनोद शंकर व्यास, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, दयाराम निगम, मौलवी मटेश्वर, गोपाल राम गहमरी, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, राय कृष्णदास, श्रीराम शर्मा आदि साहित्यकारों और गैर साहित्यकारों के जीवन के कुछ अंशों को प्रेमचंद ने स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त श्यामसुंदर दास, बाबूर आदि महत्वपूर्ण आत्मकथाकार माने जाते हैं। बू गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायनसन 1947 के आरंभ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस विशाल कार्य आत्मकथा में राजेंद्र बाबू ने बड़ी सादगी और निश्छलता से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देश की दशा का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद वियोगी हरि, यशपाल, शांतिप्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी आदि लेखकों ने अपने जीवन की आरंभिक घटनाओं का चित्रण किया है।

हरिवंश राय बच्चन को हिंदी आत्मकथा का सर्वाधिक सफल और महत्वपूर्ण आत्मकथाकार माना जाता है। इसी कड़ी में वृंदावन लाल वर्मा देवराय उपाध्याय शिवपूजन सहाय प्रतिभा अग्रवाल विष्णु साहनी आदि आत्मकथा कारों को भी सफल आत्मकथा कार माना जाता है।

समकालीन आत्मकथा साहित्य में दलित आत्मकथा ओ का उल्लेखनीय योगदान रहा है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, कोशल्या वैमंत्रीसूरजपाल चौहान आदि आत्मकथा कारों में इस विधा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वर्तमान समय में महिला और दलित रचनाकारों में इस विधा को गहरे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है। इस संदर्भ में मैत्रेई पुष्पा, प्रभा खेतान आदि के नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी आत्म कथा साहित्य एक लंबी यात्रा के बाद उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वह आत्मकथा के दुर्गुणसे मुक्त होकर व्यक्तिगत गुण दोषों की सच्चाई को बयान करने में सक्षम है।

आत्मकथा के तत्व आत्मकथा के मुख्य रूप से पांच तत्व माने जाते हैं. वर्ण्य विषय या मुख्य विषय, 2. चरित्र चित्रण, 3. देशकाल, 4. उद्देश्य, 5. भाषा शैली।

आत्मकथा के प्रकार

मोटे तौर पर आत्मकथा के तीन प्रकार माने जाते हैं- 1. राजनीतिक आत्मकथाएं, 2. धार्मिक आत्मकथाएँ. 3. साहित्यिक आत्मकथाएँ

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. आत्मकथा का उद्देश्य क्या है?

उत्तर :

आधुनिक काल का हिंदी गद्य साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। जीवन संघर्ष, आदमी की जीजिविषा, समृद्ध अनुभव, मानवीय समस्याएँ आदि के कारण हिंदी गद्य साहित्य विपुल गद्य विधाओं को जन्म दे रहा है। वास्तव में साहित्य जीवन को जितना समेटने की कोशिश कर रहा है उतनी गद्य विधाएँ विकसित हो रही हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि की तरह आत्मकथा ने भी आज अपना स्वतंत्र स्थान बनाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना, आत्म परीक्षण करना तथा उसके साथ-साथ अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना होता है।

प्रश्न 2. आत्मकथा का अर्थ और परिभाषालिखिए।

उत्तर :

आत्मकथा का अर्थ और परिभाषा

आत्म यह शब्द आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ स्वयं का आत्मचरित, आत्मकथा, आत्मकथन से लिया जाता है। अंग्रेजी के Autobiography को ही हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। आधुनिक हिंदी शब्दकोश में आत्मकथा शब्द खॉलिंगी संज्ञा में लिया गया है, तथा उस का अर्थ स्वयं द्वारा लिखागया जीवन चरित्र, जीवनी, आपबीती, आत्मकहानी आदि विकल्प स्वरूप लिया गया है।

परिभाषा

आत्मकथा की अवधारणा पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, जो इसप्रकार हैं-

हरिवंशराय बच्चन के अनुसार, "आत्मकथा, लेखन की वह विधा है, जिस में लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है।

डॉ नगेंद्र ने आत्मकथा को इस प्रकार परिभाषित किया है. "आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन् अपने गत जीवन के खट्टे-मीठे, उजाले अंधेरे, प्रसन्न विषण्ण, साधारण-असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य सूत्रों का अन्वेष करता है।

डॉ कुसुम अंसल ने कहा है- "आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया या संसार चक्र में फँसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है।" डॉक्टर साधना अग्रवाल के अनुसार "आत्मकथा लिखने की शर्त है।

ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना और अपनी सफलता-असफलताओं कानिर्ममता पूर्वक पोस्टमार्टम करना।"

8. संस्मरण

प्रस्तावना

स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जाता है। व्यापक रूप से संस्मरण आत्म चरित्र के अंतर्गत लिया जा सकता है। किंतु संस्मरण आत्मचरित्र के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। आत्म चरित्र के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है। संस्मरण लेखकका दृष्टिकोण भिन्न रहता है। संस्मण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियां तथा संवेदनाएं संस्मण मेंअंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से संस्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट है। वह अपने चारों और के जीवन का वर्णन करता है। साहित्यकार के समान वह केवल यथा साध्य विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। पाश्चात्य साहित्य में साहित्यकारों के अतिरिक्त अनेक राजनेताओं तथा सेना नायकों ने भी अपने संस्मरण लिखे हैं जिनका साहित्यिक महत्व स्वीकार किया गया है।

संस्मरण का अर्थ

संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है सम+ स्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना। संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक स्मरण लिख रहा होता है।

संस्मरण की परिभाषा

डॉ नगेंद्र ने संस्मरण को व्यक्ति का अनुभव स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन कहां है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसमें लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है परंतु इतिहासकार के वस्तु पर एक रूप से वह बिल्कुल

अलग है। संस्मरण लेखक से स्वयं देखता है जिसका स्वयं अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियांसंवेदनाएं डूबी रहती हैं।

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार 'मेमायर्स' (संस्मरण) का रचनाकार ऐसा युगपुरुषही हो सकता है, जिसने देश के इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की हो या जिसने इतिहास निर्माण के निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआहै।

डॉक्टर राजमणि शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य में ऑटो बायोग्राफी और मेमायर्स दो भिन्न विधा के रूप में विकसित हुए हैं, जिन्हें क्रमश आत्मकथा तथा संस्मरण साहित्य कहा जाता है। आत्मकथा में संस्मरण की आवश्यकता होती है लेकिन उसे सम्मरण के संज्ञा देना युक्तिसंगत नहीं लगता। वस्तुतः संस्मरण 'मेमाय का सही प्रतिनिधि है पर आशिक मात्र ही।"

संस्मरण का उद्भव और विकास

बालमुकुंद गुप्त द्वारा सन उन्नीस सौ सात में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्करण माना जाता है। बाद में इस काल की एकमात्र संस्मरण पुस्तक हरिऔध पर केंद्रित गुप्त जी द्वारा लिखित हरि ओम के संस्मरण के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें हरिओम को कार्य विषय बताकर 15 संस्मरणों की रचना की गई है।

हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं ने गद्य विधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सरस्वती में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई संस्मरण लिखे। उन्होंने अपने साथी लेखकों को नई गद्य विधाओं के लिए प्रेरित भी किया। इस समय के प्रमुख संस्मरण लेखकों में द्विवेदी जी के अतिरिक्त रामकुमार खेमका, शिव प्रसाद जयसवाल और श्याम सुंदर दास है। श्यामसुंदर दास ने लाला मातादीन पर रोचक संस्मरण लिखे। अपने समकालीन साहित्यकारों पर इस समय से आरंभ हुईपरंपरा आज तक लगातार चली आ रही है।

रेखा चित्र की तरह ही संस्मरण को गद्य की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी पद्मसिंह शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण में अपने जीवन में आए अनमोल पलों को अपने पक्ष

के साथी' संस्करण में संकलित किया है। अपने समकालीन साहित्यकारों पर इन रेखा चित्रों से अब तक किसी भी लेखक द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ टिप्पणी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति बात ना होगी। निराला के बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भार में संस्मरण और रेखाचित्र का अनुपम सहयोग हुआ है। इन्हें किसी एक विधा के अंतर्गत रखना संभव नहीं है लेकिन अपनी सजीवता और व्यंग्य के कारण इन्हें अप्रतिम कहा जा सकता है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतिया नामक संग्रह में अपने संस्थानों को लिपिबद्ध किया। इलाचंद्र जोशी कृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतिया पर वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण इस काल की उल्लेखनीय रचनाएं हैं।

सन् 1950 के आसपास का समय सम्मरण लेखक की दृष्टि से विशेष महत्व का है। इस समय अनेक लेखक संस्मरणों की रचना कर रहे थे। इनमें प्रमुख हैं नारायालाल मिश्र प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अगदीशचंद्र माथुर, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय और कमलेश्वर इस समय के अन्य प्रमुख सम्मरण लेखकरहे हैं।

समकालीन लेखक में आत्मकथात्मक विधाओं की भरमार है। संस्मरण आज बहुतायत में लिखे जा रहे हैं। अपने अतीत को बयान करने की ललक हर आदमी के भीतर होती है और उसकी अभिव्यक्ति करना अन्य विधाओं की तुलना में काफी आसान होता है। डॉ विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह पर लिखित संस्मरण 'हक अदा हुआ ने इस विधा को नई ताजगी से भर दिया है और इससे प्रभावित होकर कई नई और पुराने लेखक इस और मुड़े हैं। वर्तमान समय के संस्मरण लेखकों में काशीनाथ सिंह, क्रांति कुमार जैन, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ममता कालिया अखिलेश का नाम काफी प्रमुखता से ले सकते हैं।

संस्मरण के तत्व

आत्मकथा के तीन तत्व माने जाते हैं- 1. चित्रात्मकता, 2. कथात्मकता, 3.तटस्थता

संस्मरण के प्रकार

संस्मरण लेखक यदि अपने बारे में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा' के निकट होगी यदि अन्य व्यक्तियों के विषय में लिखे तो 'जीवनी' के निकट। इन दो प्रकार के संस्मरण को अंग्रेजी में क्रमशः में Memoirs तथा Reminiscence कहते हैं।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. संस्मरण क्या कहलाता है? प्रमुख संस्मरणों के नाम लिखिए।

उत्तर :

संस्मरण का अर्थ और परिभाषा

संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है सम+ स्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना। संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक स्मरण लिख रहा होता है।

परिभाषा

डॉ नगेंद्र ने संस्मरण को व्यक्ति का अनुभव स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन कहां है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसमें लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है परंतु इतिहासकार के वस्तु पर एक रूप से वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण लेखक से स्वयं देखता है जिसका स्वयं अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियां संवेदनाएं डूबी रहती हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार 'मेमायर्स' (संस्मरण) का रचनाकार ऐसा युगपुरुष ही हो सकता है, जिसने देश के इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की हो या जिसने इतिहास निर्माण के निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआहै।

डॉक्टर राजमणि शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य में ऑटो बायोग्राफी और मेमायर्स दो भिन्न विधा के रूप में विकसित हुए हैं, जिन्हें क्रमश आत्मकथा तथा संस्मरण साहित्य कहा जाता है। आत्मकथा में संस्मरण की आवश्यकता होती है लेकिन उसे सम्मरण के संज्ञा देना युक्तिसंगत नहीं लगता। वस्तुतः संस्मरण 'मेमाय का सही प्रतिनिधि है पर आशिक मात्र ही।"

संस्मरण का उद्भव और विकास

बालमुकुंद गुप्त द्वारा सन उन्नीस सौ सात में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्करण माना जाता है। बाद में इस काल की एकमात्र संस्मरण पुस्तक हरिऔध पर केंद्रित गुप्त जी द्वारा लिखित हरि ओम के संस्मरण के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें हरिओम को कार्य विषय बताकर 15 संस्मरणों की रचना की गई है।

हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं ने गद्य विधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सरस्वती में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई संस्मरण लिखे। उन्होंने अपने साथी लेखकों को नई गद्य विधाओं के लिए प्रेरित भी किया। इस समय के प्रमुख संस्मरण लेखकों में द्विवेदी जी के अतिरिक्त रामकुमार खेमका, शिव प्रसाद जयसवाल और श्याम सुंदर दास है। श्यामसुंदर दास ने लाला मातादीन पर रोचक संस्मरण लिखे। अपने समकालीन साहित्यकारों पर इस समय से आरंभ हुईपरंपरा आज तक लगातार चली आ रही है।

रेखा चित्र की तरह ही संस्मरण को गद्य की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी पद्मसिंह शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण में अपने जीवन में आए अनमोल पलों को अपने पक्ष के साथी' संस्करण में संकलित किया है। अपने समकालीन साहित्यकारों पर इन रेखा चित्रों से अब तक किसी भी लेखक द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ टिप्पणी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति बात ना होगी। निराला के बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भार में संस्मरण और रेखाचित्र का अनुपम सहयोग हुआहै। इन्हें किसी एक विधा के अंतर्गत रखना संभव नहीं है लेकिन अपनी सजीवता और व्यंग्य के कारण इन्हें अप्रतिम कहा जा सकता है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतिया नामक संग्रह में अपने संस्थानों को लिपिबद्ध किया। इलाचंद्र जोशी कृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियापर वृंदावनलाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण इस काल की उल्लेखनीय रचनाएं हैं।

सन् 1950 के आसपास का समय सम्मरण लेखक की दृष्टि से विशेष महत्व का है। इस समय अनेक लेखक संस्मरणों की रचना कर रहे थे। इनमें प्रमुख हैं

नारायालाल मिश्र प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अगदीशचंद्र माथुर, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय और कमलेश्वर इस समय के अन्य प्रमुख सम्मरण लेखकरहे हैं।

समकालीन लेखक में आत्मकथात्मक विधाओं की भरमार है। संस्मरण आज बहुतायत में लिखे जा रहे हैं। अपने अतीत को बयान करने की ललक हर आदमी के भीतर होती है और उसकी अभिव्यक्ति करना अन्य विधाओं की तुलना में काफी आसान होता है। डॉ विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह पर लिखित संस्मरण 'हक अदा हुआ ने इस विधा को नई ताजगी से भर दिया है और इससे प्रभावित होकर कई नई और पुराने लेखक इस और मुड़े हैं। वर्तमान समय के संस्मरण लेखकों में काशीनाथ सिंह, क्रांति कुमार जैन, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ममता कालिया अखिलेश का नाम काफी प्रमुखता से ले सकते हैं।

9. रेखाचित्र

प्रस्तावना

रेखा चित्र गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में लेखक रेखाचित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी सत्य घटना की वस्तु का या व्यक्तिका चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। इसमें शब्द चित्रों का प्रयोग आवश्यकहै।

रेखा चित्र का अर्थ और परिभाषा

रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के 'स्केच' शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। इस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान ना रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल-ढाल या स्वभाव का, किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण करता है, रेखाचित्र कहलाता है।

परिभाषा

डॉ. भागीरथ मिश्र ने रेखाचित्र की परिभाषा इस प्रकार दी है. "अपने संपर्क में आए हुए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमिमें इस प्रकार उभार कर रखना कि उसके और हमारे हृदय पर एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए, रेखाचित्र या शब्द चित्र कहलाता है।"

रेखा चित्र का उद्भव और विकास

पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग' को रेखाचित्र विधा की प्रथम रचना माना जाता है। इसी रचना के कारण पद्मसिंहशर्मा को रेखाचित्र का जनक कहा जाता है। पद्म पराग' में संस्मरणात्मक निबंधों और रेखाचित्रों का संकलन है। इन रेखाचित्रों में समकालीन महत्वपूर्ण लोगों के जीवन को इसका विषय बनाया गया है। पद्मसिंह शर्मा से प्रभावित होकर श्रीरामशर्मा, हरिशंकर शर्मा और बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ने रेखाचित्र लिखने आरंभ किए। आराम शर्मा के रेखाचित्रों का संग्रह 'बोलती प्रतिमा, बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखाचित्र 'हमारे साथी' और प्रकृति के प्रांगण आदि उल्लेखनीय है।

रेखाचित्र विधा को समुद्र बनाने में रामवृक्षबेनापूरी का योगदान सराहनीय है । उनके प्रसिद्ध रेखाचित्र माटी की मूरतें' को विशेष ख्याति प्राप्त हुई।भाटी की मूरतें' के विषय में मैथिलीशरण गुप्त का कहना है, "लोग माटी की मूरतें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं पर बेनीपूरी सोने की मूरतें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं।" बेनीपूरी का दूसरा रेखाचित्र संग्रह गेहूँ और गुलाब को भी विद्वानों ने काफी सराहा है। बेमापूरीके बाद जिन रचनाकारों को विशेष ख्याति मिली उनमें हैं- महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश शर्मा, जगदीशचंद्र माथुर आदि।

रेखाचित्र के तत्व

रेखाचित्र के प्रमुख तत्व हैं - 1. विषयसंबंधी एकात्मकता, 2. अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता, 3. संवेदनशीलता, 4. संक्षिप्तता, 5. विश्वसनीयता, 6. प्रतिकात्मकता ।

रेखाचित्र के प्रकार

रेखाचित्र के प्रमुखतः पाँच प्रकार माने गए हैं- 1. वर्णनात्मक, 2. संस्मरणात्मक, 3. चरित्र प्रधान, 4. मनोवैज्ञानिक, 5. व्यंग्यात्मक आदि।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 12. रेखाचित्र के कितने प्रकार हैं?

उत्तर :

रेखाचित्र के प्रकार

रेखाचित्र के प्रमुखतः पाँच प्रकार माने गए हैं- 1. वर्णनात्मक, 2. संस्मरणात्मक, 3. चरित्र प्रधान, 4. मनोवैज्ञानिक, 5. व्यंग्यात्मक आदि।

10. व्यंग्य

प्रस्तावना

व्यंग्य साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मज़ाक (लुत्फ) और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्यबाण कहा गया है।

व्यंग्य का अर्थ और परिभाषा

व्यंग्य की उत्पत्ति अज्ज' धातु में वि' उपसर्ग व ण्यत' प्रत्यय लगाने से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ताना कसना। दूसरे शब्दों में व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं अथवा उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

परिभाषा

विभिन्न साहित्यकारों ने समय-समय पर व्यंग्य को अपने शब्दों में परिभाषितकिया है जो इस प्रकार है-

हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार "व्यंग्य वह है, जहाँ अधरोष्ठों में हँस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है।" व्यंग्य साहित्य के महारथी हरिशंकर परसाई के अनुसार, "व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है।" श्रीलाल शुक्ल के अनुसार, "मैंने व्यंग्य को आधुनिक जीवन और आधुनिक लेखन के एक अभिन्न अब और एक अनिवार्य शर्त के रूप में पाया है।"

व्यंग्यकाउद्भवऔरविकास

विद्वानों के अनुसार हिंदी में संत साहित्य से व्यंग्य का आरंभ माना जा सकता है। कबीर व्यंग्य के आदि प्रणेता हैं। उन्होंने मध्यकाल की सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्यपूर्ण शैली में प्रहार किया है। जाति भेद, हिंदू-मुसलमानों के धर्माडंबर, गरीबी अमीरी, रूढ़िवादिता आदि पर कबीर के व्यंग्य बड़े मारक हैं।

कबीरदास के बाद सामाजिक विषमताओं के प्रति व्यग्य को हथियार बनाया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिनकी रचनाओं में गुलाम भारत की विडंबनापूर्ण परिस्थितियों, अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उनकी शोषक दृष्टिके प्रति आक्रोश को देखा जा सकता है । भारतेंद युग के अन्य महत्वपूर्ण व्यम्पकार बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त आदि है।

स्वतंत्रता पूर्व साहित्यकारों में युगीन समस्याओं पर आग्य करने की प्रवृत्ति प्रेमचंद में भी बहत मिलती है। इन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आम आदमी और कृषक वर्ग की दैनंदिन कठिनाइयों पर करारा व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के बाद अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार है- सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडेय बेचैन शर्मा 'उग्र', रांगेय आदि। स्वायत्तर व्यग्य साहित्यकारों में प्रमुख हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, लतीफपी को ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेमजन सूर्यबाला शआदि। हरिशंकर परसाई व्यग्य विधा के प्रतिनिधि रचनाकार है। समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में यम का लगातार सृजनहो रहा है।

वर्तमान के व्यंग्यकारों में सर्वाधिक चर्चित व्यंग्यविधा के संवर्धन एवं सूजन के क्षेत्र में प्रेम जनमेजय का विशिष्ट स्थान है। व्यंग्य को एक गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले प्रेम जनमेजय ने पिछले दो दशकों से 'व्यंग्य यात्रा' के सम्पादन द्वारा व्यंग्य विमर्श का एक सुदृढ मंच तैयार किया है हिंदी व्यंग्य का विश्वविद्यालय कहे जाने वाले प्रेम जनमेजय की चर्चा के बिना हिंदी व्यंग्य पर बातचीत अधूरी है। सुरेश कांत ने व्यंग्य-जगत को एक दर्जन से अधिक व्यंग्य-संकलनों के साथ-साथ दो अद्भुत व्यंग्य-उपन्यास दिए हैं-'ब से बैंक' और 'जॉब बची सो'। सुशील सिद्धार्थ के पास कमाल की भाषा है जो समृद्ध भी है और बेहद पठनीय भी 'नारद की चिंता' इनका प्रमुख संग्रह है। लालित्य ललित मौजूदा दौर के महत्वपूर्ण व्यंग्यकारों में स्थान रखते हैं। 'पांडेय जी'' नामक पात्र के माध्यम से विसंगतियों पर करारी चोट करने में उन्हें महारत प्राप्त है। दक्षिण भारत से प्रथम व्यंग्य यात्रा रवींद्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान से सम्मानित युवा व सर्वाधिक सक्रिय व्यंग्यकार डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त' वर्तमान में सबसे जाना-माना नाम है। उनका ''एक तिनका इक्यावन आँखें''. प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है। इसी में “किताबों की अंतिम यात्रा'' जैसी प्रसिद्ध रचना है। डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त को तेलंगाना

सरकार की हिंदी अकादमी ने श्रेष्ठ नवयुवा रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया है। व्यंग्य को सामाजिक सतर्कता के हथियार के रूप में देखा जाता है। वर्तमान के अन्य व्यंग्यकारों में जवाहर चौधरी, डॉ. रमेश चन्द्र खरे, के.पी. सक्सेना, माणिक वर्मा, यशवंत व्यास, सुभाष चंदर, अरविंद तिवारी, अनूप मणि त्रिपाठी, पिलकेंद्र अरोरा, संतोष त्रिवेदी, सुरजीत सिंह, निर्मल गुप्त, मलय जैन, शशिकांत सिंह 'शशि' प्रमुख हैं।

व्यंग्य के तत्व

व्यंग्य विधा के प्रमुख आठ तत्व हैं- 1. विसंगतियों की उपस्थिति, 2.. प्रगतिशील वसकारात्मक सोच, 3. नैतिक मूल्यों की रक्षा का गहन चिंतन, 5. पात्रों का चयन,6.व्यक्ति व समाज का पतन, 7. भाषा शैली 8 आलोचना आदि।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. व्यंग्य का अर्थ और परिभाषा लिखिए।

उत्तर :

व्यंग्य का अर्थ और परिभाषा

व्यंग्य की उत्पत्ति अज्ज' धातु में वि' उपसर्ग व ण्यत' प्रत्यय लगाने से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ताना कसना। दूसरे शब्दों में व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति अथवा रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं अथवा उसके किसी पहलू को रोचक तथा हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

परिभाषा

विभिन्न साहित्यकारों ने समय-समय पर व्यंग्य को अपने शब्दों में परिभाषितकिया है जो इस प्रकार है-

हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार "व्यंग्य वह है, जहाँ अधरोष्ठों में हँस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है।" व्यंग्य साहित्य के महारथी हरिशंकर परसाई के अनुसार, "व्यंग्य जीवन से

साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है।" श्रीलाल शुक्ल के अनुसार, "मैंने व्यंग्य को आधुनिक जीवन और आधुनिक लेखन के एक अभिन्न अब और एक अनिवार्य शर्त के रूप में पाया है।"

11. अन्य विधाएँ

1. डायरी लेखन
2. भेटवार्ता (साक्षात्कार)
3. यात्रा वृत्तांत
4. रिपोर्ताज
5. आलोचना
6. जीवनी
7. प्रहसन
8. पर्यालोचन
9. गल्प
10. विज्ञान कथा ।

❖ **लघुमहत्वपूर्ण प्रश्न**

1. कविता का अर्थ क्या है?
2. कहानी किस रूप में स्वीकृत हो चुकी है?
3. उपन्यास की परिभाषा देते हुए उनके तत्वों पर प्रकाश डालिए।
4. नाटक का अर्थ एवं परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए।
5. एकांकी के विषय में अपने विचार लिखिए।
6. निबंध का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए।
7. आत्मकथा का उद्देश्य क्या है?
8. संस्मरण क्या कहलाता है? प्रमुख संस्मरणों के नाम लिखिए।
9. रेखाचित्र के कितने प्रकार हैं?
10. व्यंग्य का अर्थ और परिभाषा लिखिए।

❖ **दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्न**

1. कविता विधा पर अपने विचार लिखिए।
2. हिंदी कहानी केविकास पर अपने विचार लिखिए।
3. उपन्यास विधा पर अपने विचार लिखिए।

यूनिट 3. जनसंचार के माध्यम

1. जनसंचार का अर्थ, परिभाषाएँ एवं स्वरूप

हिंदी और जनसंचार माध्यम का समीकरण वर्तमान परिदृश्य में भारतीय ही नहीं वैश्विक दृष्टि से उल्लेखनीय बन चुका है। इन दोनों के संदर्भ और परस्पर सहकारिता के स्तंभ सिद्ध हो रहे हैं। जनसंचार माध्यम आज वैश्विक पृष्ठभूमि में सामाजिक से लेकर वैयक्तिक स्तर तक अपनी आवश्यकता निर्मित कर चुके हैं। भविष्य में अनगिनत ऐसी आवश्यकताएँ और भी बढ़ने वाली है, जहाँ पर जनसंचार माध्यम उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। श्री रूपचंद गौतम के अनुसार- "संचार का काम है एक-दूसरे से बातचीत करना, लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया जाता है यानी आदमियों से परिवार, परिवार से गांव गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश, देश से विदेश तक संचार जनसंचार के दायरे में आ जाता है।"

पहले संचार कबूतरों के माध्यम से होता था। जैसे-जैसे मनुष्य की दिनचर्या में परिवर्तन आता गया ठीक वैसे-वैसे संचार की तकनीकें बदलने लगी। मगर संचार के क्षेत्र में भाषा प्रथम तकनीक रही। ने संचार को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। भाषा के अभाव में भी संचार होता तो है, पर भावों, विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा जितनी अच्छी मानी जाती है उतनी अन्य किसी माध्यम द्वारा नहीं संचार को गति देने का प्रथम कार्य भाषा ही करती है। इस दृष्टि से जनसंचार माध्यमों को उस भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसमें संप्रेषण की क्षमता सर्वाधिक हो।

देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सूचना और सूचना संप्रेषणा के माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार सूचना और विचारों का प्रसार भी करता है व आधुनिक साधनों के जरिए मनोरंजन प्रदान करता है। जनसंचार के इन माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही आते हैं। आधुनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, अखबार, विज्ञापन और अन्य नए नए माध्यम भी आज सामने आ रहे हैं

जनसंचार का अर्थ

व्युत्पत्ति की दृष्टि से अनसंचार शब्द संचार में 'जन' के योग से बना है। "संचार" सीमित अर्थ का वाचक भी हो सकता है, लेकिन इसमें 'जन' जुड़कर इसकोव्यापक बना देता है। सरल शब्दों में कहें तो कहेंगे कि जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर व्यापक स्तर पर होती है, तब वह 'अनसंचार' कहलाता है। जनसंचार मुख्यतः सूचना संचरण की प्रक्रिया है। यहाँ जनसंचार का अभिप्राय सामाजिकों के मध्य होने वाले सूचनागत आदान प्रदान से है। इसकी आवश्यकता आदिकालीन संस्कृति से लेकर वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तक व्याप्त है।

भारत में जन संचार की अवधारणा बहुतपुरानी है। पी. एन. मलहन ने भारत की संचार व्यवस्था को महर्षि नारद तथा संजय जैसे चरित्रों से जोड़कर मौर्यवंशी तथा मध्यकालीन भारत की संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। जनसंचार संचार की एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें व्यापक जनसमूह तरह-तरह की भाषा-संस्कृति, सोच विचार ऐतिहासिक, भौगोलिक अविस्थितियों के लोग सम्मिलित होते हैं। जनसंचार की अवधारणा वास्तव में आधुनिक युग की देन है। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने इसे सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

जनसंचार को अंग्रेजी में Mass Communication' कहते हैं। इस प्रकार जनमंचार यौगिक शब्द है जिसमें जन Mass एवं संचार Communication दो स्वतंत्र अर्थ सत्तावाले शब्द सम्मिलित हैं। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है- "जन' अर्थात् समूह, समाज, जनता, जनमानस आदि एवं 'संचार' अर्थात् संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थपूर्ण संदेशों का आवागमन। इस अर्थ में दूरसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें समूहों के मध्य अर्थपूर्ण संदेशों अथवा सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इसकी अवधारणा वैश्विक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

Communication शब्द लैटिन के Communis से बना है जिसका मंतव्य है - "किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना।" संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति इसरे व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों में सहभागी होता है। वे समस्त विधियां 'संचार' हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है।

परिभाषाएँ

संचार माध्यमों ने दनिया को बहु त छोटा बना दिया है। तार-बेतार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शनने बहु तहद तक भौगोलिक दूरियों का मतलब बदल दिया है। शाति ही जीवन है और बहु तही मृत्यु है चलने दौड़ने, आगे बढ़ने औरव्यापक होने के अर्थ में संचार शब्द का प्रयोग होता है। 'संचार संस्कृत के धातु से बना है जिसका अर्थ 'चलना' है। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुं चाते हैं या फैलाते हैं तो वही संचार कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचारकाती है। कुछ विद्वान अनुभवों को बांटने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जनसाधारण तक संदेश पहुं चाना चाहता है। बृहत् स्तर पर जब आवश्यक और महत्वपूर्ण संदेश, सूचना, विचार, प्रतिक्रिया, विशेष अभिव्यक्ति को अन्य व्यक्ति, स्थान और समय तक पहुं चाया जाता है तब इस प्रक्रिया को जनसंचार के नाम से परिभाषित किया जाता है। कुछ विद्वानों ने जनसंचार की परिभाषाएँ प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है

डॉ. अर्जुन तिवारी के अनुसार "जन-जन तक व्यापक रूप में भावों के आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है।"

फैकलीन, फियरिंग "जनसंचार संचार के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिखरे हु ए विशाल समुदाय के सदस्यों के पास एक संदेश को

पहुं चाने में समर्थ है।" जार्ज ए मिलर "जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तकपहुँचानाहै।"

देविड झूम जनसंचार ही बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो- 'जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है।"

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो यादों से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान-प्रदान होता है जिससे दोनों के संदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान होता है। हालैंड ने संचार को शक्ति माना जिससे संचारकर्ता किसी उत्तेजना द्वारा दूसरे

व्यक्ति के व्यवहारको परिवर्तित करता है। संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विचारों, मनोवृत्तियों और सूचना में भाग लेता है।

अंततः जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है जो यंत्र चालित है और संदेशको दुगुनातिगुना कर दूर-दूर तक प्रेषित करता है।

जनसंचार माध्यमों का स्वरूप

संचार माध्यम जनसंचार का महत्वपूर्ण स्रोत है। संचार वह विधा है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जनसंचार शब्द की अवधारणा काफी पुरानी है। संचार एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। संपूर्ण संसार में प्रत्येक व्यक्ति तथा जीव • जंतु के संचार के अपने सौर तरीके हैं। पशु-पक्षी भी अपनी ही शैली में स्वयं की बात को अपने साथी तक प्रेषित करते हैं। अतः सृष्टि के आरंभ काल से ही संचार की विविध शैलियाँ किसी न किसी रूप में प्रचारित रही है।

प्राचीन समय में जब छोटे-छोटे समूहों में रहते थे उस समय आमने-सामने के संपर्क से मानव एक-दूसरे से जुड़ा था। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए लोगों को एक समय में एक साथ सूचना ही प्रेषित करनी पड़ती है। यह काम संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जाता है। भारतीय साहित्य में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं।

जनसंचार की दृष्टि से प्राचीन परंपरागत लोकमाध्यम विशेष प्रभावी रहे हैं। वह लोकमाध्यम ना सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वरन मूल्यों के विकास के साथ विशेष संदेश को जन समुदाय तक संप्रेषित करने के समकक्ष माध्यम है, यह लोक माध्यम व्यक्ति के हृदय से जुड़ते हैं। अतः अधिक प्रभावी होते हैं। भारत में परंपरागत रूप से समूह मंचार ही अपनाया जाता रहा है, जिसमें मेले, सभा, तीर्थाटन आदि के माध्यम से शीघ्रता से संचार संभव था। यह एक संचार तंत्र के रूप में भारत की एक अद्वितीय विशेषता रही है। यही कारण है कि उत्तर भारत में रचित 'रामचरितमानस' अखिल भारतीय जनमानस तक पहुंच सका। सुधारात्मक आयाम लिए दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन उत्तर भारत तक पहुँचसका।

आज तकनीकी माध्यमों के विकास के कारण भारत में जो परंपरागत लोक माध्यम से वे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यद्यपि भारत में कठपुतली, लोकगीत,

लोकगाथा लोकनाट्य, रासलीला, स्वांग, लोककला के रूप में जनसंचार के माध्यम थे। आधुनिक काल में पत्र पत्रिकाओं के साथ नवीन प्रकार के जनसंचार का प्रचलन शुरू हुआ है। तकनीकी माध्यमों के विकास के कारण परंपरागत लोकमाध्यमों का महत्वकम हो रहा है। फिर भी लोकमाध्यमों का अपना विशेष महत्व है। इसका कारण यह है कि यह लोकमाध्यम कम खर्चीले होते हैं। कम खर्च द्वारा भी इन माध्यमों से अपनी बात हम जनसमुदाय के सामने प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तमाशा, नौटंकी आदि अनेक परंपरागत लोक शैलियाँ समय के अनुसार परिवर्तित हो रही है। अनेक प्राचीन मूल स्वरूप को बनाए रखकर सामाजिकता को उस में समाविष्ट किया जा सकता है। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर इन शैलियों में टिप्पणियों की जा सकती है।

भारतीय लोक शैलियाँ, संवाद नृत्य, गीत, संगीत आदि का अद्भुत मिश्रण है है। ये प्रस्तुतियाँ लोगों के समूह को गहराई से प्रभावित करती है। इनमें अप्रत्यक्ष रूप से श्रोता एवं दर्शक वर्ग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये लोक माध्यम व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति की पिपासा को शांत करते हैं तथा नाटक और संगीत के माध्यम से मनुष्य का मनोरंजन करते हैं उसे नैतिक उद्बोधन भी देते हैं।

आज उपरोक्त परंपरागत माध्यमों की जगह आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने ती है। इन माध्यमों के कारण संपूर्ण दुनिया सिमट कर नजदीक आ गई है। आज सुदूर पिछड़े आंचल में भी इन माध्यमों के अभाव को पिछड़ेपन का प्रतीक माना जा रहा है । आज संचार के ये नए माध्यम समाज के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। आज सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न जनसंचार के माध्यम प्रचलित रहे हैं। इन माध्यमों में निरंतर परिवर्तन होता आया है। अत: कह सकते हैं कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप एक जैसा नहीं है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. जनसंचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

जनसंचार का अर्थ

व्युत्पत्ति की दृष्टि से अनसंचार शब्द संचार में 'जन' के योग से बना है। "संचार" सीमित अर्थ का वाचक भी हो सकता है, लेकिन इसमें 'जन' जुड़कर इसकोव्यापक बना देता है। सरल शब्दों में कहें तो कहेंगे कि जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर व्यापक स्तर पर होती है, तब वह 'अनसंचार' कहलाता है। जनसंचार मुख्यतः सूचना संचरण की प्रक्रिया है। यहाँ जनसंचार का अभिप्राय सामाजिकों के मध्य होने वाले सूचनागत आदान प्रदान से है। इसकी आवश्यकता आदिकालीन संस्कृति से लेकर वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तक व्याप्त है।

भारत में जन संचार की अवधारणा बहु तपुरानी है। पी. एन. मलहन ने भारत की संचार व्यवस्था को महर्षि नारद तथा संजय जैसे चरित्रों से जोड़कर मौर्यवंशी तथा मध्यकालीन भारत की संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। जनसंचार संचार की एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें व्यापक जनसमूह तरह-तरह की भाषा-संस्कृति, सोच विचार ऐतिहासिक, भौगोलिक अविस्थितियों के लोग सम्मिलित होते हैं। जनसंचार की अवधारणा वास्तव में आधुनिक युग की देन है। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने इसे सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

जनसंचार को अंग्रेजी में Mass Communication' कहते हैं। इस प्रकार जनमंचार यौगिक शब्द है जिसमें जन Mass एवं संचार Communication दो स्वतंत्र अर्थ सत्तावाले शब्द सम्मिलित हैं। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है- "जन' अर्थात् समूह, समाज, जनता, जनमानस आदि एवं 'संचार' अर्थात् संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थपूर्ण संदेशों का आवागमन। इस अर्थ में दूरसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें समूहों के मध्य अर्थपूर्ण संदेशों अथवा सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इसकी अवधारणा वैश्विक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है।

Communication शब्द लैटिन के Communis से बना है जिसका मंतव्य है - "किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना।" संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके

द्वारा एक व्यक्ति इसरे व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों में सहभागी होता है। वे समस्त विधियां 'संचार' हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है।

प्रश्न 2. जनसंचार की कोई एक परिभाषा लिखिए।

उत्तर :

परिभाषाएँ

संचार माध्यमों ने दनिया को बहुत छोटा बना दिया है। तार-बेतार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन ने बहुत हद तक भौगोलिक दूरियों का मतलब बदल दिया है। शाति ही जीवन है और बहुत ही मृत्यु है चलने दौड़ने, आगे बढ़ने और व्यापक होने के अर्थ में संचार शब्द का प्रयोग होता है। 'संचार संस्कृत के धातु से बना है जिसका अर्थ 'चलना' है। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं तो वही संचार कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचारकाती है। कुछ विद्वान अनुभवों को बांटने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जनसाधारण तक संदेश पहुंचाना चाहता है। बृहत् स्तर पर जब आवश्यक और महत्वपूर्ण संदेश, सूचना, विचार, प्रतिक्रिया, विशेष अभिव्यक्ति को अन्य व्यक्ति, स्थान और समय तक पहुंचाया जाता है तब इस प्रक्रिया को जनसंचार के नाम से परिभाषित किया जाता है। कुछ विद्वानों ने जनसंचार की परिभाषाएँ प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है

डॉ. अर्जुन तिवारी के अनुसार "जन-जन तक व्यापक रूप में भावों के आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है।"

फैकलीन, फियरिंग "जनसंचार संचार के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बिखरे हुए विशाल समुदाय के सदस्यों के पास एक संदेश को

पहुंचाने में समर्थ है।" जार्ज ए मिलर "जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तकपहुँचानाहै।"

देविड झूम जनसंचार ही बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों

का शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो- 'जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है।"

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो यादों से अधिक लोगों के बीच विचारों, अनुभवों तथ्यों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान-प्रदान होता है जिससे दोनों के संदेश के बारे में प्राप्त ज्ञान होता है। हालैंड ने संचार को शक्ति माना जिससे संचारकर्ता किसी उत्तेजना द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहारको परिवर्तित करता है। संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विचारों, मनोवृत्तियोंऔर सूचना में भाग लेता है।

अंततः जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है जो यंत्र चालित है और संदेशको दुगुनातिगुना कर दूर-दूर तक प्रेषित करता है।

प्रश्न 3. जनसंचार के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।(दीर्घ प्रश्न)

उत्तर :

जनसंचार माध्यमों का स्वरूप

संचार माध्यम जनसंचार का महत्वपूर्ण स्रोत है। संचार वह विधा है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जनसंचार शब्द की अवधारणा काफी पुरानी है। संचार एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। संपूर्ण संसार में प्रत्येक व्यक्ति तथा जीव • जंतु के संचार के अपने सौर तरीके हैं। पशु-पक्षी भी अपनी ही शैली में स्वयं की बात को अपने साथी तक प्रेषित करते हैं। अतः सृष्टिके आरंभ काल से ही संचार की विविध शैलियाँ किसी न किसी रूप में प्रचारित रही है।

प्राचीन समय में जब छोटे-छोटे समूहों में रहते थे उस समय आमने-सामने के संपर्क से मानव एक-दूसरे से जुड़ा था। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए लोगों को एक समय में एक साथ सूचना ही प्रेषित करनी पड़ती है। यह काम संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जाता है। भारतीय साहित्य में इसके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं।

जनसंचार की दृष्टि से प्राचीन परंपरागत लोकमाध्यम विशेष प्रभावी रहे हैं। वह लोकमाध्यम ना सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वरन मूल्यों के विकास के साथ विशेष संदेश को जन समुदाय तक संप्रेषित करने के समकक्ष

माध्यम है, यह लोक माध्यम व्यक्ति के हृदय से जुड़ते हैं। अतः अधिक प्रभावी होते हैं। भारत में परंपरागत रूप से समूह मंचार ही अपनाया जाता रहा है, जिसमें मेले, सभा, तीर्थाटन आदि के माध्यम से शीघ्रता से संचार संभव था। यह एक संचार तंत्र के रूप में भारत की एक अद्‌वितीय विशेषता रही है। यही कारण है कि उत्तर भारत में रचित 'रामचरितमानस' अखिल भारतीय जनमानस तक पहुंच सका। सुधारात्मक आयाम लिए दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन उत्तर भारत तक पहुँचसका।

आज तकनीकी माध्यमों के विकास के कारण भारत में जो परंपरागत लोक माध्यम से वे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यद्‌यपि भारत में कठपुतली, लोकगीत, लोकगाथा लोकनाट्‌य, रासलीला, स्वांग, लोककला के रूप में जनसंचार के माध्यम थे। आधुनिक काल में पत्र पत्रिकाओं के साथ नवीन प्रकार के जनसंचार का प्रचलन शुरू हुआ है। तकनीकी माध्यमों के विकास के कारण परंपरागत लोकमाध्यमों का महत्वकम हो रहा है। फिर भी लोकमाध्यमों का अपना विशेष महत्व है। इसका कारण यह है कि यह लोकमाध्यम कम खर्चीले होते हैं। कम खर्च द्‌वारा भी इन माध्यमों से अपनी बात हम जनसमुदाय के सामने प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तमाशा, नौटंकी आदि अनेक परंपरागत लोक शैलियाँ समय के अनुसार परिवर्तितहो रही है। अनेक प्राचीन मूल स्वरूप को बनाए रखकर सामाजिकता को उस में समाविष्ट किया जा सकता है। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर इन शैलियों में टिप्पणियों की जा सकती है।

भारतीय लोक शैलियाँ, संवाद नृत्य, गीत, संगीत आदि का अद्भुतमिश्रण है है। ये प्रस्तुतियाँ लोगों के समूह को गहराई से प्रभावित करती है। इनमें अप्रत्यक्ष रूप से श्रोता एवं दर्शक वर्ग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये लोक माध्यम व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति की पिपासा को शांत करते हैं तथा नाटक और संगीत के माध्यम से मनुष्य का मनोरंजन करते हैं उसे नैतिक उद्‌बोधन भी देते हैं।

आज उपरोक्त परंपरागत माध्यमों की जगह आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने ती है। इन माध्यमों के कारण संपूर्ण दुनिया सिमट कर नजदीक आ गई है। आज सुदूरपिछड़े आंचल में भी इन माध्यमों के अभाव को पिछड़ेपन का प्रतीक माना जा रहा है । आज संचार के ये नए माध्यम समाज के लिए अपरिहार्य हो गए हैं। आज सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। इस प्रकार प्राचीन काल से

लेकर आज तक विभिन्न जनसंचार के माध्यम प्रचलित रहे हैं। इन माध्यमों में निरंतर परिवर्तन होता आया है। अत: कह सकते हैं कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों का स्वरूप एक जैसा नहीं है।

2. जनसंचार का महत्व

सभी जन संचार माध्यम विभिन्न रूप से समाज के लिए काम करते हैं। यह देश के संपूर्ण विकास में एक निश्चित भूमिका अदा करते हैं। किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार या कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक साथ लाखो करोड़ों लोगों तक एक सूचना को पहुंचाना ही संचार या जनसंचार या मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब टेलीफोन, नेट की सुविधाएं नहीं थी तब लोग चिट्ठी लिखकरअपना हाल समाचार लोगों तक पहुंचाते और दूसरों का समाचार जानते थे। जब डाक व्यवस्था नहीं थी तब लोग संदेश भेजने वालों जिन्हें संवादिया कहा जाता था, के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश भेजते या मंगाते थे।

पुराने समय में राजा के हरकारे पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा के संदेश राजधानी से दूसरी जगहों पर ले जाते और वहां से ले आते थे। लोग कबूतरों के जरिए अपना संदेश भेजा करते थे। बाद में एक सरकारी विभाग डाक विभाग बनाकर सबके लिए यह सुविधा सुलभ कर दी गई थी। हर कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकता है।

डाक व्यवस्था में इतने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा कि संदेश तार के जरिए पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। । तार का ही विकसित रूप टेलीप्रिंटर है। इसके अलावा फैक्स, ईमेल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इन उपकरणों के आ जाने से सिर्फ डाक प्रणाली में नहीं बल्कि संचार माध्यमों को सूचनाएं इकट्ठा करने और प्रसारित करने में भी काफी सुविधा हुई है।

संचार का अर्थ सिर्फ व्यक्ति का अपना हाल समाचार दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अपने या अपने संबंधियों की सूचनाएं जानने के अलावा देश-दुनिया की खबरों को जानने का इच्छुक होता है। उनके आसपास हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या घटना घट रही है, सब की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सूचनाओं की इसी भूख के चलते संचार माध्यमों का लगातार विकास और विस्तार होता गया। जो लोग व्यवसाय या किसी व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए बाजार में

वस्तुओं की कीमतों व शेयरों के उतार-चढ़ाव की खबरें जानना जरूरी होता है। जो लोग शिक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किसानों को मौसम की जानकारी और खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी काफी मददगार साबित होती है। यदि अखबार, रेडियो, दूरदर्शन् मोबाइल जैसे संचार माध्यम ना होते तो वह सूचनाएं पहुंचानाकठिन होता।

संचार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तरह-तरह के संचार माध्यमों काविकास कर लिया गया है। जल्दी से जल्दी सूचनाएँ पहुंचानेकी दुनिया भर में होड़लगी हुई है। पहले निर्धारित समय पर समाचारों का प्रसारण हुआकरता था। अब चौबीसों घंटे देश-दुनिया की खबरों का लगातार प्रसारण दूरदर्शनव अन्य चैनलों में चलते रहते हैं।

जनसंचार के कई महत्वपूर्ण कार्य है। जनसंचार के मूलभूतकार्य लोगों कोसूचित करना, लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना । साथ ही साथ यह माध्यम लोगों को शिक्षित करने व सभ्यताओं के प्रचार में भी सहायता करते हैं। मुख्य कार्य इस प्रकार है

नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम

उपग्रह

नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम में उपग्रह (सैटेलाइट) है। उपग्रहों के कारण आजकल संचार की दुनिया में पर्याप्त विकास हुआहै। टेलीफोन के संचालन की तकनीक का लाभ लेते अंतरिक्ष के तरंगो को विद्युत उर्जा में बदलकर सूचना तकनीकी में क्रांति पैदा हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग आज अनिवार्य हो गया है। 1876 में कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच प्रयोग के तौर पर दो मील की दूरी के लिए टेलीफोन केबुल का उपयोग हुआ था। भारत में पहली बार टेलीफोन सन् 1931 में लार्ड वायसराय के घर पर लगा। उसके पश्चात् इसका विकास संपूर्ण भारत में हुआ।

टेलेक्स

टेलेक्स सूचना संप्रेषण माध्यम का एक पुराना माध्यम माना जाता है। सन् 1938 में अमेरिका में पहली बार सेमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ लाइने बिछाने का कार्य हुआ था। इससे पहले 1881 में कई शहरों को टेलीग्राफिक लाइनों से जोड़ा गया था । लगभग इसी समय में भारतीय महानगरों को भी इस सूचना तन्त्र से जोड़ दिया गया।

इंटरनेट

आज संसार के जन-संचार के माध्यमों में इंटरनेट प्रसिद्ध है। इंटरनेट सभी वर्गों के लिए सुविधाजनक साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इंटरनेट का उद्भव इंटरनेट के संकल्प से हुआ।इंटरनेट अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान कर्ताओं के बीच तालमेल बैठने के लिए विकसित किया गया था। इंटरनेट से जुड़े कम्प्युटरों के बीच अति तीव्र रफ्तार से आंकड़ों का संप्रेषण, समाचार संदेश, घर बैठे देश-विदेश के पुस्तकालयों के साथ संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन आदि बढ़ा ही सुगम है । सूचना आदान-प्रदान करने की संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था इंटरनेट है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क एक दिन अपनी साधारण बनावट और महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था का प्रतिस्पर्धी हो जायेगा।

स्व-नियंत्रित या अन्य के द्वारा नियंत्रण सहित यह व्यवस्था लाखों लोगों की जुबानी है। यह कंप्यूटर द्वारा सारे उपयोगकर्ताओं को टेलीफ़ोन द्वारा जोड़ता है। इसका संबंध साधारण मानक तकनीक से होता है। इसका लगातार विस्तार हो रहा है। । प्रत्येक माह हजारों साधन मिलकर इंटरनेट के स्तर की वृद्धी कर रहे हैं। इंटरनेट के अंदर या इंटरनेट से जुड़े हुए हजारों छोटे नेट वर्क है जैसे-आर.टी. के नेट और पीस नेट। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है। इंटरनेट पर जो साधन उपलब्ध हैं उसमे लाइब्रेरी ऑफ़ कॉनर्स का रूचि पत्र और बहुत विशिष्ठ आकड़ों का आधार भी शामिल है। इंटरनेट से प्राप्त होने वाली विविध विषयों की सूचनाएं काफी है। इसके उपयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी अपेक्षा है कि इस सदी के अंत तक दो अरब से ज्यादा लोग जुड़ चुके होंगे।

ट्विटर

ट्विटर का अर्थ है ट्विट ऐप पर कुछ लिखना, लिखकर पोस्ट करना या कोई संदेश टूट्विटर पर भेजना इसी को विट कहते हैं। असाधारण काम कम समय में ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं बड़ी कंपनियों ने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया है। ट्विटर के माध्यम से प्रोफेशनल्स बेहतर नौकरी पा सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी नेता के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अपने रुचि के अनुसार किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। अपने स्थानीय लोगों की जानकारी लेने के लिए ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्थान का नाम लिखकर वहाँ से जोड़े समाचार तुरंत पा सकते हैं। ट्विटर से लाभ सर्वसाधारण जनता से लेकर बड़े पूंजीपतियों को भी होता है। टूविटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करना सरल है।

टूविटर का अविष्कार अमेरिका के जैक डोर्सी, नाओग्लास, बिगस्टोन इवानविलियम्स ने मिलकर किया। टूविटर से लाभ इस प्रकार है-

1. टूविर की सहायता से सामान्य व्यक्ति भी अपने चाहने वालों तक पहुंचसकता है।
2. यह संसार में देश-विदेश की जानकारी देनेवाला माध्यम है। 3. प्रचार एवं प्रसार करने का लोकप्रिय माध्यम है।
4. टूट्विटर से पैसे भी कमा सकते हैं।
5. ट्विटर प्रतिदिन 400 खातों तक अनुसरण (फॉलो) कर सकता है।

व्हाट्सप

व्हाट्सप ऐप्प का आविष्कार ब्रायन इक्टन और जन्कौम ने 24 फरवरी 2009 अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया था। इस ऐप्प में 2009 से लेकर आज तक कई परिवर्तन हुए हैं और सुधार भी हुए हैं। इस ऐप्प के माध्यम से मेसेज, फोटो, वीडियो और अनगिनत संदेश भेजे जाते हैं। अब व्हाटसप ऐप्प ने ओकेशन शेयरिंग फीचर को सम्मिलित किया है। आज व्हाट्सप ऐप्प के द्वारा एक ग्रुप बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। व्हाट्सप ऐप्प ने 2014 में रीड रिसिप्ट्स के लिए व्हाट्सप ऐप्प वेब लॉंच कर दिया। 2016 में एंड टु एंड एनक्रिप्शन फीचर और वीडियो कॉलिंग

फीचर भी प्रदान किया गया 2017 में स्टेटस फीचर, 2018 में बिजनेस ऐप्प जैसे फीचर को भी जोड़ दिया। 2021 तक व्हाट्सप ऐप्प 12 वर्षों का हो गया है।

फेसबुक

फेसबुक का आरंभ 4 फरवरी 2004 में अमेरिका के कैंब्रिज में हुआ। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना मार्क जुकर्बर्ग ने अपने साथी रूपमेट्स के साथ मिलकर किया है। फेसबुक को हिंदी में निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा कह सकते हैं। अपने मोबाइल ब्राउजर में M. facebook.com पर जाएँ ईमेल: आप ऐसे किसी भी ईमेल पते से लॉगिन कर सकते हैं जो आपके फेसबुक अकाउंट में दिया हुआहो। उपयोगकर्ता का नाम यदि अपने उपयोगकर्ता के नाम से सेट किया हुआहो तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। यह फेसबुक चालू करने का तरीका है।

ईमेल

ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क के जरिए संदेश भेजने, प्राप्तकरने का एक साधन है। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल कार्यालयों, न्यायालयों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि स्थानों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का अधिकारिक तरीका बना लिया गया है। ईमेल सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बहुतही उपयोगी साधन है।

कंप्यूटर

कंप्यूटर आधुनिक काल के लिए एक वरदान है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में अधिक डाटा सुरक्षित रखता है। यह इनपुट और आउटपुट के उपयोग से काम करता है। कंप्यूटर को बहुतही सरल रूप से चला सकते हैं। कंप्यूटर कम समय में अधिक कार्य करता है। यह व्यक्ति के श्रम को कम करता है। कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कंप्यूटर आज के युग में विश्व का लोकप्रिय साधन है।

1. समाचार तथा सूचना या जानकारी देना

सूचनाओं का प्रसारण समाचार माध्यमों (मीडिया) का प्राथमिक कार्य है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी विश्व भर की खबरें उपलब्ध करवाकर हमारा सूचना स्तर बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से समाचार की अवधारणा में फर्क आता जा रहा है। समाचार माध्यम अब किसी घटना को जैसा का ठेसा" बताने का कार्य नहीं करते हैं। समाचारों का वर्णन करने से लेकर इनमें मानवीय अभिरुचि विश्लेषण और फीचराइजेशन की भी अब शामिल कर लिया गया है। पत्रकार आज समाचार विश्लेषक बन गए हैं। वे किसी भी महत्वपूर्ण समाचार के आगामी प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल समाचार माध्यम किसी भी घटना, विचार, नीति परिवर्तन, दर्शन आदि को समझाने में भी सहायता करते हैं।

2. विश्लेषण तथा प्रतिपादन

मीडिया घटना का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर हमें देता है।

3. शिक्षा

शैक्षिक क्रिया संपन्न करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। जैसेसामाजिकरण, सामान्य शिक्षा क्लासरूम प्रशिक्षण आदि। मीडिया पैतृक समाज केसांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ रूपांतरित तथा प्रतिस्थापित करने का काम करता है।

4. लोगों को प्रोत्साहित करना

आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग तथा वितरण प्रक्रिया में मीडिया का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन जनता को नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उनके मूल्यों के बारे में विश्वास उत्पन्न करते हैं तथा उनको खरीदने के लिए राजी करते हैं। किसी वस्तु सेवा विचार व्यक्ति, स्थान, घटना इत्यादि के प्रति लोगों को समझाने या प्रोत्साहित करने के लिए भी जन माध्यमों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाताहै। अलग-अलग नयमों की अलग-अलग प्रकृति पहुंच होती है। विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां इन माध्यमों की प्रकृति को पहचानते है । संदेश की प्रकृति और लक्षित समूह को ध्यान में

रखकर निर्धारित किया जाता है कि उसे किस माध्यम से प्रसारित किया जाए।

5. मनोरंजन

जनसंचार का एक अत्यधिक प्रचलित कार्य लोगों का मनोरंजन करना भी है । रेडियो, टीवी और फिल्म तो सामान्यतया मनोरंजन का ही साधन समझे जाते हैं। समाचार पत्र भी कॉमिक्स, कार्टून, फीचर, वर्ग पहेली आदि के माध्यम में पाठकों को मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। रेडियो आमतौर पर संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है। हास्य नाटिका, नाटक, बार्ता इत्यादि के माध्यम से भी रेडियो मनोरंजन उपलब्ध करवाता है।

टीवी तो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। गंभीर विषयों जैसे की समाचार प्रकृति, अन्य जीवन से जुड़े हु ए तथा कुछ चैनल हास्य की सामग्री भी प्रसारित करते हैं। सभी जन माध्यमों में से शायद फिल्म ही ऐसा माध्यम जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बना है। शैक्षणिक फिल्मों और कला फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी फिल्मे मनोरंजन ही उपलब्ध है।

प्रतिदिन हम हजारों संदेश प्राप्त करते हैं। उन पर प्रक्रिया होने के बाद उनका मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर हम कुछ संदेशों को कर देते हैं और कुछ को अपने मस्तिष्क में सूचना विचारत इत्यादि के साथ जमा कर लेते हैं। यह सभी सूचनाएं हमें किसी ने किसी स्तर पर प्रभावित करती रहती है। आज हम संचार के माध्यम से जो कुछ भी सीख रहे है उसमें हमारे व्यवहार पर कहींन कहीं असर देखने को मिलेगा।

जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता तो सर्वविदित है। पिछले कुछ वर्षो में देश के आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियों के प्रचार-प्रसार और प्रचलन आर्थिक सूचनाओं ने भी जनसंचार माध्यमों में अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर दिया। अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पत्रकारिता अपनीनई परंपरा कायम कर रही है।

जनसंचार माध्यमों का काम केवल घटनाओं की सूचना देना ही नहीं है, बल्कि वह दृष्टि भी प्रदान करना है जिससे आम लोग उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिए विवश हो, जिनके चलते घटना का घटित होना संभव होता है। विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ही हम सभ्यता के विकास का पत्र प्रशस्त कर रहे हैं, अतः निष्पक्ष वैचारिक दृष्टि आधुनिक जनसंचार माध्यम उपलब्ध हैं।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 2. जनसंचार माध्यमों का महत्व बतलाते हुए नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार केमाध्यमों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

जनसंचार का महत्व

सभी जन संचार माध्यम विभिन्न रूप से समाज के लिए काम करते हैं। यह देश के संपूर्ण विकास में एक निश्चित भूमिका अदा करते हैं। किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचानाही संचार या कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक साथ लाखो करोड़ों लोगों तक एक सूचना को पहुंचाना ही संचार या जनसंचार या मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब टेलीफोन, नेट की सुविधाएं नहीं थी तब लोग चिट्ठी लिखकरअपना हाल समाचार लोगों तक पहुंचाते और दूसरों का समाचार जानते थे। जब डाक व्यवस्था नहीं थी तब लोग संदेश भेजने वालों जिन्हें संवादिया कहा जाता था, के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश भेजते या मंगाते थे।

पुराने समय में राजा के हरकारे पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा के संदेश राजधानी से दूसरी जगहों पर ले जाते और वहां से ले आते थे। लोग कबूतरों के जरिए अपना संदेश भेजा करते थे। बाद में एक सरकारी विभाग डाक विभाग बनाकर सबके लिए यह सुविधा सुलभ कर दी गई थी। हर कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकता है।

डाक व्यवस्था में इतने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा कि संदेश तार के जरिए पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया

जाता है। । तार का ही विकसित रूप टेलीप्रिंटर है। इसके अलावा फैक्स, ईमेल के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इन उपकरणों के आ जाने से सिर्फ डाक प्रणाली में नहीं बल्कि संचार माध्यमों को सूचनाएं इकट्ठा करने और प्रसारित करने में भी काफी सुविधा हुईहै।

संचार का अर्थ सिर्फ व्यक्ति का अपना हाल समाचार दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अपने या अपने संबंधियों की सूचनाएं जानने के अलावा देश-दुनिया की खबरों को जानने का इच्छुक होता है। उनके आसपास हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या घटना घट रही है, सब की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सूचनाओं की इसी भूख के चलते संचार माध्यमों का लगातार विकास और विस्तार होता गया। जो लोग व्यवसाय या किसी व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए बाजार में वस्तुओं की कीमतों व शेयरों के उतार-चढ़ाव की खबरें जानना जरूरी होता है। जो लोग शिक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। किसानों को मौसम की जानकारी और खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी काफी मददगार साबित होती है। यदि अखबार, रेडियो, दूरदर्शन् मोबाइल जैसे संचार माध्यम ना होते तो वह सूचनाएं पहुंचानाकठिन होता।

संचार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तरह-तरह के संचार माध्यमों काविकास कर लिया गया है। जल्दी से जल्दी सूचनाएँ पहुंचाने की दुनिया भर में होड़लगी हुईहै। पहले निर्धारित समय पर समाचारों का प्रसारण हुआकरता था। अब चौबीसों घंटे देश-दुनिया की खबरों का लगातार प्रसारण दूरदर्शनव अन्य चैनलों में चलते रहते हैं।

जनसंचार के कई महत्वपूर्ण कार्य है। जनसंचार के मूलभूत कार्य लोगों कोसूचित करना, लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें समझाना या किसी काम के लिए मनाना । साथ ही साथ यह माध्यम लोगों को शिक्षित करने व सभ्यताओं के प्रचार में भी सहायता करते हैं। मुख्य कार्य इस प्रकार है

नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम

उपग्रह:- नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम में उपग्रह (सैटेलाइट) है। उपग्रहों के कारण आजकल संचार की दुनिया में पर्याप्त विकास हुआ है। टेलीफोन के संचालन की तकनीक का लाभ लेते अंतरिक्ष के तरंगो को विद्युत उर्जा में बदलकर सूचना तकनीकी में क्रांति पैदा हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग आज अनिवार्य हो गया है। 1876 में कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच प्रयोग के तौर पर दो मील की दूरी के लिए टेलीफोन केबुल का उपयोग हुआ था। भारत में पहली बार टेलीफोन सन् 1931 में लार्ड वायसराय के घर पर लगा। उसके पश्चात् इसका विकास संपूर्ण भारत में हुआ।

टेलेक्स:- टेलेक्स सूचना संप्रेषण माध्यम का एक पुराना माध्यम माना जाता है। सन् 1938 में अमेरिका में पहली बार सेमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ लाइने बिछाने का कार्य हुआ था। इससे पहले 1881 में कई शहरों को टेलीग्राफिक लाइनों से जोड़ा गया था । लगभग इसी समय में भारतीय महानगरों को भी इस सूचना तन्त्र से जोड़ दिया गया।

इंटरनेट:- आज संसार के जन-संचार के माध्यमों में इंटरनेट प्रसिद्ध है। इंटरनेट सभी वर्गों के लिए सुविधाजनक साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इंटरनेट का उद्भव इंटरनेट के संकल्प से हुआ।इंटरनेट अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान कर्ताओं के बीच तालमेल बैठने के लिए विकसित किया गया था। इंटरनेट से जुड़े कम्प्युटरों के बीच अति तीव्र रफ्तार से आंकड़ों का संप्रेषण, समाचार संदेश, घर बैठे देश-विदेश के पुस्तकालयों के साथ संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन आदि बढ़ा ही सुगम है । सूचना आदान-प्रदान करने की संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था इंटरनेट है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क एक दिन अपनी साधारण बनावट और महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था का प्रतिस्पर्धी हो जायेगा।

स्व-नियंत्रित या अन्य के द्वारा नियंत्रण सहित यह व्यवस्था लाखों लोगों की जुबानी है। यह कंप्यूटर द्वारा सारे उपयोगकर्ताओं को टेलीफ़ोन द्वारा जोड़ता है। इसका संबंध साधारण मानक तकनीक से होता है। इसका लगातार विस्तार हो रहा है। । प्रत्येक माह हजारों साधन मिलकर इंटरनेट के स्तर की वृद्धी कर रहे हैं। इंटरनेट के अंदर या इंटरनेट से जुड़े हुए हजारों छोटे नेट वर्क है जैसे-आर.टी. के नेट और पीस

नेट। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है। इंटरनेट पर जो साधन उपलब्ध हैं उसमे लाइब्रेरी ऑफ़ कॉनर्स का रूचि पत्र और बहु त विशिष्ठ आकड़ों का आधार भी शामिल है। इंटरनेट से प्राप्त होने वाली विविध विषयों की सूचनाएं काफी है। इसके उपयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी अपेक्षा है कि इस सदी के अंत तक दो अरब से ज्यादा लोग जुड़ चुके होंगे।

ट्विटर:- ट्विटर का अर्थ है ट्विट ऐप पर कुछ लिखना, लिखकर पोस्ट करना या कोई संदेश टूट्विटर पर भेजना इसी को विट कहते हैं। असाधारण काम कम समय में ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं बड़ी कंपनियों ने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया है। ट्विटर के माध्यम से प्रोफेशनल्स बेहतर नौकरी पा सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी नेता के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अपने रुचि के अनुसार किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। अपने स्थानीय लोगों की जानकारी लेने के लिए ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्थान का नाम लिखकर वहाँ से जोड़े समाचार तुरंत पा सकते हैं। ट्विटर से लाभ सर्वसाधारण जनता से लेकर बड़े पूंजीपतियों को भी होता है। टूविटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करना सरल है।

टूविटर का अविष्कार अमेरिका के जैक डोर्सी, नाओग्लास, बिगस्टोन इवानविलियम्स ने मिलकर किया। टूविटर से लाभ इस प्रकार है-

1. टूविर की सहायता से सामान्य व्यक्ति भी अपने चाहने वालों तक पहुं चसकता है।
2. यह संसार में देश-विदेश की जानकारी देनेवाला माध्यम है। 3. प्रचार एवं प्रसार करने का लोकप्रिय माध्यम है।
4. टूट्विटर से पैसे भी कमा सकते हैं।
5. ट्विटर प्रतिदिन 400 खातों तक अनुसरण (फॉलो) कर सकता है।

व्हाट्सप :

व्हाट्सप ऐप्प का आविष्कार ब्रायन इक्टन और जन्कौम ने 24 फरवरी 2009 अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया था। इस ऐप्प में 2009 से लेकर आज तक कई परिवर्तन हु ए हैं और सुधार भी हु ए हैं। इस ऐप्प के माध्यम से मेसेज, फोटो,

वीडियो और अनगिनत संदेश भेजे जाते हैं। अब व्हाटसप ऐप्प ने ओकेशन शेयरिंग फीचर को सम्मिलित किया है। आज व्हाट्सप ऐप्प के द्वारा एक ग्रुप बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। व्हाट्सप ऐप्प ने 2014 में रीड रिसिप्ट्स के लिए व्हाट्सप ऐप्प वेब लाँच कर दिया। 2016 में एंड टु एंड एनक्रिप्शन फीचर और वीडियो कॉलिंग फीचर भी प्रदान किया गया 2017 में स्टेटस फीचर, 2018 में बिजनेस ऐप्प जैसे फीचर को भी जोड़ दिया। 2021 तक व्हाट्सप ऐप्प 12 वर्षों का हो गया है।

फेसबुक :

फेसबुक का आरंभ 4 फरवरी 2004 में अमेरिका के कैंब्रिज में हुआ। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना मार्क जुकर्बर्ग ने अपने साथी रूपमेट्स के साथ मिलकर किया है। फेसबुक को हिंदी में निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा कह सकते हैं। अपने मोबाइल ब्राउजर में M. facebook.com पर जाएँ ईमेल: आप ऐसे किसी भी ईमेल पते से लॉगिन कर सकते हैं जो आपके फेसबुक अकाउंट में दिया हुआ हो। उपयोगकर्ता का नाम यदि अपने उपयोगकर्ता के नाम से सेट किया हुआ हो तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। यह फेसबुक चालू करने का तरीका है।

ईमेल:

ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क के जरिए संदेश भेजने, प्राप्तकरने का एक साधन है। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल कार्यालयों, न्यायालयों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि स्थानों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का अधिकारिक तरीका बना लिया गया है। ईमेल सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बहुतही उपयोगी साधन है।

कंप्यूटर:

कंप्यूटर आधुनिक काल के लिए एक वरदान है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में अधिक डाटा सुरक्षित रखता है। यह इनपुट और आउटपुट के उपयोग से काम करता है। कंप्यूटर को बहुतही सरल रूप से चला सकते हैं। कंप्यूटर कम समय में अधिक कार्य करता है। यह व्यक्ति के श्रम को कम करता है। कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का

उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कंप्यूटर आज के युग में विश्व का लोकप्रिय साधन है।

1. **समाचार तथा सूचना या जानकारी देना:**-सूचनाओं का प्रसारण समाचार माध्यमों (मीडिया) का प्राथमिक कार्य है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी विश्व भर की खबरें उपलब्ध करवाकर हमारा सूचना स्तर बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से समाचार की अवधारणा में फर्क आता जा रहा है। समाचार माध्यम अब किसी घटना को जैसा का ठेसा" बताने का कार्य नहीं करते हैं। समाचारों का वर्णन करने से लेकर इनमें मानवीय अभिरुचि विश्लेषण और फीचराइजेशन की भी अब शामिल कर लिया गया है। पत्रकार आज समाचार विश्लेषक बन गए हैं। वे किसी भी महत्वपूर्ण समाचार के आगामी प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल समाचार माध्यम किसी भी घटना, विचार, नीति परिवर्तन, दर्शन आदि को समझाने में भी सहायता करते हैं।

2. **विश्लेषण तथा प्रतिपादन:**- मीडिया घटना का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर हमें देता है।

3. **शिक्षा**:- शैक्षिक क्रिया संपन्न करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। जैसेसामाजिकरण, सामान्य शिक्षा क्लासरूम प्रशिक्षण आदि। मीडिया पैतृक समाज केसांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ रूपांतरित तथा प्रतिस्थापित करने का काम करता है।

4. **लोगों को प्रोत्साहित करना:**- आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग तथा वितरण प्रक्रिया में मीडिया का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन जनता को नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उनके मूल्यों के बारे में विश्वास उत्पन्न करते हैं तथा उनको खरीदने के लिए राजी करते हैं। किसी वस्तु सेवा विचार व्यक्ति, स्थान, घटना इत्यादि के प्रति लोगों को समझाने या प्रोत्साहित करने के लिए भी जन माध्यमों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाताहै। अलग-अलग नयमों की अलग-अलग प्रकृति पहुंच होती है। विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसियां इन माध्यमों की प्रकृति को पहचानते है । संदेश की

प्रकृति और लक्षित समूह को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है कि उसे किस माध्यम से प्रसारित किया जाए।

5. **मनोरंजन:**- जनसंचार का एक अत्यधिक प्रचलित कार्य लोगों का मनोरंजन करना भी है । रेडियो, टीवी और फिल्म तो सामान्यतया मनोरंजन का ही साधन समझे जाते हैं। समाचार पत्र भी कॉमिक्स, कार्टून, फीचर, वर्ग पहेली आदि के माध्यम में पाठकों को मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। रेडियो आमतौर पर संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है। हास्य नाटिका, नाटक, बार्ता इत्यादि के माध्यम से भी रेडियो मनोरंजन उपलब्ध करवाता है।

टीवी तो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। गंभीर विषयों जैसे की समाचार प्रकृति, अन्य जीवन से जुड़े हु ए तथा कुछ चैनल हास्य की सामग्री भी प्रसारित करते हैं। सभी जन माध्यमों में से शायद फिल्म ही ऐसा माध्यम जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बना है। शैक्षणिक फिल्मों और कला फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी फिल्मे मनोरंजन ही उपलब्ध है।

प्रतिदिन हम हजारों संदेश प्राप्त करते हैं। उन पर प्रक्रिया होने के बाद उनका मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर हम कुछ संदेशों को कर देते हैं और कुछ को अपने मस्तिष्क में सूचना विचारत इत्यादि के साथ जमा कर लेते हैं। यह सभी सूचनाएं हमें किसी ने किसी स्तर पर प्रभावित करती रहती है। आज हम संचार के माध्यम से जो कुछ भी सीख रहे है उसमें हमारे व्यवहार पर कहींन कहीं असर देखने को मिलेगा।

जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता तो सर्वविदित है। पिछले कुछ वर्षों में देश के आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियों के प्रचार-प्रसार और प्रचलन आर्थिक सूचनाओं ने भी जनसंचार माध्यमों में अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर दिया। अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक पत्रकारिता अपनीनई परंपरा कायम कर रही है।

जनसंचार माध्यमों का काम केवल घटनाओं की सूचना देना ही नहीं है, बल्कि वह दृष्टि भी प्रदान करना है जिससे आम लोग उन परिस्थितियों पर

विचार करने के लिए विवश हो, जिनके चलते घटना का घटित होना संभव होता है। विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर ही हम सभ्यता के विकास का पत्र प्रशस्त कर रहे हैं, अतः निष्पक्ष वैचारिक दृष्टि आधुनिक जनसंचार माध्यम उपलब्ध हैं।

3. जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं:

1. जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव होता है।
2. जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराईजाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके।
3. जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन् नेट मोबाइल आदि के द्वारा भी संदेश तीब्र गति से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है।
4. युद्ध, आपातकाल दुर्घटना आदि के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है।
5. जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जन सामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है।
6. जनसंचार का प्रभाव गहरा होता है और उसे बदला भी जा सकता है।
7. जनसंचार एक तरफा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं जन संचारप्रौद्योगिकीकी आधार पर विशाल रूप में लोगों तकसूचना के संग्रह और प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है।

जनसंचार के विकास ने भौगोलिक एवं समय की सीमा को भी तोड़ दिया है। जनसंचार के कारण ही आज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। आधुनिक युग में जनसंचार माध्यमों ने सामाजिक अधिरचना के अंतर्गत लंबी छलांग मारी हैं।

संचार माध्यमों के क्रांतिकारी विकास की दुनिया को गांव में बदल दिया है। यही नहीं इस प्रक्रिया में पुराने समाज में परिवर्तन हुआ है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड चेंज' में लर्नर विस्तार से बताया है कि आधुनिक जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन के बढ़े औजार हैं।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. जनसंचार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर :

जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं निम्न लिखित है

1. जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव होताहै।
2. जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराईजाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके।
3. जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजा जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, नेट मोबाइल आदि के द्वारा भी संदेश तीव्र गति सेआम जनता तक पहुंचायाजा सकता है।
4. युद्ध, आपातकाल दुर्घटनाआदि के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है।
5. जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जन सामान्य की प्रतिक्रिया का पता चल जाता है।
6. जनसंचार का प्रभाव गहरा होता है और उसे बदला भी जा सकता है।
7. जनसंचार एक तरफा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं जन संचारप्रौद्योगिकीकी आधार पर विशाल रूप में लोगों तकसूचना के संग्रह और प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है।

जनसंचार के विकास ने भौगोलिक एवं समय की सीमा को भी तोड़ दिया है। जनसंचार के कारण ही आज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। आधुनिक युग में जनसंचार माध्यमों ने सामाजिक अधिरचना के अंतर्गत लंबी छलांग मारी हैं।

संचार माध्यमों के क्रांतिकारी विकास की दुनिया को गांव में बदल दिया है। यही नहीं इस प्रक्रिया में पुराने समाज में परिवर्तन हुआ है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड चेंज' में लर्नर विस्तार से बताया है कि आधुनिक जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन के बढ़े औजार हैं।

4. जनसंचार के प्रकार

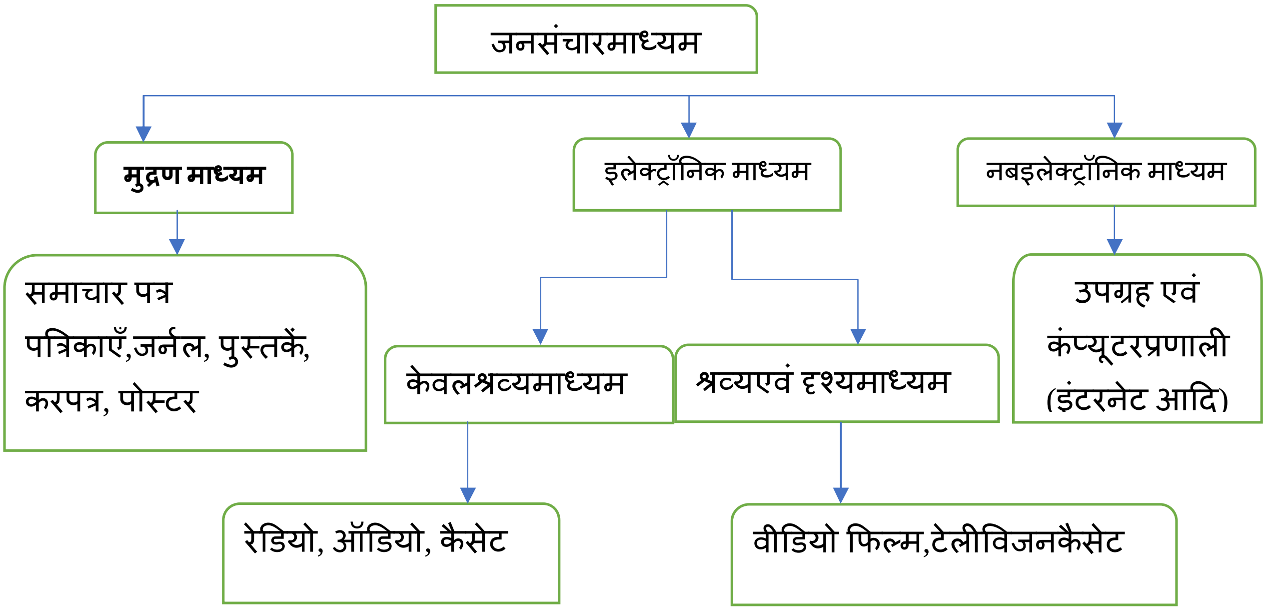

जनसंचार के विविध माध्यमों का परिचय

आधुनिक समाज में सूचना का विशेष महत्व है। सूचना के अभाव में व्यक्ति इस विश्व से कट जाता है। व्यक्ति के साथ-साथ देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सूचना और सूचना संप्रेषण के माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार के माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटमीडिया दोनों ही आते हैं। जनसंचार के मुख्य माध्यमों में प्रिंटमीडिया या मुद्रित जनसंचार माध्यम भी है।

5. दृश्य, श्रव्य, मुद्रण

1. प्रिंट मीडिया या मुद्रण जनसंचार माध्यम

हस्तलिखित अथवा यात्रिक रूप से मुद्रित हुई सामग्री का समावेश इस माध्यम के अंतर्गत किया जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना माध्यम है। विश्व की समस्त संस्कृतियों में इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। भारत में इसके प्रमाण तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में गुमचर रखे थे जो विभिन्न क्षेत्रों के रिपोर्ट भेजते थे। इनका अध्ययन एवं कार्यान्वयन राजधानी में होता था। इस तरह दूरदराज के राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता था। इसके उपरांत सम्राट अशोक ने अपने राज्य में शिलालेख स्तंभ लगवा कर धर्म एवं अनुशासन के जानकारी देने की प्रथा प्रारंभ की। सम्राट विक्रमादित्य के समय से पूर्व केले की छाल पर लेखन का उल्लेख मिलता है।

मुद्रित जनसंचार माध्यमों का एक समुद्र इतिहास रहा है जिसका उल्लेख भो शिलालेखों और ताम्रपत्रों के रूप में मिलता है। इसके साथ ही साथ पर संदेश लिखकर भेजने का चलन भी मिलता है। मुद्रित जनसंचार माध्यम का अभिप्राय है भाषिक लिपि चिड़ों के माध्यम से एक विशाल समुदाय को संज्ञान प्राप्त करना। जिस काल में जिस प्रकार के संघर्ष और उपलब्धता रही उसी के अनुरूप मुद्रित अनसंचार माध्यमों का उपयोग हुआ मुद्रित जनसंचार माध्यम का विकास सभ्यता और संस्कृति के अनुसार होता चला गया। वहीं विकासक्रम विकसित होते हुए आज वर्तमान रूपमें हमारे सम्मुख उपस्थित है।

मुद्रण के विकास में मशीनों के आविष्कार से तकनीकी क्रांति आई है। मशीनों के आविष्कार से समाचार पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल आदि आने लगे हैं। जर्मनी के न गुतेंबेगं ने लगभग 1450 मुद्रण तकनीक का आविष्कार किया।

समाचार पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल, पुस्तकें, पम्पलेट, पोस्टर: मुद्रण के अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि माध्यम आते हैं। आज बिना समाचार पत्र के हम किसी आधुनिक समाज या शहर की कल्पना कर ही नहीं सकते। समाचार पत्र सामान्य रुचि तथा आचरण को बढ़ावा देते हैं। एक समाचार पत्र हजारों किलोमीटर दूर पटनेवाली हल्की-फुल्की अथवा दुख, शोक इत्यादि की घटनाओं को

समाचार के माध्यम से आधुनिक विश्व की एकता के सूत्र में भी बांधते हैं। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्रीय समाचार पत्र अब जल्दी जनता तक पहुंचरहे हैं।

वर्तमान शताब्दी प्रेस के जन-प्रसार का है। भारतीय पत्रकारों को प्रेरित करने वाले पत्रकारिता के आदि पुरुष राजा राममोहन राय का योगदान अविस्मरणीय है। साहित्यिक पत्रिका के रूप में 1901 से प्रकाशित 'सरस्वती' का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रताप, कर्मवीर, वीणा, चाँद, माधुरी, मतवाला, सुधा, जागरण, हंस, विशाल भारत, हिंदू पंच, गंगा, हिमालय जैसे स्तरीय पत्रिकाएँ जनता में साहित्यिक रुचि जाग्रत करने में आगे है।

आज हमारे देश में हजारों समाचार पत्र, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाएँ निकल रही हैं। सभी का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। संक्षेप में कहें तो प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में अंग्रेजी के अनीतियों के विरोध में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में साहित्यिक, सांस्कृतिक जागरण में जनता में राजनीतिक चेतना जागृतकरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जनसंचार माध्यम ने देश के कोने-कोने में स्वतंत्रता, समता और जनता को जागृतकरने का प्रयास किया।

2. श्रव्य जनसंचार माध्यम

प्रेस या मुद्रण के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम रेडियो है। यह श्रव्य माध्यम की श्रेणी में आता है। यह माध्यम श्रवण के जरिए सारी दुनिया को श्रोता के निकट ले जाता है। जहाँ मुद्रण माध्यम की पहुँचनहीं है, वहाँ श्रव्य माध्यम संचारका कार्य करते हैं। लोग इस लोकप्रिय माध्यम को मनोरंजन एवं अन्य ज्ञान व कार्यक्रमों के कारण पसंद करते हैं। श्रव्य माध्यम में रेडियो, आडियो कैसेट आते हैं।

रेडिया

श्रव्य जनसंचार में रेडियो प्रमुख है। रेडियो ऐसा संचार माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापक जन समुदाय तक एक संदेश पहुँचायाजा सकता है। रेडियो संचार का सस्ता, सुविधाजनक एवं लोकप्रिय साधन बन चुका है। रेडियो का आविष्कार इटली के मारकोनी ने 2 जून 1896 में अपनी खोज में वायरलेस टेलीग्राम के जरीए पहला संदेश प्रसारित किया। संप्रेषण का यह माध्यम तरंगों द्वारा आकाश में आज तक फैला हुआहै।

भारत सरकार रेडियो के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा पढ़ना-लिखना सिखाया जा रहे हैं। गाँव में रहनेवालों को समाचार पत्र नहीं मिलते, यदि किसी गाँव में समाचार पत्र मिलते भी हैं तो उसे पढ़ने की क्षमता गाँव वालों में नहीं होती हैं। वे अन्य किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति की मदद से उस पत्र को पढ़वा कर समझते हैं। रेडियो का माध्यम शिक्षित और अशिक्षित जनता के लिए वरदान सिद्ध हु आहै।

लेनिन के अनुसार पेडियो बिना कागज बिना दूरी का समाचार पत्र है।" इनके अनुसार आकाशवाणी वास्तविक जनसंचार का माध्यम है। साधारण व्यक्ति के लिए बहु त लाभकारी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा रेडियो का प्रसारण होता था। अनेक कारणों से यह कंपनी असफल रही। इसके पश्चात् 1936 में भारत सरकार ने प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया। लगभग 126 वर्षों से रेडियो की सेवाएं प्राप्त है। आज रेडियो या आकाशवाणी अनेक कार्यक्रमों द्वारा जनसाधारण को भी लाभान्वित कर रहे हैं।

सन् 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पश्चात, नवंबर में कलकत्ता में, जून 1924 में मुंबई में प्रसारण हु आ। जून 1935 में आल इंडिया नाम दिया गया। आज भारत में यह आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध है। आजादी के पश्चात् सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जोड़ दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल भारत सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रथम मंत्री थे। उन्होंने विभाग के विकास के लिएकई योजनाएँ बनाई थी।

रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। आठवें दशक तक आकाशवाणी के माध्यम से भारत में संगीत सुनने वाले श्रोताओं की संख्या अधिक हो गई है। रेडियो के कार्यक्रम सशक्त और लोकप्रिय है। आफ्रीका जैसे पिछड़े देशों के आदिवासी क्षेत्रों में भी स्थानीय भाषा में रेडियो बजते हैं।

वर्तमान समय में आकाशवाणी से 24 घंटे में 284 समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। आकाशवाणी ने राष्ट्रीय के साथ प्रादेशिक सेवाओं को भी महत्व दिया है। रेडियो कम खर्चीला जनसंचार का साधन है जिसे सभी वर्ग के लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं। भारत में पहली बार 15 अगस्त 1993 को दिल्ली और मुंबई में

एफ.एम. चैलनों का प्रसारण आरंभ हुआ। एफ. एम. चैनलों के अंतर्गत स्थानीय भाषा के अनुसार श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। भारत में गाँव से लेकर शहरों तक एफ.एम. सुनने वालों की संख्या भी अधिक है।

जनसंचार के दृश्य-श्रव्य माध्यम

दृश्य-श्रव्य माध्यम में फिल्म तथा टेलीविजन की गणना होती है। आज फिल्म और टेलीविजन की लोकप्रियता सबसे अधिक है। आज फिल्म माध्यम टेलीविजन के साथ सांठ-गांठ कर दुनिया का चेहरा बदलने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

फिल्म (दृश्य श्रव्य माध्यम): सिनेमा भावनाओं को प्रकट करने वाला, मीडिया का एक सशक्त माध्यम है। फिल्म में लेखन, दृश्य परिकल्पना, मंच निर्देशन, रूप सज्जा, प्रकाश विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रासायनिक विज्ञान का तकनीकी योगदान होता है। आज टी.वी के माध्यम से फिल्म हर घर में पहुँच गई है परंतु इन फिल्मों को सिनेमाघरों में देखने की बात कुछ और ही होती है।

सिनेमा का आविष्कार फोटोग्राफी से हुआ। 1826 में हुए फोटोग्राफी का आविष्कार ही सिनेमा का मार्गदर्शन बना। सन् 1833 35 के मध्य जैट्रप यंत्र बना। यह चरखी जैसा यंत्र था। जिसमें बहुत से चित्र चिपकाए जाते थे। जब आगे वाली लकड़ी को घुमाया जाता है तो चित्र वाली चरखी घूमने लगती और देखने वाले को चित्रों का गतिशील होने का आभास होता है। सन् 1883 में बॉमस अल्वा एडिसन ने सिनेटेस्कोप नामक सिने यंत्र कामनिष्कार किया जिसमें 50 फीट लंबी चलती-फिरती तस्मैनीफाइंग लेंस द्वारा देखी जा सकती थी। 28 दिसंबर 1895 को ग्रांड कैफ पेरिस में ल्युमियरे बंधु ने संसार की पहली गतिशील (Movie) का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1915 में अमेरिका में The birth of nation नामक फिल्म डी. डब्ल्यू ग्रिफिथ ने बनाई। यह फिल्म सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई। सन् 1926 में फिल्मों में चित्रों के साथ ध्वनि मिलाई गई।

भारत में फिल्म प्रदर्शन का आरंभ सन् 1896 में हुआ। ल्युमियरे बंधुओं ने मुंबई के वॉटसन होटल में फिल्म का पहली बार प्रदर्शन किया। हरिश्चन्द्र थाटवाडेकर ने राजा हरिशचंद्र फिल्म सन् 1913 में बनाई। सन् 1921 में धीरन

गाँगोली ने इंग्लैंड रिटर्न नामक प्रथम सामाजिक फ़िल्म बनाई। सन् 1931 में भारत में बोलती फिल्मों का जन्म हुआ। सर आर्देशर ईरानी के निर्देशन में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। 1937 में किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म भारत में बनी। सन् 1990 में फिल्म सलाहकार एवं संघ का गठन हुआ। फरवरी 1943 को सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए इंफारमेंशन इंडिया की स्थापना की। सन् 1951 में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सन् 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और 1958 में सेंसारशिप के नियम बनाए गए और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बनाया गया।

टेलीफ़िल्म

टेलीविजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो फिल्म बनाई जाती है उसे टेलीफ़िल्म कहते हैं। अधिकतर टेलीफिल्में कलात्मक विषयों पर बनाई जाती हैं। इस फिल्म विधा में टेलीविजन और फिल्म की विधाएँ विद्यमान होती हैं। टेलीफिल्म का विषय क्षेत्रीय स्तर पर अधिक निर्भर होती है। टेलीफ़िल्म बनाने में सरलता एवं सहजता होती है। इसे बनाने का बजट भी कम होता है। टेलीफ़िल्म की कहानी नई होना चाहिए। नाटकीय तत्व होने चाहिए। विषय नया होना चाहिए जिससे दर्शक आकर्षित होते हैं। टेलीफिल्म कम बजट से बनाने पर उतनी लोकप्रिय नहीं होती जितनी रामानंद सागर और सीपी की टेली फ़िल्में हुई थी। अतः साधारण और सशक्त कथानक को लेकर जन साधारण की भाषा में रंगमंचीय कलाकारों को लेकर टेलीफिल्म बनाने से लोकप्रिय हो सकती हैं।

दूरदर्शन(टेलीविज़न)

'टेलीविजन शब्द ग्रीक तथा लैटिन भाषा के दबा है। टेलीविजन शब्द का आशय है देखना हिंदी में इसके लिए सटीक शब्द बनाया गया - दूरदर्शन फिल्म और टेलीविजन इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में जहाँ पर बैठे सारी दुनिया से जोड़ दिया है। जनसंचार के क्षेत्र में यह बहुतबड़ा परिवर्तन है। अ लोगों को आवाज के साथ दृश्य भी देखने को मिलने लगे।

संसार का पहला टेलीविजन प्रसारण सार्वजानिक स्तर पर सन् 1936 ई. में हुआ। भारत में प्रथम प्रायोगिक टेलीविजन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को

देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हाथों संपन्न हु आ।1 अप्रैल 1976 से हमारे पास टेलीविजन 'दूरदर्शन के नाम से आकाशवाणी से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। इस समय देश के 7 बड़े शहरों में दूरदर्शनकी सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। यह संख्या मार्च 1987 तक 192 हो गई। 15 अगस्त 1982 के नए एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण करके दूरदर्शनमें अपार सफलता प्राप्त की। अप्रैल सन् 1982 में भारत द्वारा उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कियागया।

आज के आधुनिक समाज में संपूर्ण विश्व में दूरदर्शनजनसंचार का शशक्त माध्यम है। 1982 के दौरान दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत हुई थी। प्रादेशिक स्तर पर दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना हुई। दिल्ली एवं प्रादेशिक केंद्रों को उपग्रह से संपर्क स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ हु एराष्ट्रीय नेटवर्क के कार्य प्रारंभ हु ए।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने दूरदर्शन के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

1. शिक्षा सूचना व मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक विकास व परिवर्तन का प्रयत्न करना।
2. देश के विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परंपराओं में लोक जीवन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना
3. विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
4. धर्माधता व अंधविश्वासों को समाप्त करना
5. कृषि, पशु-पालन, डेरी उद्योग, आगवानी, मछली पालना आदि का महत्व देखते हु एइन उद्योगों के विकास की दृष्टि से कार्यक्रमों का निर्माण करना
6. पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण, महिला उत्थान, स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाना।
7. कमजोर वर्ग के लोगोंदलितों अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के विकास आदि कार्यक्रमों का निर्माण करना18. युवाओं व छात्रों के खेलकूद में रूचि बढ़ाने के कार्यक्रमों का निर्माण करना 19. कला, साहित्य व संस्कृति के प्रति

जागरूकता व दिलचस्पी उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना।

10. सभी स्तर व वर्गों के लोगों के मनोरंजन के कार्यक्रम बनाना।

टेली कॉन्फ्रेंसिंग: टेली कॉन्फ्रेंसिंग संचार प्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके माध्यम से कहीं बैठा व्यक्ति वीडियो फोन के द्वारा दूसरे व्यक्ति से वीडियो फोन कर सकता है। वीडियो फोन व्यस्त लोगों के लिए वरदान है।

जनसंचार के माध्यमों में लोककलाएँ

संसार में अनगिनत लोककलाएँ है जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत लोक नाटक, लोक चित्रकला आदि। 1. लोक नृत्य भारत में कई लोक नृत्य प्रसिद्ध है। सभी प्राँतों में लोक नृत्यों के माध्यमों द्वारा रामायण, महाभारत, 18 पुराणों को दिखाया जाता है। गाँवों में बसे हुए लोग सबसे अधिक अनपढ़ होते हैं।

लोक नृत्य के माध्यम से वे रामायण, महाभारत एवं पुराणों की घटनाओं को देखकर समझते हैं अर्थात पढ़े लिखे एवं अनपढ़ प्रजा के लिए भी लोक नृत्य जनसंचार के माध्यम है। सरकारी विज्ञापन और योजनाओं को भी लोक नृत्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कोलाटम, बुर्रा कथा, हरिकथा भी नृत्य के साथ-साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। केरल में मोहिनी आटम नृत्य, तमिलनाडु में करगाटम नृत्य, कर्नाटक में बयलाटा और यक्षगान भी जनसंचार के माध्यम है। महाराष्ट्र में कल्कितुर्रा, गोंडल, तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध जनसंचार के माध्यम है। उसी प्रकार गुजरात में भवई राजस्थान में ढोला मारू रा दूहा बहुत ही लोकप्रिय हैं। इस प्रकार भारत के हर प्रान्तों में लोकनृत्य जन संचार के माध्यम बने हुए हैं जन सामान्य के लिए लोक नृत्य विशेष रूप से जन संचार का माध्यम है।जनमानस लोकनृत्यों के साथ अपना गुजारा करता है।

लोकगीत

जनमानस के लिए लोकगीत और लोक संगीत एक जनसंचार का माध्यम है । लोक गीतों द्वारा संस्कृति, देश भक्ति, रीति और नीति का बोध होता है। भारत के सभी प्रांतों के लोकगीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। लोकगीत जन सामान्य को आकर्षित करते हैं। विषय वस्तु को समझने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण संचार का माध्यम है। रेडियो, टी.वी. में कई विज्ञापन सुनने और देखने को मिलते हैं, इनमें से कई

लोकगीतों के माध्यम से होते हैं गाँवों में कई लोग संगीत के कलाकार पूर्वजों के गायाओं को सुनाकर भिक्षाटन करते हैं। किसान बैलगाड़ियों पर, खेत खलियान में, हल जोतते समय, फसल काटते समय औरते चक्की से अनाज पीसते समय, पानी भरते हु ए समूह में लोकगीत गाते हैं। उन सभी गीतों में कोई न कोई गाथा होती हैं जिसे वे इस माध्यम के सहारे सूचित करते हैं। लोकगीत जनसंचार का बहु त ही खूबसूरत और सरल माध्यम है। जिसे सभी वर्ग के लोग सहजता से तुरंत समझ लेते हैं। त्योहारों, विवाह आदि में जो गीत गाए जाते हैं उनमें भारतीय संस्कृति का भरमार प्रयोग होता है। यही हमारे लिये घरोवर भी है। गाँवों में यदि कोई होने वाले कार्यक्रम की जानकारी गाँववालों को लोकगीत के साथ ढिंढोरा पीट कर दी जाती है अतः जनसंचार के माध्यम में लोकगीतों का प्रमुख स्थान है।

लोक नाटक, (लोक नाट्य)

रामलीला, रासलीला के मंचन से राम और कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। । रामलीला लोक नाटक जनसंचार का सशक्त माध्यम है क्योंकि जो व्यक्ति रामायण पढ़ नहीं सकता वह इसके मंचन को देखकर संपूर्ण रामायण को समझ सकता है। उसी प्रकार राम लीला के मंचन से श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है गुजरात में भवाई लोक नाट्य द्वारा इतिहास और आधुनिकता के कई मुद्दों का दर्शकों को ज्ञान होता है.

महाराष्ट्र का तमाशा लोकनाट्य विधा भी जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन है। इसके मंचन से भी इतिहास, पुराणों और राजनीति का बोध होता है। उत्तर प्रदेश की नौटकी, बंगाल का जात्रा लोक नाट्य भी जनसंचार के माध्यम माने गए हैंइन विधाओं से सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है जिन्हें अंग्रेजी में propaganda Media भी कहते हैं।

कर्नाटक काट और आंध्रप्रदेश का बीधि नाटक भी गाँव वालों के लिए जनसंचार का माध्यम है। इन लोक नाट्यों में अभिनय, गीत और संगीत का प्रयोग होता है।

कठपुतली (Puppet)

प्राचीन काल में दरबारों में राजाओं को खुश करने के लिए कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। जिसमें उनके पूर्वजों की गाथा कठपुतलियों के माध्यम से दिखाई जाती थी। भारत के सभी राज्यों में कठपुतली का प्रदर्शन होता था उत्तर भारत में इस खेल में विशेष रूप से रामायण और महाभारत की घटनाओं को दर्शाया जाता है तथा दक्षिण भारत में कठपुतलियों को चर्म से बनाया जाता है। जिसे तोलुबोम्मालाटा कहते है। राजस्थान और उत्तर भारत के अनेक प्राँतों में डोर के माध्यम से कठपुतलियों को नचाया जाता है जिसे अंग्रेजी में Strig Puppet कहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आज भी अध्यापक कटपुतलियों को टीचिंग एड्स के रूप में विद्यार्थियों को दिखाकर पढ़ाते हैं। इस माध्यम को भी दृश्य माध्यम की मान्यता है । Puppet (कठपुतली) का दूसरा और एक रुप भी है जिसे ग्लौ पपेट कहते हैं। दोनों हाथों में उंगलियों में ग्लोज रूपी कठपुतलियों को पहनकर नचाया जाता है जिसे ग्लौ पपेट कहते हैं। कठपुतली का खेल देखने के लिये बच्चे, बूढे, सभी आकर्षित होते हैं।

आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के विरोध में कठपुतलियों द्वारा भारतीयों को खेल दिखाए जाते थे भारत की आजादी के लिये कठपुतली का खेल जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है।

रंगमंच

रंगमंच थिएटर के माध्यम को भी जनसंचार का माध्यम माना गया है। नाटक के द्वारा विविध प्रांतों की संस्कृति का ज्ञान होता है। विलियम शेक्सपियर के नाटको द्वारा एलजीवन अर्थात् इंग्लैंड की संस्कृति को हम मंच पर देख सकते हैं। उसी प्रकार संसार के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए नाटक हमे वहाँ के देश, काल परिस्थितिको समझाते हैं। भारत में सांप्रदायिक या पौराणिक नाटकों के माध्यम से गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी रामायण, महाभारत पुराणों की गाथाओं को रंगमंच पर देख समझ सकता है। टी. वी. रेडियो में प्रसारित होने वाले रोचक लघु चित्र एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का प्रचार प्रसार होकर करोड़ों रुपयों का व्यापार होता है। नाटक वह जनसंचार का माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और शिक्षा का प्रचार होता है। आज भारत के सभी

ग्रामीण क्षेत्रों में रंगमंच लोकप्रिय जनसंचार का माध्यम बन गया है। नेता चुनाव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं जिसे प्रोपेगेंडा मीडिया भी कहते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया इसलिए कहते हैं कि इस मीडिया के माध्यम से प्रचार भी किया जा रहा है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. मुद्रण क्या है? लिखिए।

उत्तर:-

1. प्रिंट मीडिया या मंद्रित जनसंचार माध्यम:

हस्तलिखित अथवा यात्रिक रूप से मुद्रित हुई सामग्री का समावेश इस माध्यम के अंतर्गत किया जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना माध्यम है। विश्व की समस्त संस्कृतियों में इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। भारत में इसके प्रमाण तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में गुमचर रखे थे जो विभिन्न क्षेत्रों के रिपोर्ट भेजते थे। इनका अध्ययन एवं कार्यान्वयन राजधानी में होता था। इस तरह दूरदराज के राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता था। इसके उपरांत सम्राट अशोक ने अपने राज्य में शिलालेख स्तंभ लगवा कर धर्म एवं अनुशासन के जानकारी देने की प्रथा प्रारंभ की। सम्राट विक्रमादित्य के समय से पूर्व केले की छाल पर लेखन का उल्लेख मिलता है।

मुद्रित जनसंचार माध्यमों का एक समुद्र इतिहास रहा है जिसका उल्लेख भो शिलालेखों और ताम्रपत्रों के रूप में मिलता है। इसके साथ ही साथ पर संदेश लिखकर भेजने का चलन भी मिलता है। मुद्रित जनसंचार माध्यम का अभिप्राय है भाषिक लिपि चिड़ों के माध्यम से एक विशाल समुदाय को संज्ञान प्राप्त करना। जिस काल में जिस प्रकार के संघर्ष और उपलब्धता रही उसी के अनुरूप मुद्रित अनसंचार माध्यमों का उपयोग हुआ मुद्रित जनसंचार माध्यम का विकास सभ्यता और संस्कृति के अनुसार होता चला गया। वहीं विकासक्रम विकसित होते हुए आज वर्तमान रूपमें हमारे सम्मुख उपस्थित है।

मुद्रण के विकास में मशीनों के आविष्कार से तकनीकी क्रांति आई है। मशीनों के आविष्कार से समाचार पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल आदि आने लगे हैं। जर्मनी के न गुतेंबेगं ने लगभग 1450 मुद्रण तकनीक का आविष्कार किया।

समाचार पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल, पुस्तकें, पम्पलेट, पोस्टर: मुद्रण के अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि माध्यम आते हैं। आज बिना समाचार पत्र के हम किसी आधुनिक समाज या शहर की कल्पना कर ही नहीं सकते। समाचार पत्र सामान्य रुचि तथा आचरण को बढ़ावा देते हैं। एक समाचार पत्र हजारों किलोमीटर दूर पटनेवाली हल्की-फुल्की अथवा दुख, शोक इत्यादि की घटनाओं को समाचार के माध्यम से आधुनिक विश्व की एकता के सूत्र में भी बांधते हैं। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्रीय समाचार पत्र अब जल्दी जनता तक पहुं चरहे हैं।

वर्तमान शताब्दी प्रेस के जन-प्रसार का है। भारतीय पत्रकारों को प्रेरित करने वाले पत्रकारिता के आदि पुरुष राजा राममोहन राय का योगदान अविस्मरणीय है। साहित्यिक पत्रिका के रूप में 1901 से प्रकाशित 'सरस्वती' का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रताप, कर्मवीर, वीणा, चाँद, माधुरी, मतवाला, सुधा, जागरण, हंस, विशाल भारत, हिंदू पंच, गंगा, हिमालय जैसे स्तरीय पत्रिकाएँ जनता में साहित्यिक रुचि जाग्रत करने में आगे है।

आज हमारे देश में हजारों समाचार पत्र, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाएँ निकल रही हैं। सभी का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। संक्षेप में कहें तो प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में अंग्रेजी के अनीतियों के विरोध में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में साहित्यिक, सांस्कृतिक जागरण में जनता में राजनीतिक चेतना जागृ तकरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जनसंचार माध्यम ने देश के कोने-कोने में स्वतंत्रता, समता और जनता को जागृ तकरने का प्रयास किया।

2. **श्रव्य जनसंचार माध्यम;**-प्रेस या मुद्रण के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम रेडियो है। यह श्रव्य माध्यम की श्रेणी में आता है। यह माध्यम श्रवण के जरिए सारी दुनिया को श्रोता के निकट ले जाता है। जहाँ मुद्रण माध्यम की पहुँ चनहीं है, वहाँ श्रव्य माध्यम संचारका कार्य करते हैं। लोग इस लोकप्रिय माध्यम को मनोरंजन एवं अन्य ज्ञान व कार्यक्रमों के कारण पसंद करते हैं। श्रव्य माध्यम में रेडियो, आडियो कैसेट आते हैं।

प्रश्न 2. रेडियो व दूरदर्शनपर प्रकाश डालिए। (दीर्घ प्रश्न)

उत्तर :

रेडिया:

श्रव्य जनसंचार में रेडियो प्रमुख है। रेडियो ऐसा संचार माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापक जन समुदाय तक एक संदेश पहुँचायाजा सकता है। रेडियो संचार का सस्ता, सुविधाजनक एवं लोकप्रिय साधन बन चुका है। रेडियो का आविष्कार इटली के मारकोनी ने 2 जून 1896 में अपनी खोज में वायरलेस टेलीग्राम के जरीए पहला संदेश प्रसारित किया। संप्रेषण का यह माध्यम तरंगों द्वारा आकाश में आज तक फैला हुआहै।

भारत सरकार रेडियो के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा पढ़ना-लिखना सिखाया जा रहे हैं। गाँव में रहनेवालों को समाचार पत्र नहीं मिलते, यदि किसी गाँव में समाचार पत्र मिलते भी हैं तो उसे पढ़ने की क्षमता गाँव वालों में नहीं होती हैं। वे अन्य किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति की मदद से उस पत्र को पढ़वा कर समझते हैं। रेडियो का माध्यम शिक्षित और अशिक्षित जनता के लिए वरदान सिद्ध हुआहै।

लेनिन के अनुसार पेडियो बिना कागज बिना दूरीका समाचार पत्र है।" इनके अनुसार आकाशवाणी वास्तविक जनसंचार का माध्यम है। साधारण व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा रेडियो का प्रसारण होता था। अनेक कारणों से यह कंपनी असफल रही। इसके पश्चात् 1936 में भारत सरकार ने प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया। लगभग 126 वर्षों से रेडियो की सेवाएं प्राप्त है। आज रेडियो या आकाशवाणी अनेक कार्यक्रमों द्वारा जनसाधारण को भी लाभान्वित कर रहे हैं।

सन् 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पश्चात, नवंबर में कलकत्ता में, जून 1924 में मुंबई में प्रसारण हुआ। जून 1935 में आल इंडिया नाम दिया गया। आज भारत में यह आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध है। आजादी के पश्चात् सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जोड़ दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल भारत सरकार की

ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रथम मंत्री थे। उन्होंने विभाग के विकास के लिएकई योजनाएँ बनाई थी।

रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। आठवें दशक तक आकाशवाणी के माध्यम से भारत में संगीत सुनने वाले श्रोताओं की संख्या अधिक हो गई है। रेडियो के कार्यक्रम सशक्त और लोकप्रिय है। आफ्रीका जैसे पिछड़े देशों के आदिवासी क्षेत्रों में भी स्थानीय भाषा में रेडियो बजते हैं।

वर्तमान समय में आकाशवाणी से 24 घंटे में 284 समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। आकाशवाणी ने राष्ट्रीय के साथ प्रादेशिक सेवाओं को भी महत्व दिया है। रेडियो कम खर्चीला जनसंचार का साधन है जिसे सभी वर्ग के लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं। भारत में पहली बार 15 अगस्त 1993 को दिल्ली और मुंबई में एफ.एम. चैलनों का प्रसारण आरंभ हुआ।एफ. एम. चैनलों के अंतर्गत स्थानीय भाषा के अनुसार श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। भारत में गाँव से लेकर शहरों तक एफ.एम. सुनने वालों की संख्या भी अधिक है।

जनसंचार के दृश्य-श्रव्य माध्यम:-दृश्य-श्रव्य माध्यम में फिल्म तथा टेलीविजन की गणना होती है। आज फिल्म और टेलीविजन की लोकप्रियता सबसे अधिक है। आज फिल्म माध्यम टेलीविजन के साथ सांठ-गांठ कर दुनिया का चेहरा बदलने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

फिल्म (दृश्य श्रव्य माध्यम): सिनेमा भावनाओं को प्रकट करने वाला, मीडिया का एक सशक्त माध्यम है। फिल्म में लेखन, दृश्य परिकल्पना, मंच निर्देशन, रूप सज्जा, प्रकाश विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रासायनिक विज्ञान का तकनीकी योगदान होता है। आज टी.वी के माध्यम से फिल्म हर घर में पहुँचगई है परंतु इन फिल्मों को सिनेमाघरों में देखने की बात कुछ और ही होती है।

सिनेमा का आविष्कार फोटोग्राफी से हुआ। 1826 में हुए फोटोग्राफी का आविष्कार ही सिनेमा का मार्गदर्शन बना। सन् 1833 35 के मध्य जैट्रप यंत्र बना। यह चरखी जैसा यंत्र था। जिसमें बहुत से चित्र चिपकाए जाते थे। जब आगे वाली लकड़ी को घुमाया जाता है तो चित्र वाली चरखी घूमने लगती और देखने वाले को चित्रों का गतिशील होने का आभास होता है। सन् 1883 में बॉमस अल्वा एडिसन ने

सिनेटेस्कोप नामक सिने यंत्र कामनिष्कार किया जिसमें 50 फीट लंबी चलती-फिरती तस्मैनीफाइंग लेंस द्वारा देखी जा सकती थी। 28 दिसंबर 1895 को ग्रांड कैफ पेरिस में ल्युमियरे बंधु ने संसार की पहली गतिशील (Movie) का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। 1915 में अमेरिका में The birth of nation नामक फिल्म डी. डब्ल्यू ग्रिफिथ ने बनाई। यह फिल्म सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई। सन् 1926 में फिल्मों में चित्रों के साथ ध्वनि मिलाई गई।

भारत में फिल्म प्रदर्शन का आरंभ सन् 1896 में हुआ। ल्युमियरे बंधुओं ने मुंबई के वॉटसन होटल में फिल्म का पहली बार प्रदर्शन किया। हरिश्चन्द्र थाटवाडेकर ने राजा हरिशचंद्र फिल्म सन् 1913 में बनाई। सन् 1921 में धीरन गाँगोली ने इंग्लैंड रिटर्न नामक प्रथम सामाजिक फ़िल्म बनाई। सन् 1931 में भारत में बोलती फिल्मों का जन्म हुआ। सर आर्देशर ईरानी के निर्देशन में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। 1937 में किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म भारत में बनी। सन् 1990 में फिल्म सलाहकार एवं संघ का गठन हुआ। फरवरी 1943 को सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए इंफारमेंशन इंडिया की स्थापना की। सन् 1951 में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सन् 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और 1958 में सेंसारशिप के नियम बनाए गए और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बनाया गया।

टेलीफ़िल्म

टेलीविजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो फिल्म बनाई जाती है उसे टेलीफ़िल्म कहते हैं। अधिकतर टेलीफिल्में कलात्मक विषयों पर बनाई जाती हैं। इस फिल्म विधा में टेलीविजन और फिल्म की विधाएँ विद्यमान होती हैं। टेलीफिल्म का विषय क्षेत्रीय स्तर पर अधिक निर्भर होती है। टेलीफ़िल्म बनाने में सरलता एवं सहजता होती है। इसे बनाने का बजट भी कम होता है। टेलीफ़िल्म की कहानी नई होना चाहिए। नाटकीय तत्व होने चाहिए। विषय नया होना चाहिए जिससे दर्शक आकर्षित होते हैं। टेलीफिल्म कम बजट से बनाने पर उतनी लोकप्रिय नहीं होती जितनी रामानंद सागर और सीपी की टेली फ़िल्में हुई थी। अतः साधारण और सशक्त कथानक को लेकर जन साधारण की भाषा में रंगमंचीय कलाकारों को लेकर टेलीफिल्म बनाने से लोकप्रिय हो सकती हैं।

दूरदर्शन(टेलीविज़न)

'टेलीविजन शब्द ग्रीक तथा लैटिन भाषा के दबा है। टेलीविजन शब्द का आशय है देखना हिंदी में इसके लिए सटीक शब्द बनाया गया - दूरदर्शन फिल्म और टेलीविजन इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में जहाँ पर बैठे सारी दुनिया से जोड़ दिया है। जनसंचार के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। अ लोगों को आवाज के साथ दृश्य भी देखने को मिलने लगे।

संसार का पहला टेलीविजन प्रसारण सार्वजानिक स्तर पर सन् 1936 ई. में हुआ। भारत में प्रथम प्रायोगिक टेलीविजन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हाथों संपन्न हुआ। 1 अप्रैल 1976 से हमारे पास टेलीविजन 'दूरदर्शन के नाम से आकाशवाणी से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। इस समय देश के 7 बड़े शहरों में दूरदर्शनकी सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। यह संख्या मार्च 1987 तक 192 हो गई। 15 अगस्त 1982 के नए एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण करके दूरदर्शन में अपार सफलता प्राप्त की। अप्रैल सन् 1982 में भारत द्वारा उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कियागया।

आज के आधुनिक समाज में संपूर्ण विश्व में दूरदर्शनजनसंचार का शशक्त माध्यम है। 1982 के दौरान दूरदर्शनके प्रसारण की शुरुआत हुईथी। प्रादेशिक स्तर पर दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना हुई। दिल्ली एवं प्रादेशिक केंद्रों को उपग्रह से संपर्क स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ हुएराष्ट्रीय नेटवर्क के कार्य प्रारंभ हुए।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने दूरदर्शनके निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

1. शिक्षा सूचना व मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक विकास व परिवर्तन का प्रयत्न करना।
2. देश के विभिन्न क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परंपराओं में लोक जीवन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना
3. विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
4. धर्माधता व अंधविश्वासों को समाप्त करना

5. कृषि, पशु-पालन, डेरी उद्योग, आगवानी, मछली पालना आदि का महत्व देखते हु एइन उद्योगों के विकास की दृष्टि से कार्यक्रमों का निर्माण करना 16. पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण, महिला उत्थान, स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम बनाना। 7. कमजोर वर्ग के लोगोंदलितों अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के विकास आदि कार्यक्रमों का निर्माण करना18. युवाओं व छात्रों के खेलकूद में रूचि बढ़ाने के कार्यक्रमों का निर्माण करना 19. कला, साहित्य व संस्कृति के प्रति जागरूकता व दिलचस्पी उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना। 10. सभी स्तर व वर्गों के लोगों के मनोरंजन के कार्यक्रम बनाना।

टेली कॉन्फ्रेंसिं ग

टेली कॉन्फ्रेंसिं गसंचार प्रणाली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके माध्यम से कहीं बैठा व्यक्ति वीडियो फोन के द्वारा दूसरे व्यक्ति से वीडियो फोन कर सकता है। वीडियो फोन व्यस्त लोगों के लिए वरदान है।

नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम:- उपग्रह

नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम में उपग्रह (सैटेलाइट) है। उपग्रहों के कारण आजकल संचार की दुनिया में पर्याप्त विकास हु आ है। टेलीफोन के संचालन की तकनीक का लाभ लेते अंतरिक्ष के तरंगो को विद्युत उर्जा में बदलकर सूचना तकनीकी में क्रांति पैदा हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग आज अनिवार्य हो गया है। 1876 में कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच प्रयोग के तौर पर दो मील की दूरी के लिए टेलीफोन केबुल का उपयोग हु आ था। भारत में पहली बार टेलीफोन सन् 1931 में लार्ड वायसराय के घर पर लगा। उसके पश्चात् इसका विकास संपूर्ण भारत में हु आ।

टेलेक्स

टेलेक्स सूचना संप्रेषण माध्यम का एक पुराना माध्यम माना जाता है। सन् 1938 में अमेरिका में पहली बार सेमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ लाइने बिछाने का कार्य हु आ था। इससे पहले 1881 में कई शहरों को टेलीग्राफिक लाइनों से जोड़ा गया

था । लगभग इसी समय में भारतीय महानगरों को भी इस सूचना तन्त्र से जोड़ दिया गया।

इंटरनेट

आज संसार के जन-संचार के माध्यमों में इंटरनेट प्रसिद्ध है। इंटरनेट सभी वर्गों के लिए सुविधाजनक साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इंटरनेट का उद्भव इंटरनेट के संकल्प से हुआ।इंटरनेट अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान कर्ताओं के बीच तालमेल बैठने के लिए विकसित किया गया था। इंटरनेट से जुड़े कम्प्युटरों के बीच अति तीव्र रफ्तार से आंकड़ों का संप्रेषण, समाचार संदेश, घर बैठे देश-विदेश के पुस्तकालयों के साथ संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन आदि बढ़ा ही सुगम है । सूचना आदान-प्रदान करने की संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था इंटरनेट है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क एक दिन अपनी साधारण बनावट और महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था का प्रतिस्पर्धी हो जायेगा।

स्व-नियंत्रित या अन्य के द्वारा नियंत्रण सहित यह व्यवस्था लाखों लोगों की जुबानी है। यह कंप्यूटर द्वारा सारे उपयोगकर्ताओं को टेलीफ़ोन द्वारा जोड़ता है। इसका संबंध साधारण मानक तकनीक से होता है। इसका लगातार विस्तार हो रहा है। । प्रत्येक माह हजारों साधन मिलकर इंटरनेट के स्तर की वृद्धी कर रहे हैं। इंटरनेट के अंदर या इंटरनेट से जुड़े हुए हजारों छोटे नेट वर्क है जैसे-आर.टी. के नेट और पीस नेट। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है। इंटरनेट पर जो साधन उपलब्ध हैं उसमे लाइब्रेरी ऑफ़ कॉनर्स का रूचि पत्र और बहुत विशिष्ठ आकड़ों का आधार भी शामिल है। इंटरनेट से प्राप्त होने वाली विविध विषयों की सूचनाएं काफी है। इसके उपयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी अपेक्षा है कि इस सदी के अंत तक दो अरब से ज्यादा लोग जुड़ चुके होंगे।

ट्विटर:- ट्विटर का अर्थ है ट्विट ऐप पर कुछ लिखना, लिखकर पोस्ट करना या कोई संदेश ट्रट्विटर पर भेजना इसी को विट कहते हैं। असाधारण काम कम समय में ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं बड़ी कंपनियों ने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया है। ट्विटर के माध्यम से प्रोफेशनल्स बेहतर नौकरी पा सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी नेता के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अपने रुचि के अनुसार

किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। अपने स्थानीय लोगों की जानकारी लेने के लिए ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्थान का नाम लिखकर वहाँ से जोड़े समाचार तुरंत पा सकते हैं। ट्विटर से लाभ सर्वसाधारण जनता से लेकर बड़े पूंजीपतियों को भी होता है। टूविटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करना सरल है।

टूविटर का अविष्कार अमेरिका के जैक डोर्सी, नाओग्लास, बिगस्टोन इवानविलियम्स ने मिलकर किया। टूविटर से लाभ इस प्रकार है-

1. टूविर की सहायता से सामान्य व्यक्ति भी अपने चाहने वालों तक पहुंचसकता है।
2. यह संसार में देश-विदेश की जानकारी देनेवाला माध्यम है।
3. प्रचार एवं प्रसार करने का लोकप्रिय माध्यम है।
4. टूट्विटर से पैसे भी कमा सकते हैं।
5. ट्विटर प्रतिदिन 400 खातों तक अनुसरण (फॉलो) कर सकता है।

व्हाट्सप

व्हाट्सप ऐप्प का आविष्कार ब्रायन इक्टन और जन्कौम ने 24 फरवरी 2009 अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया था। इस ऐप्प में 2009 से लेकर आज तक कई परिवर्तन हुए हैं और सुधार भी हुए हैं। इस ऐप्प के माध्यम से मेसेज, फोटो, वीडियो और अनगिनत संदेश भेजे जाते हैं। अब व्हाटसप ऐप्प ने ओकेशन शेयरिंग फीचर को सम्मिलित किया है। आज व्हाट्सप ऐप्प के द्वारा एक ग्रुप बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। व्हाट्सप ऐप्प ने 2014 में रीड रिसिप्ट्स के लिए व्हाट्सप ऐप्प वेब लाँच कर दिया। 2016 में एंड टु एंड एनक्रिप्शन फीचर और वीडियो कॉलिंग फीचर भी प्रदान किया गया 2017 में स्टेटस फीचर, 2018 में बिजनेस ऐप्प जैसे फीचर को भी जोड़ दिया। 2021 तक व्हाट्सप ऐप्प 12 वर्षों का हो गया है।

फेसबुक

फेसबुक का आरंभ 4 फरवरी 2004 में अमेरिका के कैंब्रिज में हुआ। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना मार्क जुकर्बर्ग ने अपने साथी रूपमेट्स के साथ मिलकर किया है। फेसबुक को हिंदी में निःशुल्क सामाजिक

नेटवर्किंग सेवा कह सकते हैं। अपने मोबाइल ब्राउजर में M. facebook.com पर जाएँ ईमेल: आप ऐसे किसी भी ईमेल पते से लॉगिन कर सकते हैं जो आपके फेसबुक अकाउंट में दिया हुआ हो। उपयोगकर्ता का नाम यदि अपने उपयोगकर्ता के नाम से सेट किया हुआ हो तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। यह फेसबुक चालू करने का तरीका है।

ईमेल

ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क के जरिए संदेश भेजने, प्राप्तकरने का एक साधन है। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल कार्यालयों, न्यायालयों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि स्थानों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का अधिकारिक तरीका बना लिया गया है। ईमेल सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बहुतही उपयोगी साधन है।

कंप्यूटर

कंप्यूटर आधुनिक काल के लिए एक वरदान है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में अधिक डाटा सुरक्षित रखता है। यह इनपुट और आउटपुट के उपयोग से काम करता है। कंप्यूटर को बहुतही सरल रूप से चला सकते हैं। कंप्यूटर कम समय में अधिक कार्य करता है। यह व्यक्ति के श्रम को कम करता है। कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कंप्यूटर आज के युग में विश्व का लोकप्रिय साधन है।

प्रश्न 3. लोक कलाओं पर विस्तार से विवेचन कीजिए।

उत्तर :

जनसंचार के माध्यमों में लोककलाएँ

संसार में अनगिनत लोककलाएँ है जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत लोक नाटक, लोक चित्रकला आदि। 1. लोक नृत्य भारत में कई लोक नृत्य प्रसिद्ध है। सभी प्राँतों में लोक नृत्यों के माध्यमों द्वारा रामायण, महाभारत, 18 पुराणों को दिखाया जाता है। गाँवों में बसे हुए लोग सबसे अधिक अनपढ़ होते हैं।

लोक नृत्य के माध्यम से वे रामायण, महाभारत एवं पुराणों की घटनाओं को देखकर समझते हैं अर्थात पढ़े लिखे एवं अनपढ़ प्रजा के लिए भी लोक नृत्य जनसंचार के माध्यम है। सरकारी विज्ञापन और योजनाओं को भी लोक नृत्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कोलाटम, बुर्रा कथा, हरिकथा भी नृत्य के साथ-साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। केरल में मोहिनी आटम नृत्य, तमिलनाडु में करगाटम नृत्य, कर्नाटक में बयलाटा और यक्षगान भी जनसंचार के माध्यम है। महाराष्ट्र में कल्कितुर्रा, गोंडल, तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध जनसंचार के माध्यम है। उसी प्रकार गुजरात में भवई राजस्थान में ढोला मारू रा दूहा बहुत ही लोकप्रिय हैं। इस प्रकार भारत के हर प्रान्तों में लोकनृत्य जन संचार के माध्यम बने हुए हैं जन सामान्य के लिए लोक नृत्य विशेष रूप से जन संचार का माध्यम है।जनमानस लोकनृत्यों के साथ अपना गुजारा करता है।

लोकगीत

जनमानस के लिए लोकगीत और लोक संगीत एक जनसंचार का माध्यम है । लोक गीतों द्वारा संस्कृति, देश भक्ति, रीति और नीति का बोध होता है। भारत के सभी प्रांतों के लोकगीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। लोकगीत जन सामान्य को आकर्षित करते हैं। विषय वस्तु को समझने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण संचार का माध्यम है। रेडियो, टी.वी. में कई विज्ञापन सुनने और देखने को मिलते हैं, इनमें से कई लोकगीतों के माध्यम से होते हैं गाँवों में कई लोग संगीत के कलाकार पूर्वजों के गायाओं को सुनाकर भिक्षाटन करते हैं। किसान बैलगाड़ियों पर, खेत खलियान में, हल जोतते समय, फसल काटते समय औरते चक्की से अनाज पीसते समय, पानी भरते हुए समूह में लोकगीत गाते हैं। उन सभी गीतों में कोई न कोई गाथा होती हैं जिसे वे इस माध्यम के सहारे सूचित करते हैं। लोकगीत जनसंचार का बहुत ही खूबसूरत और सरल माध्यम है। जिसे सभी वर्ग के लोग सहजता से तुरंत समझ लेते हैं। त्योहारों, विवाह आदि में जो गीत गाए जाते हैं उनमें भारतीय संस्कृति का भरमार प्रयोग होता है। यही हमारे लिये घरोवर भी है। गाँवों में यदि कोई होने वाले कार्यक्रम की जानकारी गाँववालों को लोकगीत के साथ ढिंढोरा पीट कर दी जाती है अतः जनसंचार के माध्यम में लोकगीतों का प्रमुख स्थान है।

लोक नाटक, (लोक नाट्य)

रामलीला, रासलीला के मंचन से राम और कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। । रामलीला लोक नाटक जनसंचार का सशक्त माध्यम है क्योंकि जो व्यक्ति रामायण पढ़ नहीं सकता वह इसके मंचन को देखकर संपूर्ण रामायण को समझ सकता है। उसी प्रकार राम लीला के मंचन से श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है गुजरात में भवाई लोक नाट्य द्वारा इतिहास और आधुनिकता के कई मुद्दों का दर्शकों को ज्ञान होता है.

महाराष्ट्र का तमाशा लोकनाट्य विधा भी जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन है। इसके मंचन से भी इतिहास, पुराणों और राजनीति का बोध होता है। उत्तर प्रदेश की नौटकी, बंगाल का जात्रा लोक नाट्य भी जनसंचार के माध्यम माने गए हैंइन विधाओं से सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है जिन्हें अंग्रेजी में propaganda Media भी कहते हैं।

कर्नाटक काट और आंध्रप्रदेश का बीधि नाटक भी गाँव वालों के लिए जनसंचार का माध्यम है। इन लोक नाट्यों में अभिनय, गीत और संगीत का प्रयोग होता है।

कठपुतली (Puppet)

प्राचीन काल में दरबारों में राजाओं को खुश करने के लिए कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। जिसमें उनके पूर्वजों की गाथा कठपुतलियों के माध्यम से दिखाई जाती थी। भारत के सभी राज्यों में कठपुतली का प्रदर्शन होता था उत्तर भारत में इस खेल में विशेष रूप से रामायण और महाभारत की घटनाओं को दर्शाया जाता है तथा दक्षिण भारत में कठपुतलियों को चर्म से बनाया जाता है। जिसे तोलुबोम्मालाटा कहते है। राजस्थान और उत्तर भारत के अनेक प्राँतों में डोर के माध्यम से कठपुतलियों को नचाया जाता है जिसे अंग्रेजी में Strig Puppet कहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आज भी अध्यापक कटपुतलियों को टीचिंग एड्स के रूप में विद्यार्थियों को दिखाकर पढ़ाते हैं। इस माध्यम को भी दृश्य माध्यम की मान्यता है । Puppet (कठपुतली) का दूसरा और एक रुप भी है जिसे ग्लौ पपेट कहते हैं। दोनों हाथों में

उंगलियों में ग्लोज रूपी कठपुतलियों को पहनकर नचाया जाता है जिसे ग्लौ पपेट कहते हैं। कठपुतली का खेल देखने के लिये बच्चे, बूढे, सभी आकर्षित होते हैं।

आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के विरोध में कठपुतलियों द्वारा भारतीयों को खेल दिखाए जाते थे भारत की आजादी के लिये कठपुतली का खेल जनसंचार का सशक्त माध्यम रहा है।

रंगमंच

रंगमंच थिएटर के माध्यम को भी जनसंचार का माध्यम माना गया है। नाटक के द्वारा विविध प्रांतों की संस्कृति का ज्ञान होता है। विलियम शेक्सपियर के नाटको द्वारा एलजीवन अर्थात् इंग्लैंड की संस्कृति को हम मंच पर देख सकते हैं। उसी प्रकार संसार के विभिन्न भाषाओं में लिखे गए नाटक हमे वहाँ के देश, काल परिस्थितिको समझाते हैं। भारत में सांप्रदायिक या पौराणिक नाटकों के माध्यम से गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी रामायण, महाभारत पुराणों की गाथाओं को रंगमंच पर देख समझ सकता है। टी. वी. रेडियो में प्रसारित होने वाले रोचक लघु चित्र एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का प्रचार प्रसार होकर करोड़ों रुपयों का व्यापार होता है। नाटक वह जनसंचार का माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और शिक्षा का प्रचार होता है। आज भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रंगमंच लोकप्रिय जनसंचार का माध्यम बन गया है। नेता चुनाव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं जिसे प्रोपेगेंडा मीडिया भी कहते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया इसलिए कहते हैं कि इस मीडिया के माध्यम से प्रचार भी किया जा रहा है।

लघु महत्वपूर्ण प्रश्न

1. जनसंचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
2. जनसंचार की कोई एक परिभाषा लिखिए।
3. जनसंचार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
4. मुद्रण क्या है? लिखिए।
5. लोककलाओं में कठपुतली एवं रंगमंच पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्न

1. जनसंचार के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
2. जनसंचार माध्यमों का महत्व बतलाते हु एनव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार केमाध्यमों पर प्रकाश डालिए।
3. जनसंचार माध्यम के प्रकारों पर प्रकाश डालिए।
4. रेडियो व दूरदर्शनपर प्रकाश डालिए।
5. लोक कलाओं पर विस्तार से विवेचन कीजिए।

*****